दिनांक: ____________________

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड
इंडोस्टार टॉवर, तीसरी मंजिल, 22 और 23,
वेंकटनारायण रोड, टी. नगर,
चेन्नई - 600 017, भारत

विषय: दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में होने की पुष्टि

प्रिय महोदय,

1. मैं/हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, यह पुष्टि, अनुमोदन और घोषणा करते हैं कि मैं/हम अंग्रेजी भाषा को समझते हैं और कि मैं/हम अंग्रेजी भाषा में पढ़ और लिख सकते हैं।

2. मैं/हम, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, आगे यह भी पुष्टि, अनुमोदन करते हैं और सहमति देते हैं कि हम निम्न बातों से सहमत हैं:

    (i) उधारकर्ता द्वारा ली जा रही लोन सुविधा से संबंधित सभी दस्तावेज, जिसमें निम्न शामिल हैं लेकिन केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, लोन सह हाइपोथिकेशन अनुबंध, गारंटी पत्र (*यदि लागू हो*), लोन आवेदन पत्र, प्रतिज्ञा, घोषणा, वचन पत्र, ज्ञापन आदि शामिल हैं, वे अंग्रेजी भाषा में निष्पादित किए जाएंगे और मैं/हम वर्तमान या भविष्य में दस्तावेजों के अंग्रेजी में निष्पादन पर किसी भी आपत्ति को त्यागते हैं।

    (ii) सभी दस्तावेज जो प्रस्तुत किए जाने हैं या ऐसी क्रेडिट सुविधा से संबंधित संचार, लिखित रूप में और अंग्रेजी भाषा में होंगे।

आपका विश्वासपूर्वक,

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित गारंटर द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

मुख्य तथ्यात्मक विवरण/फैक्ट शीट

दिनांक:
विनियमित संस्था का नाम: इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड
आवेदक का नाम:

भाग A – (ब्याज दर, फीस और शुल्क)

1.	**लोन प्रस्ताव/खाता नंबर**		**ऋण का प्रकार**	
2.	**सैंक्शन लोन राशि (रुपये में)**			
3.	**वितरण अनुसूची** (i) वितरण चरणों में या 100% अग्रिम: (ii) अगर यह चरणवार है, तो लोन अनुबंध के लागू विवरण वाले खंड का उल्लेख करें		वितरण एकमुश्त या किश्तों/ट्रैंचेस में किया जा सकता है। अधिक विवरण हेतु कृपया लोन अनुबंध का खंड 4 देखें।	
4.	**लोन अवधि (वर्ष/महीने)**			
5.	**किस्तों का विवरण**			

किश्त का प्रकार	ईपीआई/ईएमआई की संख्या:	ईपीआई/ईएमआई (₹ में):	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत

6.	**ब्याज दर (%) और प्रकार (फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड):**	फिक्स्ड ब्याज दर @ ____%
7.	**फ्लोटिंग दर्ज ब्याज की स्थिति में अतिरिक्त जानकारी:**	लागू नहीं
8.	**फीस/शुल्क**	

			लोनदाता को देय (A)		लोनदाता के माध्यम से थर्ड पार्टी को देय (B)	
			एक बार/आवर्ती:	राशि (₹ में) या % (जैसा लागू हो)	एक बार/आवर्ती:	राशि (₹ में) या % (जैसा लागू हो)
(i)	प्रोसेसिंग शुल्क		एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बीमा शुल्क		लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(a)	मोटर इंश्योरेंस	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(b)	जीवन बीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(c)	रक्षा कवच	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(d)	अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
(iii)	वाहन की जांच/निरीक्षण के लिए शुल्क		एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	दस्तावेज शुल्क		एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	स्टांपिंग शुल्क		एकमुश्त	वास्तविक के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	सुरक्षा निर्माण शुल्क		एकमुश्त	वास्तविक के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	गैप-डे ब्याज:		एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	अन्य (अगर कोई हो, विवरण प्रदान करें)					

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

9.	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर % में) (एपीआर की गणना के लिए भाग C देखें)**	___________% सभी शुल्क सहित,	___________% सभी शुल्क सहित, बीमा शुल्क को छोड़कर
10.	**आकस्मिक शुल्कों का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)**		
(i)	देर से भुगतान पर दंड शुल्क (अगर कोई हो)		**36% प्रति वर्ष**
(ii)	फोरक्लोजर शुल्क (यदि लोन कूलिंग अवधि के बाद कैंसल किया जाता है)		बकाया मूल राशि का 4%
(iii)	अन्य दंड शुल्क (अगर कोई हो, विवरण दें)		
(a)	चेक/ इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा ("ईसीएस") अस्वीकृति शुल्क		प्रत्येक रिटर्न किए गए ईसीएस/चेक के लिए ₹ 500
(b)	डुप्लिकेट नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शुल्क		प्रति समाप्त/ खोई हुई एनओसी ₹ 500
(c)	स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुल्क		₹ 500
(d)	स्वैपिंग शुल्क (ईसीएस/एनएसीएच/पोस्ट डेटेड चेक से)		₹ 1000
(e)	रोल ओवर पोस्ट डेटेड चेक शुल्क		₹ 500
(f)	नॉन पोस्ट डेटेड चेक शुल्क (नकद भुगतान मोड)		₹ 500
(g)	डाक, टेलीग्राम, टेलिफोन और नोटिस शुल्क		वास्तविक अनुसार
(h)	भुगतान कलेक्शन शुल्क (एफवीसी)		प्रत्येक लेनदेन पर ₹ 200
(i)	प्रवर्तन शुल्क		वास्तविक अनुसार
(j)	आउटस्टेशन चेक कलेक्शन शुल्क		वास्तविक अनुसार
(k)	संपत्ति की मरम्मत संबंधी शुल्क		वास्तविक अनुसार
(l)	किसी भी कार्रवाई/प्रक्रिया के शुल्क और खर्च		वास्तविक अनुसार
(m)	दस्तावेज पुनर्प्राप्ति शुल्क		वास्तविक अनुसार
(n)	टोइंग शुल्क		वास्तविक अनुसार
(o)	पुनः कब्जा शुल्क		वास्तविक अनुसार
(p)	कानूनी शुल्क		वास्तविक अनुसार
(q)	लोन कैंसलेशन शुल्क (अगर कूलिंग अवधि के बाद लोन कैंसल किया जाता है)		कम से कम ₹ 3000/- या जितने दिनों का ब्याज है**, जो भी ज्यादा हो
(r)	सुरक्षा सुरक्षा शुल्क		वास्तविक अनुसार
(s)	वाहन पार्किंग/बिक्री संबंधित शुल्क		वास्तविक अनुसार
(t)	अन्य (अगर कोई हो, विवरण प्रदान करें)		

** सभी शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं हैं*

***दिनों की संख्या: वितरण की तिथि से पूर्ण कैंसलेशन राशि की प्राप्ति की तिथि तक।*

-लगाए गए शुल्क की रसीद ग्राहक को प्रदान की जाएगी

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

भाग B – (अन्य गुणात्मक जानकारी)

1.	रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित लोन अनुबंध का खंड		खंड 11
2.	लोन अनुबंध का खंड, जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है		खंड 46
3.	नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी		खंड 46
4.	क्या लोन वर्तमान में, या भविष्य में, अन्य बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी या वित्तीय संस्था या प्रतिभूतिकरण को हस्तांतरित किए जाने के अधीन है या होगा। (हां/ नहीं)		हाँ
5.	सहयोगी (कोलेबोरेटिव) लोन व्यवस्था (जैसे, सह-लोन/आउटसोर्सिंग) के तहत लोन देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:		लागू नहीं
मूल लोनदाता का नाम और उसका वित्तपोषण अनुपात	साझेदार लोनदाता का नाम और उसका वित्तपोषण अनुपात	ब्याज की मिश्रित दर	
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
6.	डिजिटल लोन के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:		
(i)	कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि		3 (तीन) दिन
(ii)	उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत रिकवरी एजेंट का विवरण		वर्तमान में कोई रिकवरी एजेंट नियुक्त नहीं है। रिकवरी एजेंट नियुक्त होने पर विवरण उधारकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी।

भाग C – (एपीआर गणना के लिए शीट)

क्र. सं.	मापदंड	विवरण
1.	स्वीकृत लोन राशि (रुपयों में) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 2)	
2.	लोन अवधि (वर्षों/ महीनों/ दिनों में) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 4)	
(a)	गैर-समतुल्य आवधिक लोनों के मामले में मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या	लागू नहीं
(b)	ईएमआई का प्रकार (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)	
	प्रत्येक ईएमआई की राशि (रुपयों में) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)	
	ईएमआई की संख्या (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)	
(c)	पूंजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किश्तों की संख्या, अगर कोई हो	लागू नहीं
(d)	स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत (केएफएस के भाग A का क्रमांक 5)	
3.	ब्याज दर का प्रकार (फिक्स्ड या फ्लोटिंग या हाइब्रिड) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 6)	निश्चित
4.	ब्याज दर (केएफएस के भाग A का क्रमांक 6)	____%
5.	सैंक्शन तिथि पर लागू दर के अनुसार लोन की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि (रुपये में)	
6.	देय शुल्क/प्रभार (रुपये में)	
(a)	लोनदाता को पुनर्भुगतान (केएफएस के भाग A का क्रमांक 8A)	
(b)	थर्ड-पार्टी को भुगतान (केएफएस के भाग A का क्रमांक 8B)	
7.	निवल वितरित राशि (क्रमांक 1 (-) क्रमांक 6) (₹ में)	
8.	उधारकर्ता द्वारा कुल देय राशि (क्रमांक 1 और क्रमांक 5 का योग) (रुपयों में)	

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

क्र. सं.	मापदंड		विवरण
9.	वार्षिक प्रतिशत दर – प्रभावी वार्षिकीकृत ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस के भाग A का क्रमांक 9)।	___________% सभी शुल्क सहित,	___________% सभी शुल्क सहित, बीमा शुल्क को छोड़कर
10.	नियमों और शर्तों के अनुसार, वितरण की अनुसूची		कृपया भाग A के केएफएस, क्रमांक 3 देखें।
11.	किस्त और ब्याज के भुगतान की देय तिथि		

यह मुख्य तथ्यात्मक विवरण (**केएफएस**) इस केएफएस की तारीख से 5 (पांच) कार्य दिवसों के लिए मान्य है। लोन प्राप्त करने के लिए, आपको इस केएफएस को स्वीकार/ अनुमोदित करके और उपरोक्त अवधि के भीतर इस पर प्रति-हस्ताक्षर करके इस केएफएस के सभी नियमों और शर्तों के लिए अपनी स्वीकृति देनी आवश्यक है। अगर आपकी स्वीकृति/प्रमाणन उपरोक्त अनुसार 5 (पांच) कार्य दिवसों के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो यह केएफएस रद्द और निरस्त माना जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए लागू नहीं होगा।

धन्यवाद।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

लेंडर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से लागू, स्वीकृत, प्रमाणित, हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया।

नामित लोनदाता, **इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा **हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया**

ग्राहक की स्वीकृति

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड,
____

मैं/हम यह पुष्टि करते हैं कि मैंने/हमने मुझे प्रदान की जाने वाली लोन सुविधा के संबंध में केएफएस के सभी नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और केएफएस के लिए मैं/हम बिना शर्त स्वीकृति प्रदान करते हैं।

केएफएस के सभी नियमों और शर्तों को मुझे/हमें श्री/ श्रीमती/ सुश्री ________________________________ (कर्मचारी/ डीएसए का नाम, पदनाम और पहचान संख्या/ कोड दर्ज करें) द्वारा समझाया गया है और मैंने/हमने उन्हें पूर्ण रूप से समझ लिया है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित गारंटर द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

पुनर्भुगतान अनुसूची

किश्त संख्या	बकाया मूलधन	मूलधन	ब्याज	किश्त

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

किश्त संख्या	**बकाया मूलधन**	**मूलधन**	**ब्याज**	**किश्त**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

किश्त संख्या	**बकाया मूलधन**	**मूलधन**	**ब्याज**	**किश्त**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

स्वीकृति पत्र - वाहन फाइनेंस

को,

तारीख:
स्थान:

आपके वित्तीय सुविधा के आवेदन के संदर्भ में, हमें आपको निम्न नियमों और शर्तों पर लोन सुविधा (**लोन**) स्वीकृत करते हुए खुशी हो रही है:

सुविधा का प्रकार	**लोन राशि**	**भुगतान अवधि**	**ब्याज दर: % प्रति वर्ष**	**वार्षिक प्रतिशत दर: % प्रति वर्ष**	**उद्देश्य/संपूर्ण उपयोग**	**संपत्ति/वाहन का विवरण**
		• लोन की अवधि: आईसीएफएल द्वारा जारी और उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए **केएफएस** के अनुसार • किश्त की राशि: केएफएस के अनुसार • किश्तों की संख्या: केएफएस के अनुसार • किश्त का प्रकार: केएफएस के अनुसार	घटती ब्याज दर: _____% प्रति वर्ष	वार्षिक प्रतिशत दर: केएफएस के अनुसार	☐ परिसंपत्ति/वाहन की खरीद/पुनर्वित्तपोषण ☐ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ☐ व्यवसाय का विस्तार ☐ परिसंपत्ति का बीमा कराना ☐ उधारकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करना ☐ उधारकर्ताओं के लिए जीवन बीमा प्राप्त करना ☐ अन्य (*कृपया बताएं*) ____________ (*उपयुक्त पर टिक करें*)	

कृपया नीचे स्वीकृत लोन की सामान्य नियम व शर्तें देखें:

सामान्य नियम और शर्तें:

1. यह स्वीकृति पत्र ("**सैंक्शन लेटर**") लोन अनुबंध और अन्य सुरक्षा/वित्तीय दस्तावेजों ("**फाइनेंशियल दस्तावेज**") के निष्पादन के अधीन है, जो निर्धारित प्रारूप में होंगे और वितरण केवल इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ("**आईसीएफएल**" या "**लोनदाता**") के विवेकाधिकार पर होगा।
2. आईसीएफएल किसी भी समय अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग कर सकता है और स्वीकृति पत्र की शर्तों में वितरण से पहले संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसे उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा।
3. सभी शुल्क, जिनमें दंडात्मक शुल्क, बीमा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तावेजीकरण शुल्क आदि शामिल हैं, आईसीएफएल द्वारा केएफएस में निर्धारित अनुसार लगाया जाएगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

4. आप संपत्ति को सभी जोखिमों, जैसे कि आग, नागरिक अशांति, बाढ़, भूकंप, सुनामी, चोरी और थर्ड पार्टी देयता के लिए व्यापक रूप से बीमित रखेंगे। आईसीएफएल को किश्तों या किसी भी नियमों और शर्तों को बदलने या पुनर्निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसकी उचित सूचना लोनदाता को दी जाएगी।
5. ब्याज दर निर्धारित करने के लिए जोखिम के स्तर और आधार आईसीएफएल की ब्याज दर नीति में दर्ज है (जो आईसीएफएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है) और उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसने आईसीएफएल की ब्याज दर नीति पढ़ी है और ब्याज दर लगाने के तर्क को समझता है।
6. आईसीएफएल को किसी भी सेवा के लिए थर्ड पार्टी को नियुक्त करने के अधिकार होगा और ऐसे थर्ड पार्टी आईसीएफएल के सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों का पालन कर सकते हैं, जो लोन से संबंधित अनुबंध के तहत निष्पादित होने हैं।
7. यह स्वीकृति पत्र वित्तीय दस्तावेजों का अभिन्न हिस्सा होगा और इसे वित्तीय दस्तावेजों के अनुरूप और सामंजस्यपूर्ण रूप से पढ़ा और व्याख्यायित किया जाएगा। यदि इस स्वीकृति पत्र और वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों में कोई असंगति/विरोध होता है, तो उस सीमा तक वित्तीय दस्तावेजों की शर्तें इस स्वीकृति पत्र पर प्रबल रहेंगी।

यह स्वीकृति पत्र इस पत्र की तिथि से 15 दिनों के लिए मान्य है। लोन प्राप्त करने के लिए, आपको इस स्वीकृति पत्र की सभी शर्तों को स्वीकार करने की आवश्यकता है, डुप्लीकेट प्रति स्वीकार/स्वीकृति देकर और 15 दिनों के भीतर हमें लौटाना होगा। यदि ऊपर बताई गई आपकी मंजूरी/स्वीकृति हमें 15 दिन की अवधि खत्म होने पर या उससे पहले नहीं मिलती है, तो यह स्वीकृति पत्र कैंसल हो जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए वापस ले लिया जाएगा।

धन्यवाद।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

लेंडर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से लागू, स्वीकृत, प्रमाणित, हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया।

नामित लोनदाता, **इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड** द्वारा **हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया**

ग्राहक की स्वीकृति

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड,
____

मैं/हम पुष्टि करता है कि मैंने/हमने, मेरे/हमारे लिए विस्तारित लोन सुविधा की स्वीकृति की सभी शर्तें पढ़ ली हैं और समझ ली हैं और उपरोक्त स्वीकृति पत्र में निहित शर्तों और वित्तीय दस्तावेजों में विशेष रूप से निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार स्वीकृत लोन सुविधा के लिए बिना शर्त स्वीकृति देता है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

उधारकर्ता इस बात से सहमत हैं, मानते हैं और पुष्टि करता है कि उधारकर्ता ने पुनर्भुगतान की विशिष्ट और सटीक तिथियों को अच्छी तरह समझ लिया है और उन्हें अच्छी तरह पता है, कि विशेष तारीखों पर भुगतान न करने पर स्पेशल मेंशनल एसेट संपत्तियों (“**एसएमए**”) और (“**एनपीए**”) का वर्गीकरण कैसे होगा और उसके बाद क्या परिणाम होंगे। उक्त विषयों को आईसीएफएल के प्रतिनिधियों द्वारा उधारकर्ता को, उधारकर्ता द्वारा ली जा रही लोन सुविधा के संदर्भ में उदाहरणों और चित्रणों सहित, विस्तार से समझाया गया है और उधारकर्ता इससे संतुष्टि हैं।

उपरोक्त लोन सुविधा की स्वीकृति की सभी नियम और शर्तें मुझे/हमें, श्री/ श्रीमती/ सुश्री ____ (कर्मचारी/ डीएसए का नाम, पदनाम और पहचान संख्या/ कोड दर्ज किया जाए) द्वारा समझाई गई हैं और मैंने/हमने उन्हें पूर्ण रूप से समझ लिया है।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित गारंटर द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

लोन सह बंधक अनुबंध

यह लोन सह बंधक अनुबंध उस स्थान पर और उस तिथि को किया गया है जो अनुबंध की अनुसूची ("**अनुसूची**") में निर्दिष्ट है।

पक्षकार:

एक पक्ष के रूप में, उपरोक्त सभी पक्ष अनुसूची में दर्ज उधारकर्ता (**उधारकर्ताओं**), जिसका अर्थ संदर्भ के विरुद्ध न होने पर सह-उधारकर्ताओं (यदि कोई हो) को भी शामिल माना जाएगा, जैसा कि अनुसूची में विवरण के अनुसार है, और गारंटर/गारंटरों का विवरण और नाम अनुसूची (यहां इसे "**गारंटर**" कहा जाएगा) में विशेष रूप से दिया गया है और यदि मामला निम्न प्रकार का हो, तो उसमें यह भी शामिल माना जाएगा: (a) एक व्यक्ति है, तो उसके वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, कार्यकारी, प्रशासक और अनुमत हस्तांतरितकर्ता; (b) एक स्वामित्व फर्म है, तो मालिक (व्यक्तिगत क्षमता में और फर्म के मालिक के रूप में) और उसके वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, कार्यकारी, प्रशासक, अनुमत हस्तांतरितकर्ता और फर्म के उत्तराधिकारी; (c) एक कंपनी या सीमित देयता भागीदारी है, तो उसके उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरितकर्ता; (d) एक साझेदारी फर्म है, तो प्रत्येक भागीदार और उनके उत्तरजीवी और समय-समय पर भागीदार (व्यक्तिगत क्षमता में और फर्म के भागीदार के रूप में) और उनके वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, कार्यकारी, प्रशासक, अनुमत हस्तांतरितकर्ता और फर्म के उत्तराधिकारी; (e) एक संयुक्त हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) है, तो कर्ता और किसी भी/सभी सह-सदस्य और सदस्य और उनके उत्तरजीवी और उनके वारिस, कानूनी प्रतिनिधि, कार्यकारी, प्रशासक और अनुमत हस्तांतरितकर्ता; (f) एक ट्रस्ट है, तो ट्रस्टी और/या ट्रस्ट के वर्तमान लाभार्थी और उनके उत्तरजीवी, अंतिम जीवित ट्रस्टी और/या लाभार्थी के उत्तराधिकारी और अनुमत हस्तांतरितकर्ता, कार्यकारी और प्रशासक।

और

इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, (CIN:L65100MH2009PLC268160) एक सार्वजनिक सीमित कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिल्वर यूटोपिया, तीसरी मंजिल, यूनिट संख्या 301-A, पी एंड जी प्लाजा के सामने, कार्डिनल ग्रेशियस रोड, चाकला, अंधेरी (ई), मुंबई – 400099, भारत में स्थित है और अन्य स्थानों में, एक शाखा कार्यालय ____, भारत में स्थित है। (इसे आगे "**लोनदाता**" या "**इंडोस्टार**" कहा जाएगा), और यह अभिव्यक्ति संदर्भ या अर्थ के विरोधी न होने पर इसमें इसके विभागों, उत्तराधिकारियों, हस्तांतरितकर्ताओं, सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों को भी शामिल माना जाएगा।

उधारकर्ता, गारंटर और लोनदाता को आगे व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" और सामूहिक रूप से "**पक्षकार**" कहा जाएगा।

जहां कि:

(A) लोनदाता, अन्य चीजों के अलावा, वित्तीय सहायता प्रदान करने और नए और प्रयुक्त संपत्ति/वाहन की सुरक्षा के लिए वित्तपोषण/लोन देने के व्यवसाय में संलग्न है।
(B) उधारकर्ताओं ने उक्त संपत्ति/वाहन, जो सभी बाधाओं से मुक्त है, की सुरक्षा के लिए और नीचे परिभाषित उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता के लिए लोनदाता से अनुरोध किया है।
(C) उधारकर्ता ने लोन की सुविधा लेने के बदले में, लोनदाता द्वारा तय किए गए नियमों और शर्तों को मानने के लिए सहमति दी है, और खास तौर पर नीचे बताए गए नियमों और शर्तों को मानने के लिए सहमति दी है। खास तौर पर, वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे एसेट/वाहन को बेचने, अलग करने, गिरवी रखने या किसी और तरीके से नहीं बेचेंगे, सिवाय इसके कि लोनदाता ने लिखकर इसकी अनुमति दी हो, जब तक कि इस अनुबंध के तहत पूरी राशि लोनदाता को नहीं दे दी जाती।
(D) लोनदाता, उपरोक्त उधारकर्ताओं द्वारा किए गए प्रतिनिधित्वों पर भरोसा करते हुए, लोन प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है, जैसा कि यहां निर्धारित नियमों और शर्तों में दर्ज है।

अब यह अनुबंध निम्न रूप से साक्ष्य प्रस्तुत करता है:

परिभाषाएं और व्याख्या

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

इस अनुबंध में, जब तक संदर्भ के विपरीत न हो, निम्न अभिव्यक्तियों का निम्न अर्थ होगा। जो शर्तें और अभिव्यक्तियां यहां परिभाषित नहीं की गई हैं, उनका अर्थ और व्याख्या, जहां उन्हें सामान्य धाराएं अधिनियम, 1897 के तहत अर्थ और व्याख्या प्रदान की गई है, वही व्याख्या और अर्थ होगा।

(a) **"अनुबंध"** शब्द का अर्थ और इसमें शामिल है यह लोन सह बंधक अनुबंध, अनुसूची, परिशिष्ट, कोई भी अनुलग्नक, पूरक अनुबंध या संलग्नक जो यहां संलग्न है और इसे आगे इस अनुबंध के संदर्भ में लिया जाएगा।

(b) "**वार्षिक प्रतिशत दर**" शब्द का अर्थ है लोन पर लगाया जाने वाला प्रभावी वार्षिक दर, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में विशेष रूप से दर्ज है।

(c) **"आवेदन पत्र"** शब्द का अर्थ है, जैसा संदर्भ अनुमति या आवश्यकता देता है, उधारकर्ता द्वारा लोन के लिए आवेदन और लोन प्राप्त करने हेतु लोनदाता को प्रस्तुत किया गया लोन आवेदन पत्र, जिसमें उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समय-समय पर लोन से संबंधित प्रदान की गई सभी अन्य जानकारी, विवरण, स्पष्टीकरण और घोषणाएं शामिल हैं, यदि कोई हों।

(d) **"संपत्ति" या "वाहन"** शब्द का अर्थ है वाहन और इसमें मोटर वाहन या कोई अन्य संपत्ति शामिल है, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में विशेष रूप से दर्ज है, जिसकी खरीद/वित्तपोषण और/या सुरक्षा के लिए लोन प्रदान किया जा रहा है और जिसे उधारकर्ता द्वारा लोनदाता के पक्ष में बंधक रखा गया है। संपत्ति में वर्तमान और भविष्य में किए गए सभी परिवर्धन और जोड़ भी शामिल होंगे, चाहे वह बॉडी निर्माण, इंजन उन्नयन या इसी तरह के किसी भी रूप में उधारकर्ता द्वारा किए गए हों।

(e) **"कूलिंग ऑफ अवधि"** शब्द का अर्थ उस अवधि से है, जो इस अनुबंध की तारीख से शुरू होती है, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में निर्दिष्ट है।

(f) "**डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देश**" शब्द का अर्थ है डिजिटल लेंडिंग पर 02 सितंबर, 2022 को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देश, संदर्भ संख्या DOR.CRE.REC.66/21.07.001/2022-23, जिसे समय-समय पर संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है।

(g) **"देय तिथि"** शब्द का अर्थ है वह तिथि जिस पर लोन की मूल राशि की किश्त और/या इस अनुबंध के तहत देय कोई अन्य राशि और/या लोन राशि का बैलेंस, जैसा मामला हो, उधारकर्ता द्वारा देय और भुगतान योग्य होती है, और इसे इस अनुबंध की अनुसूची में विशेष रूप से दर्ज किया गया है।

(h) **"इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवा" या "ईसीएस" या "ई-एनएएसीएच"** शब्द में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड ट्रांसफर करना शामिल माना जाएगा, या तो फंड ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे गए मैसेज के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजे गए फंड ट्रांसफर के इंस्ट्रूमेंट की इमेज के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भेजे गए फंड ट्रांसफर के विवरण वाली इलेक्ट्रॉनिक फाइल के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक चेक के जरिए भुगतान के जरिए या जहां फंड अलग-अलग तरह के प्लास्टिक कार्ड या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित की गई ऐसी दूसरी डेबिट क्लियरिंग सेवा के जरिए ट्रांसफर किए जाते हैं, जिसमें इस अनुबंध के तहत मासिक किश्त भुगतान को आसान बनाने के लिए उधारकर्ता ने लिखकर हिस्सा लेने की सहमति दी है।

(i) "**डिफॉल्ट की घटना**" शब्द का अर्थ इस अनुबंध के खंड 10 में दिए गए शब्द के अनुसार होगा।

(j) "**वित्तीय दस्तावेज**" शब्द का अर्थ सभी अनुबंध, उपकरणों, प्रतिज्ञाओं, वचन पत्रों, अभिलेखों, पत्रों, लिखित दस्तावेजों और अन्य दस्तावेजों (चाहे वित्तीय, सुरक्षा या अन्य) से है, जो उधारकर्ता, गारंटर या जैसा भी मामला हो, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, इस अनुबंध और/या अन्य दस्तावेजों के तहत या इसके द्वारा विचारित लेनदेन के संबंध में या उससे संबंधित हैं, जिन्हें लोनदाता, वित्तीय दस्तावेज के रूप में नामित कर सकता है।

(k) **"किश्त"** शब्द का अर्थ अनुसूची में निर्दिष्ट मासिक भुगतान राशि से है, जो लोन को समय अवधि के दौरान ब्याज सहित समाप्त करने के लिए आवश्यक है।

(l) "**केएफएस**" शब्द का अर्थ है लोनदाता द्वारा जारी और उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया प्रमुख तथ्य विवरण।

(m) **"लोन"** शब्द का अर्थ इस अनुबंध के तहत प्रदान की गई/प्रदान की जाने वाली लोन की राशि से है और इसमें मूल राशि, ब्याज और उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को देय कोई अन्य राशि शामिल है, जैसा कि अनुसूची में निर्दिष्ट है।

(n) "**व्यक्ति**" शब्द में व्यक्ति, साझेदारी फर्म, सीमित देयता भागीदारी, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, एचयूएफ और सोसायटी शामिल होंगे।

(o) **"दंडात्मक शुल्क"** शब्द का अर्थ है वह शुल्क जो लोनदाता द्वारा लगाया जाता है, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में विशेष रूप से निर्दिष्ट है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(p) **"उद्देश्य"** या "**संपूर्ण उपयोग**" शब्द का अर्थ है वह उद्देश्य जिसके लिए लोनदाता ने उधारकर्ता को लोन प्रदान किया है, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में विशेष रूप से दर्ज है।
(q) **"आरबीआई निर्देश"** शब्द का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी भी निर्देश, नियम, परिपत्र और संबंधित सूचना।
(r) **"ब्याज दर"** शब्द का अर्थ है लोन पर लागू होने वाली ब्याज दर, जैसा कि खंड 2 और इस अनुबंध की अनुसूची में दर्ज है।
(s) **"भुगतान"** शब्द का अर्थ है लोन की मूल राशि का पुनर्भुगतान, ब्याज के साथ, लागू दंडात्मक शुल्क (यदि कोई हो) और अन्य शुल्क, फीस या व्यय, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में विशेष रूप से निर्दिष्ट है।
(t) **"भुगतान चेक"** शब्द का अर्थ है लोन की किश्त के भुगतान हेतु उधारकर्ता द्वारा लोनदाता के पक्ष में जारी किए गए चेक, जिसकी तिथि प्रत्येक किश्त की तिथि से मेल खाती हो।
(u) "**भुगतान अनुसूची**" शब्द का अर्थ है राशि के भुगतान के लिए अनुसूची, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में अधिक विशेष रूप से दर्ज है।
(v) "**स्वीकृति पत्र**" शब्द का अर्थ है अनुसूची में दर्ज स्वीकृति पत्र, जिसे लोनदाता द्वारा जारी और उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है, और इसे उधारकर्ता द्वारा भरा और प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र के साथ पढ़ा जाएगा।
(w) "**अनुसूची**" शब्द का अर्थ है और इसमें इस अनुबंध से संलग्न अनुसूची शामिल है, जो इस अनुबंध का जरूरी हिस्सा है।
(x) "**सुरक्षा**" शब्द का अर्थ खंड 8 में निर्दिष्ट अनुसार होगा।
(y) **"स्थायी निर्देश"** शब्द का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को दिए गए लिखित निर्देश, जिसमें उधारकर्ता के खाते से किश्त राशि की कटौती के लिए निर्देश दिया गया हो, जैसा कि इस अनुबंध की अनुसूची में विशेष रूप से निर्दिष्ट है।
(z) पुरुष लिंग के संदर्भ में महिला और निरपेक्ष लिंग शामिल हैं और इसके विपरीत भी शामिल हैं; एकवचन में बहुवचन और इसके विपरीत भी शामिल हैं।

1. ऋण की शर्तें

(a) उधारकर्ता ने वाहन की सुरक्षा के बदले, इस उद्देश्य के लिए लोन के लिए लोनदाता से संपर्क किया है और लोनदाता, संपत्ति की सुरक्षा के बदले, यहां बताई गई शर्तों पर, उधारकर्ता को इस उद्देश्य के लिए लोन देने के लिए सहमत है।
(b) यह अनुबंध, जो लोनदाता और उधारकर्ता के बीच लोन के संबंध में किया गया है, शुद्ध वित्तीय व्यवस्था है और उधारकर्ता उस वाहन/संपत्ति से संबंधित सभी जोखिम वहन करेगा जो इस अनुबंध के तहत प्राप्त वित्तपोषण के माध्यम से खरीदी गई है।
(c) उधारकर्ता अनुसूची में निर्दिष्ट अग्रिम शुल्क लोनदाता को भुगतान करने के लिए सहमति देता है। वैकल्पिक रूप से, उधारकर्ता लोनदाता को अधिकार देता है कि वह अग्रिम शुल्क को लोन राशि से काटकर शेष राशि उधारकर्ता या संपत्ति के विक्रेता/डीलर/विक्रेता के खाते में वितरित करे, जैसा कि अनुसूची में दर्ज है। उधारकर्ता पुष्टि करता है कि अग्रिम शुल्क की कटौती के बावजूद, उधारकर्ता का लोनदाता को पुनर्भुगतान का दायित्व पूरी लोन राशि, ब्याज दर पर देय ब्याज, दंडात्मक शुल्क (*यदि कोई हो*) और अन्य शुल्क, फीस और व्यय सहित, अनुसूची के अनुसार लागू रहेगा।
(d) उधारकर्ता, वाहन की हालत, डिलीवरी या कब्जा या किसी और स्थिति पर ध्यान दिए बिना, तय तारीखों पर अनुसूची के हिसाब से किश्तें/समान मासिक किश्त (ईएमआई) देना जारी रखेगा।
(e) इस अनुबंध के तहत प्रदान किया गया लोन उस अवधि के लिए होगा, जैसा कि अनुसूची में 'लोन की अवधि' के तहत निर्दिष्ट है, और वह तिथि से शुरू होगा, जब तक कि यह अनुबंध यहां निर्दिष्ट तरीके से समाप्त न हो।
(f) एक बार आवेदन पत्र उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को प्रस्तुत कर दिया गया, तो उधारकर्ता लोन कैंसल करने या वितरण अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखेगा, सिवाय कूलिंग अवधि या लोनदाता की स्वीकृति के। यदि लोन कूलिंग अवधि समाप्त होने के बाद लोनदाता की स्वीकृति से कैंसल किया जाता है, तो उधारकर्ता अनुसूची के अनुसार कैंसलेशन शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत है।
(g) उधारकर्ता संपत्ति की कीमत में किसी भी वृद्धि और/या संपत्ति के बीमा/पंजीकरण लागत का पूरा जिम्मेदार होगा।
(h) लोनदाता और उधारकर्ता के बीच लोनदाता और उधारकर्ता के तौर पर रिश्ता इस अनुबंध की तारीख से शुरू होगा और तब तक रहेगा जब तक इस अनुबंध के तहत और दूसरे सभी वित्तीय दस्तावेज के तहत उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को दिए जाने वाले सभी पैसे लोनदाता को पूरी तरह से भुगतान नहीं कर दिए जाते और उन्हें उनकी संतुष्टि के अनुसार मिल नहीं जाते।

2. वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(a) इस अनुबंध के निष्पादन की तारीख को लोन के लिए ब्याज दर अनुसूची में बताया गया है, और उधारकर्ता को लोन वितरण/लोन चेक जारी करने की तारीख से इसे भुगतान करना होगा, भले ही उधारकर्ता या उसके बैंक द्वारा चेक के ट्रांजिट, कलेक्शन, राशि प्राप्ति में कितना भी समय लगे।

(b) वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर अनुसूची में लोन अवधि के दौरान स्थिर रहेगी। हालांकि, लोनदाता को अपने विवेक पर लोन अवधि के दौरान ब्याज दर और वार्षिक प्रतिशत दर में समय-समय पर वृद्धि या कमी करने का अधिकार होगा, अगर निम्न घटनाएं घटित होती हैं:
   (i) आरबीआई संपत्ति पर मानक प्रावधान में संशोधन करने पर; और/या
   (ii) आरबीआई द्वारा संपत्तियों के लिए जोखिम भार बढ़ाने पर; और/या
   (iii) केवल लोनदाता के विवेकानुसार, उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता में गिरावट होने पर; और/या
   (iv) नियामक प्राधिकरणों/आरबीआई के बाहरी प्रचलित निर्देशों में बदलाव होने पर।

   वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर में बदलाव के बारे में उधारकर्ता को सूचित किया जाएगा और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा। **लोनदाता सुनिश्चित करेगा कि वार्षिक प्रतिशत दर और ब्याज दर में ऐसा परिवर्तन केवल भावी प्रभाव के लिए किया जाए।**

(c) ब्याज लोन वितरण/चेक जारी होने की तिथि से लागू होगी, चाहे संग्रह और राशि प्राप्ति में किसी भी प्रकार की देरी हो, और इसे दैनिक आधार पर घटती शेष राशि पर अगले पूरे रुपये में राउंड ऑफ किया जाएगा। ब्याज वर्ष में 360 दिनों और वास्तविक दिनों के आधार पर गणना की जाएगी। ब्याज की गणना एक वर्ष में 360 (तीन सौ साठ) दिनों और वास्तव में बीते दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

(d) जोखिम के स्तर और ब्याज दर लेने के तर्क का दृष्टिकोण लोनदाता की ब्याज दर की नीति में दर्ज है (जो लोनदाता की वेबसाइट पर उपलब्ध है) और उधारकर्ता द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि उसने लोनदाता की ब्याज दर नीति पढ़ी है और ब्याज दर लेने का तर्क समझा है।

(e) उधारकर्ता, मांग पर, अनुसूची में बताए गए सभी लागू खर्च और लागत लोनदाता को तुरंत देने का वादा करता है, जिसमें सुरक्षा के तौर पर दी गई वाहन की जांच/निरीक्षण के लिए शुल्क, दस्तावेज शुर्क, स्टाम्पिंग शुल्क शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(f) इस अनुबंध के तहत उधार लेना, उधारकर्ता/गारंटर और लोनदाता के बीच एक व्यापारिक सौदा है, और उधारकर्ता/गारंटर सूदखोरी लोन अधिनियम, 1918 या ब्याज से संबंधित किसी भी अन्य कानून के तहत किसी भी सुरक्षा का दावा नहीं करेगा।

(g) लोनदाता को यहां मिले दूसरे सभी अधिकारों, ब्याज, उपायों पर कोई प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली सभी राशि, संबंधित बकाया तिथियों पर उधारकर्ताओं के लोन खाते से काट ली जाएगी/डेबिट कर ली जाएगी और इसे लोन के तहत बकाया राशि का हिस्सा माना जाएगा।

3. अग्रिम शुल्क

उधारकर्ता बिना किसी दबाव या अनुचित प्रभाव के, अनुसूची में निर्दिष्ट अग्रिम शुल्क लोनदाता को भुगतान करने के लिए सहमति देता है। उधारकर्ता पुष्टि करता है कि अग्रिम शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, चाहे लोन का उपयोग न किया गया हो।

4. वितरण की शर्तें

(a) उधारकर्ता को लोन देने का तरीका बताना होगा, जो उधारकर्ता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकमुश्त या उपयुक्त किश्तों में हो सकता है। लोनदाता को वितरण के तरीके को निर्धारित करने का पूर्ण विवेकाधिकार होगा।

(b) लोनदाता द्वारा लोन देने से पहले, उधारकर्ता को संपत्ति की सुरक्षा (यदि लागू हो) के बदले में दिए गए अपने मार्जिन राशि, दस्तावेज शुल्क, लोन प्रोसेसिंग शुल्क, बीमा का प्रीमियम (यदि लागू हो) आदि का सबूत देना होगा।

(c) इस अनुबंध के तहत लोनदाता द्वारा उधारकर्ता को किए जाने वाले सभी वितरण चेक, उचित रूप से क्रॉस किया हुआ, प्राप्तकर्ता के खाते के नाम या डिमांड ड्राफ्ट या बैंकिंग प्रणाली द्वारा स्वीकार किए जाने वाले किसी अन्य माध्यम से लोनदाता के एकल विवेकाधिकार पर किए जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान/वितरण के तरीके भी शामिल हैं और उधारकर्ता के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे, जैसा कि अनुसूची में विशेष रूप से दर्ज है। उधारकर्ता प्रत्येक वितरित राशि की प्राप्ति की पुष्टि लोनदाता द्वारा अपेक्षित रूप में करेगा।

(d) उधारकर्ता सहमत है कि जिस तिथि को लोनदाता ने लोन वितरित किया, उसे वितरण तिथि और उधारकर्ता द्वारा लोन की वास्तविक प्राप्ति की तिथि माना जाएगा, चाहे संग्रह और राशि प्राप्ति में किसी भी प्रकार की देरी हुई हो।

(e) बीमा प्रीमियम वित्तपोषण:

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(i) उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है कि इंडोस्टार के पास जीवन और गैर-जीवन दोनों बीमा कंपनियों (ऐसी बीमा कंपनियों की विस्तृत सूची इंडोस्टार की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के साथ व्यवहार करने के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस है और इंडोस्टार (अपनी कॉर्पोरेट एजेंट की क्षमता में) के संबद्ध बीमाकर्ताओं में से किसी एक के माध्यम से उन बीमा पॉलिसियों की सुविधा प्रदान कर सकता है जिन्हें उधारकर्ता खरीदना चाहते हैं। इसके अलावा, उधारकर्ता समझते हैं कि उनके पास स्वयं से या किसी अन्य स्रोत या बीमा एजेंट के माध्यम से बीमा प्राप्त करने का विकल्प है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि, उधारकर्ता के अनुरोध पर, इंडोस्टार (अपनी कॉर्पोरेट एजेंट की क्षमता में) उन बीमा उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है जो इंडोस्टार (अपनी कॉर्पोरेट एजेंट की क्षमता में) के ज्ञान में हैं। उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है कि उनके लिए ऐसे किसी भी बीमा उत्पाद का लाभ उठाना अनिवार्य नहीं है और उधारकर्ता अपने पूर्ण विवेक और स्वतंत्र निर्णय पर किसी भी बीमा उत्पाद (जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति के लिए बीमा, आदि) का लाभ उठाने का विकल्प चुन सकते हैं। उधारकर्ता किसी भी ऐसे बीमा उत्पाद का लाभ सीधे बीमा कंपनी से उन नियमों और शर्तों के अनुसार और ऐसी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं के अनुपालन में ले सकते हैं। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उधारकर्ता द्वारा लिए गए किसी भी बीमा उत्पाद के लिए इंडोस्टार किसी भी तरह से उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा।

(ii) उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता इस प्रकार स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि इंडोस्टार (कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में) केवल बीमा कंपनी/बीमा सुविधा प्रदाता (जैसा लागू हो) के लिए कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करेगा और प्रीमियम भुगतान और बीमा अनुबंध उधारकर्ता और बीमा कंपनी के बीच होगा और संबंधित बीमा कंपनी के साथ उधारकर्ता द्वारा बीमा का अलग अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि बीमा कंपनी पॉलिसी जारी करने या अस्वीकार करने का अधिकार रखती हैं।

(iii) अगर बीमा इंडोस्टार के संबद्ध बीमा कंपनियों में से किसी एक से खरीदी जाती है (कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में):

(A) उधारकर्ताओं द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि जिस बीमा को वे खरीदने का प्रस्ताव करते हैं, उससे संबंधित आवश्यक जानकारी और नियम एवं शर्तें उन्हें प्राप्त हो चुकी हैं, या जिस बीमा को वे खरीदने का प्रस्ताव करते हैं उससे संबंधित आवश्यक जानकारी और नियम एवं शर्तें इंडोस्टार के प्रतिनिधि (कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में) द्वारा उधारकर्ताओं को उनकी समझ में आने वाली स्थानीय भाषा में समझाई गई हैं, और उधारकर्ताओं ने ऐसी जानकारी और नियम एवं शर्तों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है। इसके अलावा, उधारकर्ता स्वीकार करता है कि वह यह भी जानता है कि वह बीमा से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/विवरण (अगर कोई हो) बीमा कंपनी की वेबसाइट या ब्रॉशर से प्राप्त कर सकता है;

(B) उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने इंडोस्टार (कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में) और बीमा कंपनी के संपर्क विवरण जैसे संपर्क नंबर और ईमेल आईडी नोट कर लिए हैं, ताकि अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने, शिकायत दर्ज करने या दावा दायर करने के लिए उनसे संपर्क किया जा सके;

(C) उधारकर्ता इसके द्वारा उधारकर्ता द्वारा खंड 4(e) के तहत निर्धारित किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए इंडोस्टार पर लगाई गई, इंडोस्टार द्वारा की गई, या इंडोस्टार के विरुद्ध दावा की गई किसी भी और सभी देनदारियों, दायित्वों, नुकसान, क्षति, दंड, कार्रवाई, निर्णय, मुकदमों, लागतों, खर्चों या किसी भी प्रकार के वितरण से इंडोस्टार को क्षतिरहित रखने के लिए सहमत हैं।

(iv) लोनदाता, उधारकर्ता के अनुरोध पर, उधारकर्ता की अपनी इच्छा के अनुसार उधारकर्ता की पसंद की किसी भी बीमा कंपनी से ली गई बीमा पॉलिसी (जैसे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति के लिए बीमा, आदि) के प्रीमियम का वित्तपोषण भी कर सकता है, जिस स्थिति में, लोनदाता द्वारा इस प्रकार वित्तपोषित राशि को लोन का हिस्सा माना जाएगा और ब्याज और सुरक्षा सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, इस अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी। उधारकर्ता इसके द्वारा ऐसी सभी बीमा पॉलिसियों में लोनदाता को 'नुकसान के लिए प्राप्तकर्ता' के रूप में नामित करने के लिए सहमत होता है और सहमत होता है कि लोनदाता का ऐसी बीमा की किसी भी आय पर पहला दावा और अधिकार होगा, जिसमें दावा सेटलमेंट की स्थिति भी शामिल है। अगर उधारकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित बीमा के संबंध में लोनदाता कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, तो उधारकर्ताओं द्वारा लोनदाता को उसकी/उनकी चुनी हुई बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम का भुगतान सीधे करने की सहमति दी जाती है, और लोनदाता बीमा प्रीमियम की राशि को उचित समयावधि के भीतर बीमा प्रदाता को प्रेषित करने के लिए सभी युक्तिसंगत कदम उठाएगा। हालांकि, अगर

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

प्रीमियम राशि लोनदाता द्वारा उधारकर्ता को दी जाती है, तो उधारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि यह राशि केवल संबंधित बीमा कंपनी को प्रीमियम भुगतान के लिए ही उपयोग की जाए।

(v) अगर बीमा प्रीमियम का वित्तपोषण लोनदाता द्वारा नहीं किया जाता है और/या किसी भी कारण से बीमा प्रदाता द्वारा उसे स्वीकृत नहीं किया जाता है, या बीमा प्रदाता द्वारा कम बीमित राशि के साथ बीमा स्वीकृत किया जाता है, और बीमा प्रदाता द्वारा बीमा प्रीमियम की पूरी या आंशिक राशि वापस की जाती है, तो उधारकर्ता द्वारा यह सहमति दी जाती है कि ऐसी राशि को उधारकर्ता के लोन खाते में जमा किया जाएगा और इस अनुबंध के तहत बकाया देय राशियों के भुगतान/चुकौती में समायोजित किया जाएगा।

(vi) अगर बीमा प्रीमियम की राशि में कोई वृद्धि होती है या बीमा प्रदाता द्वारा मांगी गई वास्तविक बीमा प्रीमियम की राशि, लोनदाता द्वारा स्वीकृत या प्रदान की गई राशि से अधिक होती है, तो उधारकर्ता इसके द्वारा यह सहमति देता है और वचन देता है कि वह इस अंतर की राशि का भुगतान अपने स्वयं के स्रोतों से बीमा प्रदाता को करेगा।

(vii) उधारकर्ता द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि वह इस बात से अवगत है कि अगर बीमा प्राप्त करने के लिए आवेदन जमा करने के बाद लेकिन बीमा पॉलिसी जारी होने से पहले उसकी आयु में परिवर्तन हो जाता है, तो बीमाकर्ता नई आयु के अनुसार लागू प्रीमियम लगाएगा या बीमा की शर्तों में उसी अनुसार परिवर्तन करेगा।

5. पूर्व शर्तें

लोन राशि लोनदाता द्वारा उधारकर्ता को निम्न पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने पर वितरित की जाएगी। उधारकर्ता/गारंटर इस अनुबंध की तारीख से पहले या लोनदाता द्वारा बढ़ाई गई तारीख के भीतर नीचे दर्ज पूर्ववर्ती शर्तों का अनुपालन करेंगे। ऐसी तारीख तक पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप लोनदाता लोन वितरित करने से इनकार कर सकता है और यदि किसी कारण या असाधारण परिस्थितियों में, पहले से वितरित किया गया है, तो लोनदाता द्वारा वापस लिया जाएगा। उधारकर्ता/गारंटर द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यक पूर्ववर्ती शर्तें हैं:

(a) इस अनुबंध में शामिल उधारकर्ता/गारंटर के प्रतिनिधित्व और वारंटी (i) इस तिथि पर और (ii) लोन के तहत इच्छित वितरण की तिथि पर (जैसे कि उस तिथि पर दी गई हो) सत्य होंगे।

(b) यदि लोनदाता ऐसा चाहता है, तो उधारकर्ता को बैंक गारंटी का इंतजाम करना होगा और/या लोन की राशि के लिए लोनदाता के पक्ष में डिमांड प्रॉमिसरी नोट बनाना होगा।

(c) उधारकर्ता को लोनदाता द्वारा जरूरी पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस/ई-एनएसीएच मैंडेट पूरे करके लोनदाता को देने होंगे।

(d) उधारकर्ता और/या गारंटर नीचे दिए गए खंड 8 के अनुसार सुरक्षा देने के लिए सहमत होंगे और उधारकर्ता और/या गारंटर को लोनदाता की संतुष्टि के लिए ऐसी सुरक्षा बनानी होगी। उधारकर्ता/गारंटर के पास सुरक्षा पर स्पष्ट और बिक्री योग्य टाइटल होगा, जो सभी बोझों, लियन और टाइटल के दोषों से मुक्त होगा। बशर्ते कि, जहां उधारकर्ता/गारंटर को सुरक्षा बनाने के लिए किसी सहमति की जरूरत हो, तो उधारकर्ता/गारंटर को लोन लेने से पहले ऐसी सभी सहमतियां भी लेनी होंगी।

(e) डिफॉल्ट की कोई घटना नहीं हुई होगी।

(f) कोई असाधारण या अन्य परिस्थितियां नहीं हुई होंगी जो उधारकर्ता के लिए इस अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा करना असंभव बना देंगी।

(g) उधारकर्ता/गारंटर और/या ऐसे व्यक्ति जिसे लोनदाता की आवश्यकता हो सकती है, ने ऐसे अन्य दस्तावेजों या लेखों को निष्पादित किया होगा जिनकी लोनदाता को आवश्यकता हो सकती है और ऐसे अन्य कार्यों को किया होगा और ऐसे अन्य दस्तावेजों को निष्पादित किया होगा जिनकी लोनदाता को आवश्यकता हो सकती है।

(h) यदि उधारकर्ता कोई व्यक्ति नहीं है और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधारकर्ता का कुल लोन ₹ 5,00,00,000 (सिर्फ पांच करोड़ रुपये) से ज्यादा है, तो उधारकर्ता को कानूनी इकाई पहचान कोड लेना होगा और उसे लोनदाता को देना होगा।

6. पुनर्भुगतान

(a) उधारकर्ता को कूलिंग अवधि के दौरान स्वेच्छा से लोन राशि का पुनर्भुगतान करने का अधिकार होगा। इसके लिए उधारकर्ता को लोन राशि के साथ-साथ ब्याज दर के अनुसार, जितने दिनों तक लोन लिया गया है उतने दिनों का अनुपातिक ब्याज, और भुगतान/पुनर्भुगतान की तिथि तक देय सभी अन्य बकाया राशियों का भुगतान करना होगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(b) उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को दिया जाने वाला सारा पैसा, बिना किसी कटौती के, बकाया तिथि पर या उससे पहले लोनदाता के पंजीकृत/शाखा कार्यालय में भुगतान किया जाएगा। यदि उधारकर्ता कोई भी राशि बकाया तिथि से पहले लोनदाता को देता है, तो वह सिर्फ बकाया तिथि पर या उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को जारी किए गए इंस्ट्रूमेंट के मिलने पर ही उधारकर्ता के खाते में क्रेडिट की जाएगी।

(c) उधारकर्ता इस अनुबंध के तहत लोनदाता को देय सभी धनराशियों का भुगतान बिना किसी देरी या चूक के करेगा। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि, पुनर्भुगतान अनुसूची का कड़ाई से अनुपालन करना इस अनुबंध के तहत लोन देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

(d) ब्याज दर पर ब्याज के साथ लोन का पुनर्भुगतान और ऐसे अन्य शुल्क और राशियां, जिनमें दंड शुल्क (*यदि कोई हो*) शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, उधारकर्ता द्वारा अपने स्वयं के बैंक खाते से, अनुसूची में निर्धारित शर्तों के अनुसार किश्तों में किया जाएगा। लोनदाता अनुसूची में दिए गए किश्त की राशि की पुनः गणना कर सकता है; लेकिन इसका इस अनुबंध के तहत लोनदाता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(e) किश्तों का भुगतान शुरू होगा और जारी रहेगा, भले ही डीलरों/निर्माताओं/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उधारकर्ता को परिसंपत्ति की डिलीवरी में देरी हो या वह डिलीवरी न करे और उधारकर्ता को डीलरों/निर्माताओं/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ या परिसंपत्ति की डिलीवरी के संबंध में या स्वयं परिसंपत्ति के संबंध में कोई विवाद, आपत्ति, विरोध, शिकायत या समस्या हो।

(f) उधारकर्ता को बकाया तिथि पर नियमित किश्त चुकाने या कोई पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस/ई-एनएसीएच की प्रस्तुति की उसकी जिम्मेदारी के बारे में कोई नोटिस, रिमाइंडर या जानकारी नहीं दी जाएगी।

(g) दंडात्मक शुल्क (*यदि कोई हो*) लगाने से, लोन देने के लिए जरूरी शर्त के तौर पर पुनर्भुगतान अनुसूची का सख्ती से पालन करने की उधारकर्ता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होगी।

(h) उधारकर्ता मासिक किश्त की गणना करने की लोनदाता की विधि के साथ-साथ मूलधन और ब्याज में इसके विभाजन को पढ़ने, समझने और इससे सहमत होने की पुष्टि करता है।

(i) यदि बकाया तिथि छुट्टी वाले दिन पड़ती है, तो भुगतान ठीक पहले वाले कामकाजी दिन पर करना होगा।

(j) देय राशि के बारे में उठाए जा रहे किसी भी विवाद से उधारकर्ता को किसी भी किश्त के भुगतान को रोकने का अधिकार नहीं मिलेगा।

(k) इस अनुबंध के तहत किए जाने वाले सभी भुगतान:

   (i) किसी भी कर (एक "**कर कटौती**") के लिए बिना किसी कटौती या रोक के भुगतान किए जाएंगे जब तक कि कानून द्वारा कर कटौती की आवश्यकता न हो; और

   (ii) किसी भी सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, उपकर, मूल्य वर्धित कर या इसी प्रकार के किसी कर ("**अप्रत्यक्ष कर**") से अलग हैं। अगर किसी प्रकार का अप्रत्यक्ष टैक्स देय होता है, तो उधारकर्ता को वह टैक्स राशि भी संबंधित भुगतान प्राप्तकर्ता को उसी समय भुगतान करनी होगी, जितनी राशि का अप्रत्यक्ष टैक्स लागू होता है।

7. किश्तों के भुगतान का तरीका:

(a) यहां दिए गए नियम और शर्तों के अधीन, पुनर्भुगतान पुनर्भुगतान चेक या डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) या स्थायी निर्देश या ईसीएस या ई-एनएसीएच या बैंक द्वारा स्वीकार किए गए अन्य तरीके से किया जाएगा, ताकि उधारकर्ता के बैंक खाते से सीधे डेबिट द्वारा देय किश्त रिकवरी जा सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि उधारकर्ता को लोन के पुनर्भुगतान के लिए ई-एनएसीएच को निर्दिष्ट समय में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा जैसा कि लोनदाता द्वारा सूचित किया गया है; हालांकि, यदि ई-एनएसीएच निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पंजीकृत नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में उधारकर्ता को पुनर्भुगतान चेक जमा करना अनिवार्य होगा।

(b) किश्त के कलेक्शन के लिए बैंक में कोई भी पुनर्भुगतान चेक या ईसीएस या ई-एनएसीएच प्रस्तुत करने से पहले उधारकर्ता को कोई नोटिस या रिमाइंडर नहीं दिया जाएगा। उधारकर्ता को पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस/ई-एनएसीएच की रिकवरी के लिए देय तिथि पर पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना होगा।

(c) उधारकर्ता इस बात से सहमत है और समझता है कि किसी भी वजह से लोनदाता के किसी भी पुनर्भुगतान चेक को प्रस्तुत न करने से उधारकर्ता की लोन चुकाने की जिम्मेदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोनदाता किसी भी वजह से किसी भी पुनर्भुगतान चेक को कैश कराने में देरी या लापरवाही, नुकसान या खोने के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।

(d) यदि इस अनुबंध के अनुसार उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को दिए गए पुनर्भुगतान चेक / ईसीएस/ई-एनएसीएच लोनदाता के पास रहते हुए खो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं या गलत जगह रख दिए जाते हैं, या फिर निम्न कारणों से

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

भुनाए नहीं जा सकते, जैसे, हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की मृत्यु, दिवालियापन, मानसिक अस्वस्थता, अधिकार समाप्त होना, या यदि एक से अधिक हस्ताक्षरकर्ता हों तो उनमें से किसी का ऐसा होना, या आहर्ता बैंक का परिसमापन या उस पर मोरेटोरियम लगना, तो ऐसी स्थिति में उधारकर्ता, लोनदाता से खोने, नष्ट होने या गलत जगह रखे जाने की सूचना मिलने पर, या ऊपर बताए गए कारणों से चेक के भुनाए न जा सकने की स्थिति होने पर, लोनदाता को उतनी संख्या में नए चेक देगा जो खोए, नष्ट हुए, गलत जगह रखे गए या भुनाए न जा सकने वाले चेकों की जगह लेने के लिए पर्याप्त हों, या फिर लोन की अदायगी के लिए कोई अन्य उपयुक्त व्यवस्था करेगा, जो लोनदाता को स्वीकार्य हो।

(e) यदि जरूरी हो, तो उधारकर्ता, लोनदाता की अनुमति लेकर, एक बैंक से जारी और निकाले गए पुनर्भुगतान चेक को दूसरे बैंक के चेक से स्वैप/इंटरचेंज कर सकता है। इसके लिए वह लोनदाता को हर रिप्लेसमेंट के लिए अनुसूची में बताई गई राशि का स्वैप चार्ज देगा।

(f) उधारकर्ता उस बैंक खाते को, जिस पर पुनर्भुगतान चेक आहरित/जारी किए गए हैं, इस अनुबंध के तहत अपनी देनदारी के पूर्ण निर्वहन तक बंद नहीं करेगा। यदि उधारकर्ता किसी भी वजह से बैंक खाता बंद करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता को लोनदाता के नाम जारी किए गए पुनर्भुगतान चेक को अनुसूची के हिसाब से स्वैप चार्ज के भुगतान के साथ बदलना होगा।

(g) इस अनुबंध और/या प्रचलित विधि के तहत लोनदाता को उपलब्ध अन्य किसी भी अधिकार या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक प्रस्तुति पर प्रत्येक पुनर्भुगतान चेक/ इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा/ इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय स्वचालित क्लीयरेंस के चूक के लिए उधारकर्ता अनुसूची में निर्दिष्ट दर के अनुसार चेक चूक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। पुनर्भुगतान चेक/ इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा/ इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय स्वचालित क्लीयरेंस के चूक पर लगाए गए शुल्क, परक्राम्य इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881, समय-समय पर संशोधित और प्रवर्तित, और अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत लोनदाता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे। उधारकर्ता ऐसे चूके हुए पुनर्भुगतान चेक/ इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा/ इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय स्वचालित क्लीयरेंस को लोनदाता को स्वीकार्य वैकल्पिक भुगतान माध्यम से प्रतिस्थापित करेगा।

(h) उधारकर्ता अनुसूची में दर्ज अनुसार विलंबित भुगतान के लिए और यदि भुगतान पुनर्भुगतान चेक/ इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा/ इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय स्वचालित क्लीयरेंस/ मांग पत्र द्वारा नहीं किया जाता है, तो रिकवरी शुल्क के रूप में शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(i) जहां प्रेषण बाहरी स्टेशन चेक के माध्यम से किए जाते हैं, वहां उधारकर्ता इस अनुबंध की अनुसूची में निर्धारित चेक रिकवरी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(j) जब तक लोन या कोई बकाया राशि शेष है, उधारकर्ता पुनर्भुगतान चेक/ इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा/ इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय स्वचालित क्लीयरेंस के संबंध में भुगतान कैंसल करने या रोकने का निर्देश देने का अधिकारी नहीं होगा और ऐसा कार्य लोनदाता को छल करने के आशय से किया गया माना जाएगा, ऐसी परिस्थितियों में लोनदाता उधारकर्ता के विरुद्ध उपयुक्त आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करने का अधिकारी होगा।

(k) इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा स्वैच्छिक पुनर्भुगतान की स्थिति में, उधारकर्ता लोनदाता के पास रखे पुनर्भुगतान चेकों को 30 (तीस) दिनों के भीतर प्राप्त करेगा, अन्यथा लोनदाता को उन्हें नष्ट करने का अधिकार होगा।

8. प्रतिभूति

(a) लोनदाता द्वारा यहां दर्ज नियमों और शर्तों के अधीन उधारकर्ता को लोन सुविधा प्रदान करने की सहमति के प्रतिफलस्वरूप, उधारकर्ता यहां लोन की सुरक्षा, ब्याज दर पर देय राशि, दंडात्मक शुल्क (*यदि कोई हो*) और इस अनुबंध के तहत देय सभी अन्य लागतों, शुल्कों और व्ययों (“**सुरक्षा**”) को सुरक्षित करने हेतु, लोनदाता के पक्ष में, संपत्ति को बंधक रखता है/बंधक रखने और सृजित करने के लिए सहमत होता है:

(i) संपत्ति पर प्रथम विशिष्ट प्रभार सहित और उस संपत्ति में या उस पर वर्तमान या भविष्य में किए गए सभी सहायक उपकरण, संवर्धन, सुधार, नवीनीकरण और प्रतिस्थापन सहित;

(ii) गारंटर की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय गारंटी; और

(iii) लोनदाता के पक्ष में देय डिमांड प्रॉमिसरी नोट।

उधारकर्ता सहमत है और यह प्रतिज्ञा करता है कि लोनदाता के परिसंपत्ति पर शुल्क को पूर्ण करने के लिए आवश्यकतानुसार कानून या लोनदाता द्वारा निर्धारित अतिरिक्त दस्तावेजों को निष्पादित करेगा और/या संबंधित प्राधिकरणों के साथ पंजीकृत करेगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(b) संपत्ति का बंधक इस अनुबंध पर हस्ताक्षर होते ही या उधारकर्ता को संपत्ति/संपत्तियों के सुपुर्द किए जाने पर, जो भी पहले हो, प्रभावी माना जाएगा।

(c) उधारकर्ता विधि में निर्धारित समय के भीतर संपत्ति/वाहन को अपने नाम पर पंजीकृत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लोनदाता के पक्ष में संपत्ति/वाहन का बंधक पंजीकरण प्रमाण पत्र पुस्तक और बीमा पॉलिसी में विधिवत अभिलिखित और अंकित हो। लोनदाता के पक्ष में सुरक्षा सृजन हेतु शुल्क और व्यय केवल उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(d) जब तक लोनदाता द्वारा लिखित रूप में बंधक से संपत्ति मुक्त नहीं की जाती, उधारकर्ता लोनदाता की पूर्व स्वीकृति के बिना संपत्ति या उसके किसी भाग पर किसी अन्य प्रकार का बंधक, प्रभार, गिरवी, लियन या भार किसी भी प्रकार से सृजित या स्थानांतरित नहीं करेगा। उधारकर्ता संपत्ति या उसके किसी हिस्से का कब्जा नहीं छोड़ेगा, किराए पर नहीं देगा, लीज पर नहीं देगा, लीज या लीव व लाइसेंस नहीं देगा या किसी और तरह से उससे डील नहीं करेगा और ऐसा कोई काम, काम, बात या चीज करने की अनुमति नहीं देगा या होने नहीं देगा जिससे संपत्ति पर कर्ज देने वाले के अधिकार और हित पर बुरा असर पड़े या किसी भी तरह से नुकसान हो।

(e) यदि इस अनुबंध के निष्पादन के समय संपत्ति उधारकर्ता को सुपुर्द नहीं की गई है या पंजीकरण/बंधक प्रभावी नहीं हुआ है, तो संपत्ति का विवरण, जिसमें पंजीकरण और ऐसे अन्य विवरण शामिल हैं, नीचे दी गई अनुसूची में ऐसे समाविष्ट किए जाएंगे मानो वे इस अनुबंध के निष्पादन के समय ही समाविष्ट किए गए हों। उधारकर्ता इसके परिणामस्वरूप अनुबंध में परिवर्तन का कोई आधार उठाने या इस अनुबंध पर प्रश्न करने या संपत्ति पर लोनदाता के पक्ष में सृजित प्रभार की वैधता या प्रवर्तनीयता पर प्रश्न करने का अधिकारी नहीं होगा।

(f) संपत्ति का बंधक तब तक प्रभावी और प्रवर्तित रहेगा जब तक उधारकर्ता द्वारा इस अनुबंध या किसी अन्य अनुबंध के तहत लोनदाता को देय सभी राशियों, जिसमें ब्याज दर पर देय राशि, दंडात्मक शुल्क (*यदि कोई हो*) और इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार देय सभी अन्य राशियां शामिल हैं, का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता और जब तक लोनदाता द्वारा बकाया न होने का प्रमाण पत्र/यहां सृजित सुरक्षा से मुक्त करने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता।

(g) उधारकर्ता की मृत्यु, दिवालियापन, लेनदारों से अनुबंध, शारीरिक/मानसिक अक्षमता, कंपनी बंद होने (अपने विवेक से या किसी और तरह से), विलय या एकीकरण, प्रबंधन का अधिग्रहण, विघटन या राष्ट्रीयकरण जैसी किसी भी स्थिति में भी यह गिरवी (हाइपोथेकेशन) मान्य रहेगा और समाप्त नहीं होगा।

(h) गारंटर यहां बिना शर्त उधारकर्ता द्वारा इस अनुबंध के तहत देय प्रत्येक राशि के विधिवत और शीघ्र पुनर्भुगतान की गारंटी देता है और इस अनुबंध में दर्ज सभी उपबंधों और शर्तों के विधिवत पालन और अनुपालन की गारंटी देता है। गारंटर यह पुष्टि करता है कि, यदि लोनदाता उधारकर्ता को किसी भी राशि के भुगतान के लिए समय देता है या लोनदाता गिरवी रखे गए संपत्ति पर अपना अधिकार लागू करने में विफलता, चूक या अक्षमता की कोई और वजह बताता है, तो उसे गारंटर की दी गई गारंटी से छूट नहीं मिलेगी। गारंटर सहमत है कि वह उधारकर्ता के साथ संयुक्त रूप से मुख्य देनदार है और इस प्रकार भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 का खंडओं 133, 134, 139 और 141 या उसके तहत किसी अन्य प्रावधानों के तहत गारंटर को प्रदत्त किसी भी अधिकार का परित्याग करता है। लोनदाता को अपने विवेक से किसी भी क्रम में उधारकर्ता/गारंटर के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार है और गारंटर सहमत है कि वह किसी भी आधार पर लोनदाता द्वारा किए गए दावे पर प्रश्न नहीं करेगा।

(i) लोनदाता किसी भी समय, अपने एकमात्र विवेक से, उधारकर्ता से ऐसी अतिरिक्त सुरक्षा, जिसमें किसी थर्ड पार्टी की गारंटी/गारंटियां शामिल हो सकती हैं, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा वह उचित समझे। ऐसी स्थिति में उधारकर्ता लोनदाता की संतुष्टि तक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा और इस संबंध में लोनदाता द्वारा अपेक्षित ऐसे अनुबंध, उपक्रम, दस्तावेज, पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करेगा। उधारकर्ता ऐसे किसी अनुबंध, अनुबंध, उपक्रम, दस्तावेज आदि को तब तक कैंसल या समाप्त नहीं करेगा जब तक कि इस अनुबंध के तहत लोनदाता को देय सभी राशियों का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता और लोनदाता द्वारा ऐसा प्रमाणित नहीं किया जाता।

(j) उधारकर्ता और गारंटर दोनों इस बात पर सहमत हैं और वादा करते हैं कि बंधक, गारंटी या किसी अन्य सुरक्षा के बावजूद, वे इस अनुबंध के तहत लोनदाता को देय सभी राशियों के भुगतान के लिए सदैव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे, जिन्हें लोनदाता के अन्य उपलब्ध अधिकारों या उपायों की परवाह किए बिना उनके विरुद्ध, उनकी संपत्ति और परिसंपत्तियों के विरुद्ध प्रवर्तित किया जा सकता है।

(k) उपरोक्त में निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी चूक की घटना पर, उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को देय या किसी भी समय देय हो सकने वाली सभी या किसी भी राशि के विधिवत भुगतान और निर्वहन के लिए, उधारकर्ता

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

लोनदाता को स्वीकार्य ऐसी संपत्ति पर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने और बंधक/प्रभार सृजित करने के लिए सहमत होता है।

(l) जहां उधारकर्ता एक कंपनी है, उधारकर्ता और गारंटर लोनदाता के पक्ष में संपत्ति पर प्रभार के निर्माण के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ("**आरओसी**") के साथ निर्धारित फॉर्म दाखिल करने के लिए सहमत होता है।

(m) उधारकर्ता और गारंटर यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत होता है और वचनबद्ध होता है कि संपत्तियां वाहन पोर्टल या ऐसे अन्य पोर्टल पर पंजीकृत हैं, और/या वाहन पोर्टल या ऐसे अन्य पोर्टल पर संपत्ति के पंजीकरण को नवीनीकृत करता है या उधारकर्ता और गारंटर यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत होता है और वचनबद्ध होता है कि लोनदाता के पक्ष में संपत्ति पर प्रभार के निर्माण और प्रभार की पूर्णता के लिए केंद्रीय प्रतिभूतिकरण, संपत्ति पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित भारत की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ निर्धारित फॉर्म दायर किया गया है।

(n) उधारकर्ता और गारंटर सहमत और वादा करता है कि, बंधक, गारंटी या किसी अन्य सुरक्षा के बावजूद, जब तक उधारकर्ता और गारंटर के पास उधारकर्ता के साथ संपादित किसी अन्य अनुबंध के तहत कोई दायित्व है, तब तक लोनदाता को ऐसी सुरक्षा/संपत्तियों पर प्रभार और कब्जा लेने का अधिकार जारी रहेगा।

(o) किसी भी दूसरे दस्तावेज में लोनदाता के अधिकारों पर कोई प्रभाव डाले बिना, इस अनुबंध के तहत बताए गए किसी भी डिफॉल्ट की घटना होने पर या इस अनुबंध की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, लोनदाता के पास सुरक्षा को लागू करने और लोन सेटलमेंट के लिए उधारकर्ता द्वारा दी गई किसी भी सुरक्षा को किसी भी क्रम में, जैसा वह सही और उचित समझे, इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार होगा।

(p) यदि लोनदाता के पक्ष में चार्ज की गई/हाइपोथेकेटेड सुरक्षा लागू हो जाती है, तो सुरक्षा की वैल्यू में किसी भी कमी के कारण मिले राशि में किसी भी नुकसान के लिए लोनदाता जिम्मेदार नहीं होगा। ऐसी बिक्री लोनदाता द्वारा उधारकर्ता के प्रति किसी जवाबदेही के बिना की जाएगी और लोनदाता अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की वजह से सुरक्षा के किसी भी नुकसान/क्षति/कीमत में कमी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और उधारकर्ता और गारंटर को लोनदाता के लिए कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा। इस आधार पर कि ज्यादा राशि या राशि मिल सकता था या मिलना चाहिए था या इस अनुबंध के तहत बाकी बकाया के लिए उसकी जिम्मेदारी पर विवाद हो सकता है।

(q) सुरक्षा या बंधक संपत्तियों के संबंध में उधारकर्ता के कब्जे में सभी दस्तावेज उधारकर्ता द्वारा लोनदाता के लाभ के लिए न्यास के रूप में धारण किए जाएंगे।

(r) अतिरिक्त रूप से, सुरक्षा अन्य किसी भी सुरक्षा के अतिरिक्त होगी और उसका हनन नहीं करेगी, जिसे लोनदाता किसी भी समय उधारकर्ता के देयों के संबंध में धारण कर सकता है और वह लोनदाता और उधारकर्ता के बीच लोन के संबंध में सभी खातों के अंतिम रूप से सेटलमेंट होने तक लोनदाता के लिए उपलब्ध रहेगी।

9. किश्तों का पुनर्निर्धारण, पुनर्गठन और परिवर्तन

लोनदाता हकदार होगा कि, यदि लोनदाता परिस्थितियों में उचित समझे, तो वह उधारकर्ता को उचित सूचना और संचार के साथ, अपने पूर्ण विवेक से, ऐसी रीति और ऐसी सीमा तक किश्तों में बदलाव, पुनर्निर्धारण या पुनर्गठन कर सकता है जैसा वह तय करे। उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान उक्त परिवर्तन/पुनर्निर्धारण के अनुसार किया जाएगा, चाहे अनुसूची में कुछ भी कहा गया हो। उधारकर्ता और गारंटर इसके अनुसरण में लोनदाता द्वारा किए जाने वाले किश्तों के पुनर्निर्धारण पर प्रश्न उठाने के हकदार नहीं होगा।

10. भुगतानचूक की घटना

A. <u>निम्नलिखित घटनाएं **"डिफॉल्ट की घटना"** मानी जाएंगी:</u>

(a) उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा लोन चुकाने, ब्याज दर पर देय धन, शुल्क, प्रभार, लागत, व्यय या लोनदाता को देय किसी भी अन्य राशि का भुगतान करने के अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहना, जैसा कि इसमें निहित है, जब भी यह देय और भुगतान योग्य हो जाता है, चाहे लोनदाता द्वारा इसकी मांग की गई हो या नहीं।

(b) यदि उधारकर्ता ने लोनदाता द्वारा आवश्यक लोन की मंजूरी के संबंध में लोनदाता से कोई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई हो।

(c) यदि उधारकर्ता/गारंटर की दिवालियापन, परिसमापन (स्वैच्छिक या अन्यथा), व्यवसाय में विफलता, दिवालियापन का कार्य करना, लेनदारों के लाभ के लिए सामान्य समनुदेशन, या यदि उधारकर्ता/गारंटर ने किसी लेनदार को

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

भुगतान स्थगित कर दिया है या ऐसा करने की धमकी देता है, संपत्ति पर रिसीवर/ट्रस्टी या समान अधिकारी की नियुक्ति, उधारकर्ता/गारंटर द्वारा या उसके विरुद्ध दिवालियापन की कोई याचिका दायर करना या उधारकर्ता/गारंटर के परिसमापन के लिए कोई याचिका दायर करना और स्वीकार किए जाने के 30 (तीस) दिनों के भीतर वापस नहीं लिया जाना।

(d) यदि उधारकर्ता/गारंटर एकीकरण या पुनर्गठन के उद्देश्य से परिसमापन में जाता है, सिवाय लोनदाता की पूर्व लिखित स्वीकृति के।

(e) यदि उधारकर्ता/गारंटर अपना व्यवसाय बंद कर देता है या बंद करने की धमकी देता है।

(f) यदि उधारकर्ता अनुबंध में दिए गए अनुसार संपत्ति का विवरण दाखिल करने में विफल रहता है।

(g) यदि उधारकर्ता की देनदारियां उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती हैं या उधारकर्ता घाटे में व्यवसाय चला रहा है।

(h) यदि उधारकर्ता लोनदाता की सहमति के बिना, किसी भी तरह से गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेचता है, भारग्रस्त करता है या स्थानांतरित करता है या बेचने, स्थानांतरित करने और उन पर भार पैदा करने या गिरवी रखने का प्रयास करता है।

(i) यदि उधारकर्ता गिरवी रखी गई संपत्ति के लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान करने में विफल रहता है।

(j) यदि गिरवी रखी गई संपत्ति किसी भी प्राधिकरण द्वारा जब्त या कुर्क की जाती है या किसी निष्पादन कार्यवाही के अधीन है।

(k) यदि उधारकर्ता किसी भी कर, शुल्क या अन्य अधिरोपण या प्रभार/व्यय का भुगतान करने में विफल रहता है या समय-समय पर कानून के तहत गिरवी रखी गई संपत्ति के संबंध में पूरी की जाने वाली किसी अन्य कानून, विनियमन, औपचारिकताओं का पालन करने में विफल रहता है।

(l) यदि गिरवी रखी गई संपत्ति चोरी हो जाती है या किसी भी कारण से उसका पता नहीं चल पाता है।

(m) यदि संपत्ति किसी भी तरह से खतरे में है या क्षतिग्रस्त है या उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो गई है या संपत्ति के साथ दुर्घटना होने से किसी थर्ड पार्टी को शारीरिक चोट पहुंचती है या यदि संपत्ति एक वाहन होने के नाते या तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है या उस पर कर बकाया है या उसके पास वैध परमिट नहीं है।

(n) यदि उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा लोनदाता को दिए गए या दिए जाने वाले पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस/ई-एनएएच नियमों और शर्तों के अनुसार प्रस्तुतिकरण पर किसी भी कारण से स्वीकृत नहीं होता है।

(o) यदि उधारकर्ता लोनदाता को संपत्तियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराने में विफल रहता है।

(p) यदि उधारकर्ता और गारंटर द्वारा लोनदाता और उधारकर्ता और गारंटर के बीच किसी भी क्षमता में किए गए किसी अन्य अनुबंध के तहत अपनी देनदारियों को निभाने में कोई चूक की जाती है।

(q) यदि उधारकर्ता/गारंटर की आवासीय स्थिति निवासी से अनिवासी में बदल जाती है।

(r) यदि लोन या उसका कोई हिस्सा उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है जिसके लिए उधारकर्ता द्वारा आवेदन किया गया था और लोनदाता द्वारा स्वीकृत किया गया था।

(s) यदि उधारकर्ता और गारंटर इसमें निहित किसी भी शर्त, वचन पत्र, उपक्रम और शर्तों का उल्लंघन करता है या इस अनुबंध के तहत गारंटर द्वारा लोनदाता को दी गई कोई भी जानकारी या प्रतिनिधित्व या उधारकर्ता और गारंटर द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य दस्तावेज गलत या भ्रामक पाया जाता है।

(t) यदि लोन की मंजूरी के बाद, उधारकर्ता और/या गारंटर (जब पति-पत्नी हों) का तलाक हो जाता है या उसी के लिए या अन्यथा किसी भी परिवार न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है या शुरू की जाती है।

(u) यदि उधारकर्ता और/या गारंटर इस अनुबंध के तहत अपने दायित्व को निभाने में विफल रहता है।

(v) प्राकृतिक आपदाओं/अनिवार्य परिस्थितियों के घटित होने की स्थिति में, जिससे संपत्ति के मूल्य में गिरावट आती है (लोनदाता का निर्णय पूर्ण विवेक पर होगा)।

(w) लोनदाता की लिखित सहमति के बिना उधारकर्ता के गठन या प्रबंधन या संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के होने पर या उधारकर्ता के प्रबंधन द्वारा लोनदाता का विश्वास खो देने पर।

(x) उधारकर्ता/गारंटर लोनदाता के साथ किसी अन्य अनुबंध में उल्लंघन करता है या कोई चूक करता है जिसमें उधारकर्ता/गारंटर एक उधारकर्ता या गारंटर है।

(y) उधारकर्ता/गारंटर किसी अन्य लोनदाता के साथ किसी अन्य लोन सुविधा अनुबंध के उल्लंघन में है।

(z) यदि उधारकर्ता द्वारा किसी भी कारण से पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस/ई-एनएएच अधिदेश के भुगतान को रोकने के लिए कोई निर्देश दिया जाता है या यदि उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को जारी किया गया कोई पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस/ई-एनएएच में चूक हो जाता है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(aa) यदि उधारकर्ता/गारंटर को किसी अपराध के लिए कानून की किसी अदालत या सरकारी प्राधिकरण द्वारा आरोप लगाया जाता है या दोषी ठहराया जाता है।

(bb) यदि उधारकर्ता/गारंटर लोनदाता की पूर्व सहमति के बिना अपना निवास बदलता है या व्यवसाय बदलता है।

(cc) यदि उधारकर्ता/गारंटर इस अनुबंध या लोनदाता या उसके सहयोगियों के साथ किए गए अन्य अनुबंध के तहत किसी भी शर्त पर विवाद करता है।

(dd) ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो लोनदाता की राय में उचित आधार देती है कि इससे गिरवी रखी गई संपत्ति या लोनदाता के हितों या इस अनुबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने या खतरे में पड़ने की संभावना है।

(ee) यदि चूक की कोई घटना या ऐसी कोई घटना, जो सूचना या समय बीतने या दोनों के बाद चूक की घटना बन जाएगी, घटित हुई है, तो उधारकर्ता तुरंत लोनदाता को लिखित में सूचना देगा जिसमें यह निर्दिष्ट होगा कि ऐसी चूक की घटना हुई है। उधारकर्ता/गारंटर लोनदाता को तुरंत सूचित करेगा यदि, और जब कंपनी अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत परिसमापन की कोई वैधानिक सूचना या उधारकर्ता/गारंटर के लिए दायर/शुरू की जाने वाली किसी भी मुकदमे या कानूनी प्रक्रिया की सूचना मिलती है, जो उधारकर्ता/गारंटर पर निर्णायक और बाध्यकारी है।

(ff) यदि वह गिरवी रखी गई संपत्ति जिस पर लोन के लिए सुरक्षा बनाई गई है, उसके मूल्य में इस हद तक गिरावट आती है कि लोनदाता की राय में, और सुरक्षा दी जानी चाहिए।

(gg) यदि उधारकर्ता के लिए कोई कुर्की, संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया, या किसी भी प्रतिभूति को लागू किया जाता है या उन पर लगाया जाता है।

(hh) उधारकर्ता और/या गारंटर का कोई भी निदेशक, प्रवर्तक, भागीदार, मालिक, ट्रस्टी या सदस्य (*जैसा लागू हो*) आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जाता है और ऐसे व्यक्ति को उधारकर्ता और/या गारंटर से नहीं हटाया जाता है।

B. डिफॉल्ट की घटना की सूचना

यदि चूक की कोई घटना या ऐसी कोई घटना, जो सूचना या समय बीतने या दोनों के बाद चूक की घटना बन जाएगी, घटित हुई हो, तो उधारकर्ता तुरंत लोनदाता को लिखित रूप में इसकी सूचना देगा, जिसमें ऐसी चूक की घटना या ऐसी घटना का विवरण होगा।

C. चूक के परिणाम

उपरोक्त के अनुसार किसी भी चूक की स्थिति में लोनदाता को निम्न अधिकार होगा: -

(a) लोन की समस्त बकाया राशि की रिकवरी करना।

(b) लोन खाते में की जाने वाली किसी भी निकासी को निलंबित करना।

(c) संपत्ति/वाहन का कब्जा स्वयं या लोनदाता द्वारा नियुक्त किसी भी रिकवरी प्रतिनिधि या अधिवक्ता के माध्यम से लेना, जैसा कि नीचे धारा 11 में विस्तार से निर्दिष्ट है।

(d) उधारकर्ता सहमत होता है और वचन देता है कि वह लोनदाता को वाहन का कब्जा लेने से नहीं रोकेगा या बाधित नहीं करेगा, चाहे लोन को वापस मांगा गया हो या नहीं, यदि लोनदाता की राय में सुरक्षा के संकटग्रस्त होने की युक्तिसंगत आशंका हो। ऐसी स्थिति में लोनदाता के प्रतिनिधि वाहन को सार्वजनिक या निजी नीलामी या निजी अनुबंध द्वारा बेचने, किराए पर देने या अन्यथा सेटलमेंट करने के अधिकारी होंगे, किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी हुए बिना, और उसकी शुद्ध प्राप्ति राशि का उपयोग इन प्रावधानों में निर्दिष्ट अनुसार करेंगे और ऐसी या संभावित परिस्थितियों में उपरोक्त सूचनाएं त्यागी हुई मानी जाएंगी।

(e) उधारकर्ता किसी भी कमी की राशि का तुरंत भुगतान लोनदाता को करेगा। लोनदाता को यह भी अधिकार होगा कि वह लोनदाता के पास किसी भी खाते में उधारकर्ता के नाम जमा किसी भी राशि का समायोजन करे और ऐसी कमी के भुगतान के लिए समायोजन का अधिकार प्रयोग करे।

(f) इस खंड में निहित कोई भी बात लोनदाता को वाहन को बेचने, किराए पर देने या सेटलमेंट करने के लिए बाध्य नहीं करेगी और लोनदाता किसी अन्य सुरक्षा से स्वतंत्र रूप से उधारकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकारी होगा। उधारकर्ता ऐसे विक्रय, किराए पर देने, सेटलमेंट या अन्य किसी कार्य के संबंध में लोनदाता के खातों को उधारकर्ता से देय किसी भी राशि की शुद्धता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत है। किसी भी घाटे की स्थिति में, घाटे की राशि लोनदाता द्वारा उधारकर्ता से रिकवर की जाएगी।

(g) लोनदाता, उधारकर्ता के जोखिम और व्यय पर, एक या अधिक व्यक्तियों को उधारकर्ता की बकाया राशि की रिकवरी और/या सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए नियुक्त कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को उससे संबंधित या सहायक

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

सभी कार्यों, विलेखों, विषयों और वस्तुओं को करने और निष्पादित करने का अधिकार और प्राधिकार प्रदान कर सकता है जैसा लोनदाता उचित समझे।

(h) उधारकर्ता, लोनदाता द्वारा प्रदान की गई उक्त लोन सुविधा की पूर्व शर्त के रूप में, यह सहमत होता है कि यदि उधारकर्ता देय तिथि/तिथियों पर लोन सुविधा या किसी भी सहमत किश्त के पुनर्भुगतान में चूक करता है, तो लोनदाता और/या भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्ण अधिकार होगा कि वे उधारकर्ता का नाम या उधारकर्ता की कंपनी/संस्था/इकाई और उसके निदेशकों/साझेदारों/मालिकों का नाम चूककर्ता के रूप में ऐसे तरीके और माध्यम से प्रकट या प्रकाशित करें जैसा लोनदाता या भारतीय रिजर्व बैंक अपने पूर्ण विवेक से उचित समझें।

(i) अतिरिक्त रूप से, लोनदाता (जैसा लागू हो), भारतीय रिजर्व बैंक के प्रासंगिक परिपत्रों के अनुसार, लोन संबंधी जानकारी, जिसमें खाते का एसएमए के रूप में वर्गीकरण *(जैसा नीचे परिभाषित है)* शामिल है, संबंधित लोन सूचना कंपनियों, क्रेडिट रिपॉजिटरी या अन्य शासकीय प्राधिकरण को रिपोर्ट कर सकता है।

D. **समस्याग्रस्त संपत्तियों (एसएमए) का निपटान**

(a) उधारकर्ता, 7 जून 2019 के दिनांकित भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र द्वारा जारी 'संकटग्रस्त संपत्तियों के समाधान हेतु सावधानीपूर्ण रूपरेखा' संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र की आवश्यकताओं के अनुपालन में बैंकों की सहायता करने के लिए सहमत है।

(b) उधारकर्ता द्वारा भुगतान में किसी भी चूक के बाद, लोनदाता उधारकर्ता के लोन खाते में प्रारंभिक संकट की पहचान करेगा और निम्न श्रेणियों के अनुसार संकटग्रस्त संपत्तियों को **एसएमए** के रूप में वर्गीकृत करेगा:

एसएमए उप-श्रेणियां वर्गीकरण का आधार – मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूर्ण या आंशिक रूप से अतिदेय हो

एसएमए-0 1 – 30 दिन
एसएमए-1 31 – 60 दिन
एसएमए-2 61 – 90 दिन

उदाहरण के लिए: *अगर किसी लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के दिन की अंत की प्रक्रिया समाप्ति से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती, तो देय राशि की तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। अगर देय राशि भुगतान फिर भी नहीं किया जाता है, तो 30 दिनों की लगातार देयता पूरी होने पर 30 अप्रैल 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया समाप्ति पर यह खाता एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अनुसार, उस खाते की एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी। इसी प्रकार, अगर खाता अतिदेय बना रहता है, तो 30 मई 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया पर उसे एसएमए-2 के रूप में चिह्नित किया जाएगा और अगर आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो 29 जून 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया पर उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।*

(c) यदि उधारकर्ता बकाया चुकाने में डिफॉल्ट करता है, तो उस खाता को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट ("**एनपीए**") के तौर पर वर्गीकृत किया जाएगा। आरबीआई के दिशानिर्देश के मुताबिक, उधारकर्ता के बाकी सभी उधारकर्ता के खाते, लोनदाता के पास भी एनपीए के तौर पर वर्गीकृत किए जाएंगे।

(d) यह स्पष्ट किया जाता है कि लोन और ब्याज सहित सभी अतिदेय राशियों का भुगतान करने पर ही (उन मामलों को छोड़कर जहां लोनदाता द्वारा इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार लोन वापसी का नोटिस जारी किया गया है या प्रवर्तन/रिकवरी की कार्यवाही शुरू की गई है) उधारकर्ता के लोन खाते के वर्गीकरण को मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार 'स्टैंडर्ड' (मानक) में अपग्रेड किया जा सकता है।

11. कब्जा, समाप्ति और लोनदाता के अन्य अधिकार

(a) चूक की किसी भी घटना के होने पर, संपत्ति पर उधारकर्ता के अधिकार बिना किसी सूचना के स्वतः ही समाप्त मान लिए जाएंगे और उधारकर्ता संपत्ति को उसी स्थिति में तुरंत लोनदाता को सौंपने के लिए बाध्य होगा जिसमें वह मूल रूप से

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की गई थी, जिसमें सामान्य टूट-फूट को छोड़कर उधारकर्ता द्वारा किए गए सभी सामान/संशोधन शामिल होंगे। उधारकर्ता द्वारा संपत्ति को सौंपने में विफलता या इनकार को अवैध प्रतिधारण माना जाएगा जिसके लिए लोनदाता, अपने अन्य अधिकारों/कानूनी उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का हकदार होगा।

i. **सूचना:** पुनर्भुगतान में किसी भी तरह की चूक होने पर, जिसमें ऊपर बताई गई डिफॉल्ट की कोई भी घटना और/या ऊपर बताए गए अनुसार संपत्ति न सौंपना शामिल है, उसके लिए लोनदाता उधारकर्ता के लिए लोनदाता के पास मौजूद उसके पते पर 7 (सात) दिन का नोटिस जारी करवाएगा। लोनदाता द्वारा नोटिस भेजने के 24 (चौबीस) घंटे के अंदर यह माना जाएगा कि नोटिस उधारकर्ता को सर्व हो गया है।

ii. **संपत्ति पर कब्जा:** यदि उधारकर्ता इस अनुबंध के तहत देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है या संपत्ति को लोनदाता को समर्पित नहीं करता है और/या ऊपर दर्ज नोटिस के अनुपालन में अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन को ठीक नहीं करता है, तो लोनदाता की संतुष्टि के लिए, इस अनुबंध के तहत लोनदाता के साथ उपलब्ध अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोनदाता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, उस संबंध में विधिवत अधिकृत या किसी अधिकृत प्रतिनिधि, कर्मचारी और/या एजेंट द्वारा संपत्ति का कब्जा लेने का हकदार होगा, जिसे संपत्ति का कब्जा लेने के लिए नियुक्त किया जा सकता है (जिसे "**कब्जा**" कहा जाता है) और उक्त उद्देश्य के लिए किसी भी स्थान या स्थानों में प्रवेश करने का अधिकार होगा जहां संपत्ति उस समय हो सकती है या होने की संभावना है, संपत्ति को हटा सकता है या कब्जा कर सकता है। उधारकर्ता सहमत है और वचन देता है कि वह चूक की स्थिति में संपत्ति पर कब्जा करने के लोनदाता के अधिकार का प्रयोग करने से नहीं रोकेगा या बाधा नहीं डालेगा। उधारकर्ता इसके द्वारा लोनदाता या उनके संबंधित एजेंटों को उन परिसरों में प्रवेश करने के लिए अधिकृत करता है जहां गिरवी रखी गई संपत्ति स्थित है या जिसके स्थित होने का विश्वास है और उधारकर्ता सहमत है कि वह बिना अनुमति घुसने के लिए लोनदाता या उनके संबंधित एजेंटों के लिए कोई दावा नहीं करेगा या लोनदाता के लिए किसी भी कानून के तहत कार्रवाई नहीं करेगा। संपत्ति को ले जाने के कारण भूमि या भवन को होने वाला कोई भी नुकसान उधारकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी। यदि टोइंग (खींचकर ले जाना) का उपयोग करना आवश्यक हो, तो उधारकर्ता इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्धारित टोइंग शुल्क और अन्य खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

संपत्ति के कब्जे के समय उसमें उपलब्ध किसी भी सामान (नाशवान, गैर-नाशवान) को हटाने की एकमात्र जिम्मेदारी उधारकर्ता की होगी और उधारकर्ता को ऐसे सामान को उस एसेट से हटाने और अपने खर्च पर वापस ले जाने का अपना इंतजाम करना होगा और लोनदाता, ऐसे कब्जे के दौरान या उसके बाद किसी को भी सामान न मिलने की वजह से होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति, कीमत में कमी, रास्ते में नुकसान आदि के लिए उधारकर्ता के प्रति जिम्मेदार नहीं होगा।

लोनदाता चोरी, आग, बारिश, बाढ़, भूकंप, बिजली, दुर्घटना या किसी भी कारण से कब्जा की गई संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या विनाश और क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

iii. **कब्जा के बाद**: लोनदाता द्वारा संपत्ति पर कब्जा करने या उधारकर्ता द्वारा सरेंडर करने के बाद, लोनदाता, उधारकर्ता द्वारा संपत्ति पर कब्जा करने या सरेंडर करने के बाद अनुबंध को सेटल करने के लिए 7 (सात) दिन का समय देते हुए नोटिस भेजेगा (जिसमें संपत्ति पर कब्जा करने के लिए लोनदाता द्वारा किए गए प्रवर्तन और कानूनी खर्च और खर्च शामिल हैं)। उपरोक्त समय सीमा के भीतर अनुबंध का सेटलमेंट करने में विफल रहने की स्थिति में उधारकर्ता संपत्ति से संबंधित सभी मूल दस्तावेज सौंप देगा, जिसमें आर.सी. बुक, परमिट, टैक्स रसीद, बीमा प्रमाण पत्र, पॉलिसी आदि शामिल हैं। यदि उधारकर्ता लोनदाता को मूल दस्तावेज सौंपने में विफल रहता है और लोनदाता के पक्ष में संपत्ति/वाहन हस्तांतरित करने में विफल रहता है, तो लोनदाता संबंधित अधिकारियों को नए सिरे से दस्तावेज या उसकी दूसरी प्रति प्राप्त करने के लिए तुरंत आवेदन करने का हकदार होगा, जिसका खर्च उधारकर्ता के खाते में जमा किया जाएगा और प्रवर्तन शुल्क का हिस्सा होगा।

iv. **छूट नोटिस:** उपरोक्त दर्ज नोटिस को लोनदाता अपने विवेक से त्याग सकता है यदि लोनदाता की राय में ऐसी कार्रवाई से संपत्ति या लोनदाता के हित को संकट उत्पन्न होने की संभावना हो।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

v. **विक्रय/हस्तांतरण/अधिहस्तांतरण:** उधारकर्ता इसके द्वारा लोनदाता को अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है कि वह न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना संपत्ति को निजी अनुबंध या सार्वजनिक नीलामी द्वारा या किसी अन्य तरीके से, जैसा लोनदाता उचित समझे, बेच सकता है/हस्तांतरित कर सकता है/असाइन कर सकता है। उधारकर्ता को लोनदाता द्वारा किसी भी प्रकार से किए गए विक्रय और/या नीलामी के संबंध में कोई आपत्ति उठाने का अधिकार नहीं होगा।

vi. संपत्ति के विक्रय और विक्रय से प्राप्ति राशि को लोन बकाया के समायोजन (जिसमें वाहन की पार्किंग/विक्रय, प्रवर्तन और विधिक शुल्क, जैसा लागू हो, शामिल हैं) के बाद यदि कोई कमी शेष रहती है, तो ऐसी देय कमी की राशि का भुगतान उधारकर्ता और गारंटर द्वारा किया जाएगा, जिसके संबंध में उधारकर्ता और गारंटर कोई आपत्ति नहीं उठाएंगे।

(b) वित्तीय दस्तावेजों, विधि और/या न्यायसंगत सिद्धांतों के तहत अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोनदाता को किसी भी विधि के तहत, जिसमें वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("**सरफेसी अधिनियम**") के तहत प्रदत्त सभी अधिकार और उपाय प्राप्त होंगे और निम्न उपाय उपलब्ध होंगे:

i. लोनदाता, पुनर्भुगतान चेक के बाउंस होने या चूक के लिए शुल्क, दंड शुल्क और अनुसूची में दर्ज किसी भी अन्य शुल्क को उधारकर्ता से वसूलने का हकदार होगा;
ii. उधारकर्ता अपने स्वयं के खर्च पर ऐसे रूप और तरीके से अतिरिक्त सुरक्षा बनाएगा जैसा कि लोनदाता द्वारा आवश्यक हो सकता है;
iii. लोन लंबित रहने की अवधि के दौरान विधि के तहत उपलब्ध कोई अन्य उपाय, जिसमें बिना किसी सीमा के परक्राम्य इंस्ट्रूमेंट अधिनियम, 1881 का खंड 138 और भुगतान और सेटलमेंट प्रणाली अधिनियम, 2007 का खंड 25 (1) के तहत उपाय शामिल हैं;
iv. प्रतिभूति/परिसंपत्ति के निवासी से उसे प्राप्त करना तथा अपने कब्जे में लेना तथा प्रतिभूति/परिसंपत्ति का उपयोग जैसा लोनदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से उचित समझे, करना;
v. सुरक्षा/संपत्ति या उसके किसी हिस्से को बेचना, ट्रांसफर करना, सरेंडर करना, लीज पर देना, सब-लीज पर देना, किराए पर देना, लीव एंड लाइसेंस पर देना, किराए पर देना, ट्रांसफर करना, निपटाना, अलग करना और/या उस पर कोई थर्ड पार्टी के अधिकार बनाना या सुरक्षा/संपत्ति या उसके किसी हिस्से के साथ ऐसे नियमों और शर्तों पर सौदा करना जैसा लोनदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से ठीक समझे।

(c) **समापन**

i. इस अनुबंध में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, लोनदाता अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक से किसी भी समय, बिना किसी उत्तरदायित्व के और बिना कोई कारण बताए, लोन या उसके किसी भाग Aो समाप्त कर सकता है, कैंसल कर सकता है या वापस मांग सकता है, जिसके उपरांत समस्त मूलधन, उस पर ब्याज, दंडात्मक शुल्क (*यदि कोई हो*) और अन्य सभी लागतें, शुल्क, व्यय और अन्य बकाया राशियां, लोनदाता की मांग पर तत्काल देय और देयनीय हो जाएंगी।
ii. उधारकर्ता द्वारा संपत्ति का समर्पण किए जाने पर या लोनदाता द्वारा उसके पुनः कब्जे में लिए जाने पर, अनुसूची में निर्दिष्ट लोन राशि के बावजूद, अनुबंध उधारकर्ता/उधारकर्ताओं और गारंटरों को बिना किसी नोटिस के समाप्त माना जाएगा।
iii. उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को पूर्ण पुनर्भुगतान किए जाने पर, जिसमें लोन राशि, ब्याज दर पर देय राशि, दंडात्मक शुल्क (*यदि कोई हो*) और इस अनुबंध के तहत उधारकर्ता और गारंटर द्वारा लोनदाता को देय सभी अन्य लागतें, शुल्क और व्यय शामिल हैं।
iv. इससे पहले, लोनदाता की तरफ से उधारकर्ता और गारंटर को अपने फैसले के बारे में लिखकर नोटिस दिया जाएगा।

(d) **लोनदाताओं के अन्य अधिकार**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

i. पक्षों के बीच विशेष रूप से सहमति है कि उधारकर्ता और गारंटर द्वारा, जैसा भी लागू हो, लोनदाता के पक्ष में सृजित प्रभार जारी रहेगा और लोनदाता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अनापत्ति प्रमाण पत्र को रोके रखे और न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना संपत्ति/वाहन का कब्जा ले और विक्रय करे, यदि इस अनुबंध या उधारकर्ता और लोनदाता के बीच निष्पादित किसी अन्य अनुबंध या दस्तावेज के तहत उधारकर्ता द्वारा देय राशि देय या बकाया हो।

ii. इस अनुबंध के तहत बंधक रखी गई संपत्तियों के विक्रय या उधारकर्ता/गारंटर द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सुरक्षा के प्रवर्तन की स्थिति में, प्राप्त राशि में किसी भी हानि या कमी के लिए या संपत्ति के मूल्य में किसी भी कमी के लिए लोनदाता उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसा विक्रय लोनदाता द्वारा उधारकर्ता और/या गारंटर के प्रति किसी भी उत्तरदायित्व के बिना किया जाएगा और लोनदाता किसी भी हानि/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लोनदाता द्वारा अधिकारों के प्रयोग के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी होने पर उधारकर्ता/गारंटर को इस आधार पर कि अधिक राशि प्राप्त की जानी चाहिए थी या हो सकती थी, लोनदाता के विरुद्ध कोई दावा करने या इस अनुबंध के तहत शेष देयों के लिए अपनी देनदारी का विवाद करने का अधिकार नहीं होगा।

iii. बकाया राशि की रिकवरी हेतु किसी भी/सभी विधिक कार्यवाहियों को प्रारंभ करने के लोनदाता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता और गारंटर स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि लोनदाता अपने विवेक से थर्ड पार्टी/प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगा और ऐसा थर्ड पार्टी/प्रतिनिधि इस अनुबंध के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्तियों का पालन कर सकता है, जिसमें उधारकर्ता से देय राशि की रिकवरी का अधिकार शामिल है, बिना उधारकर्ता की पूर्व सहमति के।

iv. यह स्पष्ट रूप से सहमति और समझ है कि किसी भी चूक की घटना पर संपत्ति का कब्जा और/या विक्रय, इस अनुबंध के तहत देय किसी भी राशि की रिकवरी हेतु लोनदाता द्वारा उधारकर्ता और गारंटर के विरुद्ध दावा प्रवर्तन के लिए पूर्व शर्त नहीं होगा।

v. लोनदाता द्वारा संपत्ति का कब्जा लेने में किसी भी प्रकार की अक्षमता, विफलता या चूक, यदि वह ऐसा निर्णय ले, तो किसी भी समय अनुबंध समाप्त करने के उसके अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, न ही यह चूक की क्षमा या परित्याग मानी जाएगी और न ही इस अनुबंध के तहत देय सभी राशियों की व्यक्तिगत रूप से उधारकर्ता और गारंटर से रिकवरी के अधिकार को प्रभावित करेगी।

vi. इस अनुबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, ऐसे समापन के बाद लोन की निरंतरता लोनदाता के एकमात्र और पूर्ण विवेक पर निर्भर होगी और उधारकर्ता की बकाया राशि, उस समय लोनदाता द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, लोनदाता को देय होगी। लोनदाता किसी भी समय अपने एकमात्र विवेक से और बिना कोई कारण बताए उधारकर्ता को उसकी बकाया राशि चुकाने के लिए कह सकता है और ऐसे कहे जाने पर उधारकर्ता बिना किसी विलंब के संपूर्ण बकाया राशि लोनदाता को तत्काल अदा करेगा। उधारकर्ता द्वारा देय बताई गई बकाया राशि अंतिम और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

vii. लोनदाता को उधारकर्ता और गारंटरों से उन सभी प्रवर्तन संबंधी व्ययों और लागतों की रिकवरी का अधिकार होगा जो लोनदाता द्वारा या उसकी ओर से संपत्ति का स्थान पता लगाने, कब्जा लेने, गैराज में रखने, बीमा कराने, परिवहन करने और विक्रय करने और अनुबंध के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु दायर किसी भी विधिक कार्यवाही के संबंध में व्यय किए गए हों। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त संदर्भित उपाय, इस अनुबंध, किसी अन्य अनुबंध/उपक्रम या विधि या न्यायसंगत सिद्धांतों के तहत लोनदाता को उपलब्ध किसी अन्य उपाय के अतिरिक्त होंगे और उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

viii. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, लोनदाता या उसके अधिकारी, प्रतिनिधि या नॉमिनी किसी भी प्रकार से बंधक रखी गई संपत्ति को होने वाली किसी भी हानि, क्षति, सीमा या मूल्यह्रास के लिए, चाहे वह किसी भी कारण से हो, उस अवधि के दौरान जब वह लोनदाता या उसके अधिकारी, प्रतिनिधि या नॉमिनी के कब्जे में हो या लोनदाता या उसके अधिकारी, प्रतिनिधि या नॉमिनी द्वारा उपलब्ध अधिकारों, शक्तियों या उपायों के प्रयोग या अप्रयोग के कारण हो, उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसी सभी हानि, क्षति या मूल्यह्रास उधारकर्ता और गारंटरों के खाते में डाली जाएगी, चाहे वह किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुई हो।

ix. इस अनुबंध के तहत लोनदाता को उपलब्ध अन्य किसी भी अधिकार के बावजूद, यदि किसी भी समय लोनदाता को अपने एकमात्र विवेक से यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि उधारकर्ता और/या गारंटरों ने कोई मिथ्या प्रस्तुतीकरण किया है और/या कोई जाली दस्तावेज या नकली आंकड़े लोनदाता को प्रस्तुत किए हैं, तो लोनदाता उधारकर्ता और/या गारंटरों के विरुद्ध कोई अन्य उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ करने का अधिकारी होगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

12. विनियोग

लोनदाता के पास इस अनुबंध के तहत देय और भुगतान योग्य किसी भी राशि को, जिसे उधारकर्ता द्वारा चुकाया गया हो, पूर्ण या आंशिक रूप से उस दर पर विनियोजित करने का अधिकार होगा जिसे लोनदाता निम्न मदों के लिए उचित समझे:

(a) पुनर्भुगतान चेक/ईसीएस/ई-एनएएच बाउंस शुल्क और बैंक शुल्क;
(b) किश्त;
(c) इस अनुबंध के तहत देय लागत, प्रभार, व्यय, कर, वैधानिक देय राशि और अन्य धन;
(d) दंडात्मक शुल्क; और
(e) किसी अन्य अनुबंध के तहत देय राशि का पुनर्भुगतान।

13. उधारकर्ता और गारंटर के अनुबंध और प्रतिनिधित्व

उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा लोनदाता को निम्न की पुष्टि और घोषणा करता है:

(a) उधारकर्ता और गारंटर भारतीय का सामान्य निवासी नागरिक हैं और इस अनुबंध के तहत लोन की अवधि के दौरान ऐसे ही बने रहेंगे।

(b) उधारकर्ता और गारंटर के पास इस अनुबंध में प्रवेश करने और इसे निष्पादित करने की पर्याप्त कानूनी क्षमता है।

(c) उधारकर्ता और गारंटर को इस अनुबंध के तहत दायित्व निष्पादित करने और निभाने से किसी भी कानून, कानून, निर्णय, डिक्री, नियमन, अनुबंध या अन्यथा किसी भी तरह से प्रतिबंधित या रोका नहीं गया है।

(d) इस अनुबंध के निष्पादन पर, यह उधारकर्ता और गारंटर की एक वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धता होगी जो इस अनुबंध की शर्तों के अनुसार लागू करने योग्य होगी।

(e) उधारकर्ता और गारंटर इस अनुबंध में प्रवेश करने के लिए विधिवत अधिकृत हैं।

(f) इस अनुबंध का निष्पादन किसी भी कानून/संवैधानिक दस्तावेजों या किसी अन्य दस्तावेज के साथ संघर्ष में नहीं है जो उधारकर्ता/गारंटर पर बाध्यकारी है।

(g) उधारकर्ता/गारंटर के लिए कोई भी मुकदमा, कार्रवाई या दावा लंबित नहीं है या दायर किए जाने या लिए जाने की संभावना नहीं है (चाहे वह नागरिक हो या आपराधिक या अन्यथा)।

(h) यहां गिरवी रखी गई संपत्ति पर किसी भी प्रकृति का कोई भार या कोई लियन मौजूद नहीं है।

(i) उधारकर्ता और गारंटर के नाम, उनके संबंधित निदेशकों, प्रमोटरों, भागीदारों, मालिकों, ट्रस्टी या सदस्यों (*जैसा लागू हो*) के नामों सहित, आरबीआई या किसी बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा प्रसारित डिफॉल्टरों की किसी भी सूची में नहीं हैं और उधारकर्ता और गारंटर और उनके संबंधित निदेशकों, प्रमोटरों, भागीदारों, मालिकों, ट्रस्टी या सदस्यों (*जैसा लागू हो*) के नाम आरबीआई/एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड/विदेश व्यापार महानिदेशालय इत्यादि द्वारा जारी सावधानी सूची में नहीं दिखाई देता है। यदि उधारकर्ता और/या गारंटर के निदेशकों, प्रमोटरों, भागीदारों, मालिकों, ट्रस्टी या सदस्यों (*जैसा लागू हो*) के नाम ऐसी किसी सूची में जोड़े जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति/संस्था ऐसे व्यक्ति को अपने निदेशक मंडल से या उधारकर्ता और/या गारंटर के प्रबंधन के प्रभारी होने से हटाने के लिए तत्काल शीघ्र और प्रभावी कदम उठाएगी। उधारकर्ता और गारंटर किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे विलफुल डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित किया गया हो या जिसका नाम विलफुल डिफॉल्टरओं की सूची में हो या जो किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक हो या किसी ऐसी निगमित इकाई के व्यवसाय में संलग्न हो जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा विलफुल डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित किया गया हो, उधारकर्ता और/या गारंटर के प्रबंधन के कार्यों के प्रभारी और उत्तरदायी व्यक्ति के रूप में या प्रवर्तक, साझेदार, सदस्य या न्यासी (*जैसा लागू हो*) के रूप में अपने मंडल में सम्मिलित नहीं करेंगे।

(j) उधारकर्ता और गारंटर बैंकिंग कंपनी (लोनदाता सहित) के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या निदेशक के रिश्तेदार (आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट) या लोनदाता के वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार (आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट) नहीं हैं या बैंकिंग कंपनी (लोनदाता सहित) के अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक या निदेशक या लोनदाता के वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार (आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट) का कोई भी रिश्तेदार (आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट) पर्याप्त हित नहीं रखता है या उधारकर्ता या गारंटर के निदेशक/भागीदार/प्रबंधक/कर्मचारी/सलाहकार/गारंटर के रूप में इच्छुक नहीं है।

(k) उधारकर्ता और गारंटर, लोनदाता सहित किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक या निदेशक के निर्दिष्ट निकट संबंधी नहीं हैं अथवा उधारकर्ता और/या गारंटर का कोई भी निदेशक लोनदाता सहित किसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक या निदेशक का निर्दिष्ट निकट संबंधी नहीं है।

(l) उधारकर्ता और गारंटर यह पुष्टि करता है कि उधारकर्ता, गारंटर और उनके संबंधित अधिकृत अधिकारी (यदि लागू हो) का लोनदाता के पास पंजीकृत मोबाइल नंबर वही है जो उनके आधार पर पंजीकृत है और उधारकर्ता

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

और गारंटर यह वादा करता है कि वे लोनदाता की पहले से लिखी हुई सहमति के बिना, लोनदाता के रिकॉर्ड में पंजीकृत अपने संबंधित मोबाइल नंबर *(जैसा कि आधार पर पंजीकृत है)* को नहीं बदलेंगे या अपडेट नहीं करेंगे।

(m) उधारकर्ता सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण लोन राशि केवल उद्देश्य हेतु ही उपयोग की जाएगी और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

(n) उधारकर्ता इस अनुबंध की अवधि के दौरान प्रत्येक समय यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चलाने वाला व्यक्ति वाहन चलाने का वैध लाइसेंस रखता हो जो उसे वाहन चलाने का अधिकार प्रदान करता हो।

(o) उधारकर्ता/गारंटर ने इस अनुबंध, कोलैटरल दस्तावेज और बंधक रखी गई संपत्ति के संबंध में आवश्यक सभी प्राधिकरण, अनुमोदन, सहमति, अनुज्ञप्ति और अनुमति प्राप्त कर ली है और उन्हें पूर्ण प्रभाव देने हेतु सभी आवश्यक कार्य किए हैं।

(p) सारी चिट्ठी-पत्री उधार लेने वाले और गारंटर के दिए गए पते पर भेजी जाएगी और उसे भेजने की तारीख से 3 (तीन) दिन के अंदर उस पते पर भेजा हुआ माना जाएगा। यदि उधार लेने वाले और गारंटर के पते में कोई बदलाव होता है, तो वे तुरंत इसकी जानकारी लोनदाता को देंगे। ऐसा न करने पर, उधार लेने वाले और गारंटर के दिए गए आखिरी पते पर चिट्ठी-पत्री प्राप्त किया गया माना जाएगा।

(q) लोनदाता को इस अनुबंध के तहत अपने अधिकार और जिम्मेदारी को अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को, उधारकर्ता और गारंटर को बिना कोई नोटिस दिए, पूरी तरह या कुछ हिस्से को और ऐसे तरीके और/या शर्तों पर बेचने, असाइन करने या ट्रांसफर करने का अधिकार होगा, जैसा लोनदाता तय करेगा और ऐसी कोई भी बिक्री, असाइनमेंट, ट्रांसफर उधारकर्ता और गारंटर पर लागू होगा।

(r) उधारकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की उधार लेने की शक्तियों की अनुपस्थिति या उसमें कोई त्रुटि, इस अनुबंध के तहत उधारकर्ता और गारंटर के विरुद्ध लोनदाता के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी।

(s) उधारकर्ता लेनदेन और बंधक रखी गई संपत्ति/संपत्तियों के संबंध में सरकार, नगर निगम, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण को देय सभी कर, आकलन, दरें, शुल्क, दंड, प्रभार और अन्य किसी भी प्रकार के वर्तमान और भविष्य के अधिरोपण, व्यय और दायित्व वहन करेगा और मांग पर भुगतान की रसीद प्रस्तुत करेगा।

(t) उधारकर्ता/गारंटर ने अपने द्वारा देय सभी कर और वैधानिक देयताओं का भुगतान कर दिया है और किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण से कोई मांग, दावा या नोटिस प्राप्त नहीं किया है।

(u) उधारकर्ता और गारंटर वादा करता है और पुष्टि करता है कि लोन से प्राप्त राशि का उपयोग केवल उद्देश्य/संपूर्ण उपयोग हेतु ही किया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में आपराधिक तत्वों/धन शोधन/आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा।

(v) यदि संपत्ति एक नया वाहन है, तो उधारकर्ता उसे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत उपयुक्त प्राधिकरण में पंजीकृत कराएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि लोनदाता के पक्ष में बंधक का उल्लेख और अभिलेखन पंजीकरण प्रमाण पत्र/पंजीकरण पुस्तक में विधिवत किया गया हो।

(w) उधारकर्ता डीलर या निर्माता से संपत्ति की डिलीवरी लेने और उसकी उपयुक्तता, गुणवत्ता, स्थिति आदि का सत्यापन करने के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा और संपत्ति की डिलीवरी लेने पर तुरंत लोनदाता को सूचित करेगा।

(x) उधारकर्ता संपत्ति की डिलीवरी लेने के 7 (सात) दिनों के भीतर मूल चालान और पंजीकरण पुस्तक की प्रति जिस पर लोनदाता का नाम विधिवत अंकित हो, बीमा पॉलिसी की प्रति सहित प्रस्तुत करेगा। यदि उधारकर्ता ऐसा करने में विफल रहता है, तो वह दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और यह लोनदाता के अन्य निहित अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(y) यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा पॉलिसी की प्रति और उसके बाद के नवीनीकरण प्रमाण पत्र लोनदाता को प्रस्तुत किए जाएं।

(z) सभी पत्राचार में उधारकर्ता द्वारा लोन खाता संख्या और वाहन का पूर्ण विवरण अर्थात पंजीकरण संख्या, इंजन और चेसिस संख्या/संपत्ति का विवरण दर्ज किया जाएगा।

(aa) बंधक रखी गई संपत्ति का उपयोग किसी भी अनुचित, अवैध, आपराधिक या विधि-विरुद्ध गतिविधि के लिए नहीं करेगा और न ही संपत्ति में ऐसा कोई परिवर्तन या संशोधन करेगा जो अनुचित, अवैध या विधि-विरुद्ध हो।

(bb) लोन की अवधि के दौरान संपत्ति को अच्छी स्थिति और अवस्था में रखेगा और आवश्यक मरम्मत, संवर्धन और सुधार करेगा।

(cc) हमेशा संपत्ति के स्थान के बारे में लोनदाता को सूचित रखेगा।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(dd) पंजीकरण पुस्तक, बीमा पॉलिसी के खोने, नष्ट होने या गुम होने की स्थिति में 3 (तीन) दिनों के भीतर लिखित रूप में लोनदाता को सूचित करेगा।

(ee) लोनदाता की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना बंधक रखी गई संपत्ति या उसके किसी भाग पर किसी भी प्रकार की कुर्की या जब्ती होने नहीं देगा और न ही ऐसा कुछ होने देगा जिससे यहां की सुरक्षा को हानि या संकट हो।

(ff) यह उपक्रम करेगा कि लोनदाता द्वारा अपेक्षित अनुसार यहां सृजित सुरक्षा और प्रदत्त अधिकारों, शक्तियों और उपायों की पुष्टि और सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक सभी कार्य, विलेख, आश्वासन, विषय और वस्तुएं करेगा और इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज अपने व्यय पर निष्पादित करेगा।

(gg) लोनदाता को सभी लागतों, व्ययों, दावों और कार्यवाहियों (जिसमें दुर्घटना, क्षति या अन्यथा की स्थिति में थर्ड पार्टी देयता शामिल है) के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और विधिक लागत, शुल्क, किराया, कब्जा लेने की लागत, बीमा और संपत्ति के विक्रय या करों सहित सभी भुगतानों की प्रतिपूर्ति करेगा जो संपत्ति पर अधिकारों की स्थापना, अभियोजन या प्रतिरक्षा के संबंध में हों।

(hh) लोनदाता की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना संपत्ति या उसके किसी भाग Aो न बेचेगा, न हस्तांतरित करेगा, न प्रभार सृजित करेगा, न असाइन करेगा, न बंधक रखेगा, न गिरवी रखेगा, न किराए पर देगा, न सरेंडर करेगा या उससे संबंधित कोई व्यवहार नहीं करेगा।

(ii) लोनदाता की लिखित सहमति के बिना संपत्ति को किसी अन्य राज्य में पुनः पंजीकृत नहीं करेगा।

(jj) बंधक से संपत्ति की मुक्ति तक प्रत्येक समय लोनदाता और उसके अधिकारियों/अधिकृत प्रतिनिधियों को संपत्ति का निरीक्षण करने और उस परिसर में प्रवेश करने की अनुमति देगा जहां संपत्ति रखी गई हो। निरीक्षण के अधिकार को किसी भी समय उधारकर्ता द्वारा न तो अस्वीकार किया जाएगा और न ही टाला जाएगा।

(kk) लोनदाता को देय भुगतान की रिकवरी या रिकवरी के प्रयास हेतु उसके द्वारा किए गए व्ययों, जिसमें डाक, तार, दूरभाष और नोटिस शुल्क आदि शामिल हैं, का भुगतान अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार करेगा।

(ll) उधारकर्ता और गारंटर द्वारा दिए गए सभी दस्तावेज, प्रस्तुतीकरण, घोषणाएं और सूचनाएं सत्य, सही, पूर्ण और अपडेट, वैध और प्रभावी हैं और कोई भी सूचना छिपाई नहीं गई है। उधारकर्ता और गारंटर आवश्यकता होने पर आवश्यक अपडेट प्रदान करेंगे।

(mm) यदि उधारकर्ता/गारंटर व्यक्तिगत के अतिरिक्त कोई अन्य इकाई है, तो वह अपने या अपने व्यवसाय/इकाई पर लागू सभी विधियों का पालन करेगा।

(nn) उधारकर्ता/गारंटर लोनदाता द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों/नीतियों का पालन करेगा और उनसे बंधित रहेगा।

(oo) लोनदाता को उधारकर्ता/गारंटर के सभी संबंधित खातों पर, जिनमें वे अन्य खाते भी शामिल हैं जो बाद में खोले जाएं या उधारकर्ता/गारंटर से संबंधित पाए जाएं, लियन का अधिकार होगा (संबंधित खातों का अर्थ उन सभी खातों से है जहां उधारकर्ता गारंटर है और गारंटर उधारकर्ता है या उनका कोई संबंधी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित निदेशक है और उनके साझेदार लोनदाता से प्राप्त किसी वित्तीय सुविधा के तहत उधारकर्ता/गारंटर हैं)।

(pp) उधारकर्ता/गारंटर इसके द्वारा वचन देता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न नहीं है जो समय-समय पर लोनदाता की लोन नीतियों की बहिष्करण सूची में हो या ऐसी किसी गतिविधि में संलग्न हो जो देश के सामाजिक और आर्थिक वातावरण को संकटग्रस्त या प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हो।

(qq) उधारकर्ता यह पुष्टि करता है कि उधारकर्ता ने लोनदाता के पास जो पुनर्भुगतान चेक जमा किए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य लोन का समय पर पुनर्भुगतान और/या लोन की किश्त का भुगतान करना है, ताकि उधारकर्ता की लोन देयता/कर्ज चुकाया जा सके, जो उधारकर्ता को देना है। यदि उधारकर्ता डिफॉल्ट करता है, तो उधारकर्ता बिना किसी शर्त के और बिना किसी विरोध या आपत्ति के, लोनदाता को यह अधिकार देता है कि वह उधारकर्ता और गारंटर को बताए बिना, बकाया कर्ज की रिकवरी के लिए पुनर्भुगतान चेक जमा कर दे।

(rr) उधारकर्ता पुष्टि करता है कि उसके परिवार का कोई सदस्य या संबंधी लोन आवेदन की तिथि पर राजनीति से जुड़ा नहीं है और ऐसी स्थिति में किसी भी परिवर्तन की तत्काल सूचना लोनदाता को दी जाएगी।

(ss) उधारकर्ता लोनदाता की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी उद्देश्य से संपत्तियों को देश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर नहीं ले जाएगा।

(tt) लोनदाता के अनुरोध पर उधारकर्ता ऐसे सभी कार्य, विलेख, विषय और वस्तुएं देगा, निष्पादित करेगा और संपन्न करेगा जो इस अनुबंध की मंशा को पूर्ण करने और सुरक्षा को पूर्ण करने के लिए लोनदाता आवश्यक समझे।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(uu) उधारकर्ता लोनदाता द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को निरीक्षण के उद्देश्य से बंधक रखी गई संपत्तियों तक मुक्त पहुंच की अनुमति देगा।

(vv) उधारकर्ता सहमत है कि वह लोनदाता की सहमति के बिना बंधक रखी गई संपत्तियों का अनुबंध या विमोचन नहीं करेगा और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे उनकी रिकवरी में बाधा, विलंब या अवरोध उत्पन्न हो।

(ww) उधारकर्ता उचित अकाउंट बुक्स बनाए रखेगा और जब भी लोनदाता द्वारा अपेक्षित किया जाए, वह ऐसे अकाउंट बुक्स और उनसे संबंधित सभी वाउचर, कागजात और दस्तावेज और बंधक रखी गई संपत्तियों से संबंधित अभिलेख लोनदाता और उसके किसी भी अधिकारी, प्रतिनिधि, परामर्शदाता, सलाहकार, ऑडिटर्स (बाहरी या आंतरिक) के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करेगा ताकि लोनदाता द्वारा ऑडिट की जा सके। इसके अतिरिक्त, उधारकर्ता ऐसे निरीक्षण/ऑडिट को करने में उन्हें पूर्ण सहयोग और आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और इसका पूरा खर्च और व्यय उधारकर्ता का ही होगा।

(xx) यदि लोनदाता द्वारा आवश्यक हो, तो उधारकर्ता लोनदाता को एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट से लोनदाता द्वारा स्वीकार्य पत्र और तरीके से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि लोन का उपयोग केवल इस अनुबंध में बताए गए उद्देश्य के लिए किया गया है।

(yy) लोन प्राप्त करने के उद्देश्य से उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में किसी भी अपडेट के मामले में, उधारकर्ता और/या गारंटर (*जैसा लागू* हो) दस्तावेजों के अपडेट के 30 (तीस) दिनों की अवधि के भीतर लोनदाता को ऐसे दस्तावेजों का अपडेट प्रस्तुत करेगा।

(zz)यदि उधारकर्ता एक गैर-लाभकारी संगठन है, तो उधारकर्ता अपने विवरण पंजीकृत करेगा या यह सुनिश्चित करेगा कि उसके विवरण नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीकृत हों।

(aaa) उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा पुष्टि करता है और घोषणा करता है कि वे अंग्रेजी भाषा समझते हैं और अंग्रेजी भाषा में पढ़ और लिख सकते हैं। उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा आगे पुष्टि करता है कि उन्होंने इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उधारकर्ता और गारंटर अंग्रेजी भाषा में इस अनुबंध के निष्पादन पर वर्तमान या भविष्य में किसी भी आपत्ति का त्याग करता है।

(bbb) लोनदाता द्वारा आवश्यकता पड़ने पर, उधारकर्ता लोनदाता द्वारा स्वीकार्य पत्र और तरीके से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि लोन का उपयोग केवल इस अनुबंध में बताए गए उद्देश्यों के लिए किया गया है।

(ccc) यदि लागू हो, तो लोनदाता के अनुरोध पर, अपने ऑडिटर द्वारा यह पता लगाने के लिए जांच करवाई जाएगी कि क्या उधारकर्ता द्वारा धन के उपयोग में कोई बदलाव या हेराफेरी (साइफनिंग) की गई थी। इस खंड में निहित किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता सहमत है कि लोनदाता अपने ऑडिटर को सीधे निर्देश दे सकता है कि वह इस बात की जांच करे कि क्या उधारकर्ता द्वारा धन के उपयोग में बदलाव/हेराफेरी की कोई घटना हुई थी। उधारकर्ता सहमत है कि ऐसी जांच की लागत उधारकर्ता द्वारा वहन की जाएगी।

14. बहिष्करण

(a) यह अनुबंध लोनदाता, उधारकर्ता और गारंटर के बीच, अनुसूची में दर्ज लोनदाता के पास गिरवी रखी गई संपत्ति की सुरक्षा के बदले, उद्देश्य के लिए लोन प्राप्त करने के उधारकर्ता के अनुरोध के आधार पर किया गया है। यह स्पष्ट रूप से सहमत है कि संपत्ति/वाहन के सभी विवरण, विनिर्देश, विवरण उधारकर्ता के ज्ञान में हैं, जिसने संपत्ति, डीलर, निर्माता जिससे संपत्ति खरीदी जानी है और उसकी कीमत की पहचान और निर्णय किया है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि खराब प्रदर्शन, उल्लंघन या घटिया या क्षतिग्रस्त संपत्ति की आपूर्ति का पूरा जोखिम पूरी तरह से उसी पर होगा, और लोनदाता इस संबंध में उधारकर्ता के प्रति उत्तरदायी और जिम्मेदार नहीं होगा।

(b) उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उधारकर्ता लोनदाता के साथ निम्नानुसार स्वीकार करता है और सहमत होता है:

(i) उधारकर्ता अनुसूची में दर्ज संपत्ति से संतुष्ट है और वह उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उद्देश्य के लिए उपयुक्त है।

(ii) उधारकर्ता ने लोनदाता के किसी भी दबाव या अनुचित प्रभाव के बिना सुरक्षा के रूप में दी जाने वाली संपत्ति की पहचान की है।

(iii) लोनदाता ने संपत्ति की व्यापारिकता, स्थिति, गुणवत्ता, स्थायित्व या उपयुक्तता के संबंध में किसी भी मामले में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं दी है और न ही इसके द्वारा देता है।

(iv) सभी वादे, वारंटी और शर्तें, चाहे वे कानून द्वारा व्यक्त या निहित हों या अन्यथा, चाहे वे इसके तहत दी गई हों या इसके साथ जुड़ी हों, इसके द्वारा निष्पादित मानी जाती हैं।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(v) लोनदाता के अधिकार प्रभावित नहीं होगा और उधारकर्ता के दायित्व लागू करने योग्य होंगे, चाहे कोई भी दायित्व, दावा, हानि, क्षति या खर्च किसी भी प्रकार या प्रकृति का हो जो (1) निर्माता या डीलर से संपत्ति की डिलीवरी न होने, किसी विलंब शुल्क (डेमरेज), लागत या संपत्ति की गुणवत्ता/स्थिति/उपयुक्तता या किसी भी उद्देश्य के लिए उसकी अपर्याप्तता या उसमें किसी दोष या उसके उपयोग के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो; या (2) किसी भी मरम्मत, सर्विसिंग, रखरखाव या समायोजन के संबंध में या उन्हें प्रदान करने में किसी देरी या विफलता के संबंध में या उसके उपयोग के किसी भी व्यवधान या हानि या व्यवसाय की किसी भी हानि या किसी भी प्रकार की क्षति के संबंध में हो, चाहे वह किसी भी कारण से हुई हो।

(vi) उधारकर्ता इस अनुबंध के तहत देय तिथि पर देय किश्तों और अन्य राशियों का भुगतान करने के लिए बाध्य है, चाहे संपत्ति का वितरण हुआ हो या नहीं या किसी भी कारण से। यदि संपत्ति उधारकर्ता को वितरित नहीं की जाती है या लोन के वितरण (पूर्ण या आंशिक) की तिथि से 3 (तीन) माह के भीतर उधारकर्ता द्वारा वितरण ग्रहण नहीं किया जाता है, तो लोनदाता अपने एकमात्र विकल्प और विवेक से अनुबंध समाप्त कर सकता है और ऐसी समाप्ति पर उधारकर्ता लोनदाता को वह सभी राशियां अदा करेगा जो इस अनुबंध के अनुसार लोनदाता द्वारा भुगतान की गई हैं। ऐसी राशि उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को ब्याज दर के अनुसार गणना किए गए ब्याज सहित और दंडात्मक शुल्क (*यदि कोई* हो) मासिक चक्रवृद्धि के साथ, उस तिथि से जिस दिन लोनदाता द्वारा राशि का भुगतान किया गया था, उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को पुनर्भुगतान की तिथि तक वापस की जाएगी।

15. संपत्ति का उपयोग

(a) उधारकर्ता सुनिश्चित करेगा कि बंधक रखी गई संपत्ति का उपयोग केवल वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और वह निषेध, उत्पाद शुल्क और अन्य केंद्रीय या राज्य अधिनियमों से संबंधित किसी भी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं करेगा।

(b) उधारकर्ता वचन देता है कि वह स्वयं या अपने सेवक या प्रतिनिधि के माध्यम से संपत्ति का उपयोग बीमा पॉलिसी की नियमों और शर्तों द्वारा अनुमत उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा और न ही ऐसा कोई कार्य करेगा या करने देगा जिससे बीमा अमान्य हो जाए।

(c) उधारकर्ता वचन देता है कि वह संपत्ति को किसी भी विधि-विरुद्ध या अवैध गतिविधि में संलग्न नहीं करेगा।

(d) उधारकर्ता संपत्ति के संबंध में उधारकर्ता या उसके सेवक या प्रतिनिधि द्वारा किसी भी अनुचित या अवैध उपयोग के परिणामस्वरूप लोनदाता को हुई किसी भी क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी होगा।

(e) उधारकर्ता वचन देता है कि वह संपत्ति का उपयोग केवल उसी उपयोग के लिए करेगा जैसा इस अनुबंध में लोनदाता को बताया गया है।

16. बीमा और रखरखाव

(a) उधारकर्ता इस अनुबंध के निष्पादन के तुरंत बाद और संपत्ति के बंधक से मुक्त होने तक संपत्ति का बीमा किसी भी हानि या दुर्घटना, आग, दंगे, नागरिक अशांति से होने वाली क्षति के विरुद्ध कराएगा। इसके बाद संपत्ति का बीमा उन सभी जोखिमों के लिए कराया जाएगा जिनसे संपत्ति सामान्यतः जुड़ी होती है जैसे बाढ़ आदि, आवश्यक व्यापक या अन्य बीमा पॉलिसियों के माध्यम से असीमित थर्ड पार्टी दायित्वों के विरुद्ध।

(b) उधारकर्ता ऐसी पॉलिसियों पर देय सभी प्रीमियम समय पर और विधिवत अदा करेगा और उनकी विधिवत प्रमाणित प्रतियां लोनदाता के अभिलेख हेतु प्रस्तुत करेगा।

(c) उधारकर्ता ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करने देगा जिसके कारण ऐसी बीमा पॉलिसी कैंसल हो सकती हो।

(d) उधारकर्ता नियमित रूप से संपत्ति का बीमा कराएगा और वर्तमान बीमा पॉलिसी की समाप्ति से कम से कम 30 (तीस) दिन पूर्व लोनदाता के पक्ष में लियन अंकित बीमा पॉलिसी की प्रति अग्रेषित करेगा।

(e) यदि किसी भी कारण से उधारकर्ता संपत्ति का बीमा नहीं कराता है या बीमा पॉलिसी जारी होने में विलंब/अप्राप्ति होती है, तो किसी भी आकस्मिक घटना की स्थिति में समस्त जोखिम केवल उधारकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा।

(f) बीमा कंपनी के पक्ष में लोनदाता द्वारा जारी विमोचन रसीद, दावों के सेटलमेंट के संबंध में, उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(g) उधारकर्ता सुनिश्चित करेगा कि संपत्ति से संबंधित सभी बीमा पॉलिसियों के तहत लोनदाता को 'हानि के प्राप्तकर्ता' के रूप में नामित किया जाए ताकि लोनदाता बीमा प्राप्ति राशि का दावा कर सके और उसे इस अनुबंध के तहत देय राशि के समायोजन में उपयोग कर सके। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि संबंधित बीमा कंपनी से प्राप्त बीमा प्राप्ति

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

राशि से लोन की संपूर्ण राशि और उससे संबंधित अन्य बकाया राशियां पूर्ण रूप से चुकाई नहीं जाती हैं, तो उधारकर्ता और/या गारंटर वित्तीय दस्तावेजों के तहत शेष बकाया राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी रहेंगे।

(h) संपत्ति का बीमा कराने की उधारकर्ता की बाध्यता के बावजूद, लोनदाता अपने एकमात्र विवेक से उधारकर्ता की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान कर सकता है और उसे उधारकर्ता से रिकवर सकता है। हालांकि, लोनदाता द्वारा बीमा प्रीमियम का भुगतान न किए जाने से उधारकर्ता की उसे बकाया चुकाने की देनदारी प्रभावित नहीं होगी।

(i) किसी भी बीमा प्राप्ति राशि पर प्रथम दावा लोनदाता का होगा। उधारकर्ता इसके द्वारा लोनदाता को अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है और अधिकार प्रदान करता है कि वह अपने एकमात्र विवेक से लोनदाता के हित की रक्षा हेतु बीमा प्राप्ति राशि का दावा करे और उसे उधारकर्ता द्वारा देय राशि के समायोजन में उपयोग करे।

(j) उधारकर्ता अपने व्यय पर और बिना अनावश्यक विलंब के बीमा कंपनी/बीमा प्रदाता को दुर्घटना की सूचना देगा और दुर्घटना या किसी अन्य कारण से हुई क्षति के कारण संपत्ति की मरम्मत कराएगा और दावा औपचारिकताओं के संबंध में बीमा कंपनी/बीमा प्रदाता के साथ सहयोग करेगा।

(k) उधारकर्ता वाहन को अच्छी और उपयोग योग्य स्थिति में लोनदाता की संतुष्टि तक बनाए रखेगा और उसके रखरखाव के सभी व्यय वहन करेगा।

(l) यदि लोनदाता बीमा दावों या कार्यवाहियों के संबंध में कोई कार्रवाई न करने का चयन करता है और/या इस आधार पर कि अधिक राशि का दावा/सेटलमेंट प्राप्त करना चाहिए था, तो उधारकर्ता को लोनदाता के विरुद्ध कोई दावा करने या समायोजन के बाद शेष बकाया राशि के लिए अपनी देनदारी का विवाद करने का अधिकार नहीं होगा।

17. गारंटरों की देनदारियां

(a) इस अनुबंध के तहत गारंटर की देनदारी, उधारकर्ता/उधारकर्ताओं की देनदारी के समान व्यापक होगी और इसमें किश्त, दंडात्मक शुल्क और सभी शुल्क, प्रभार, लागत और अन्य किसी भी देय राशि शामिल होगी जो उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को इस अनुबंध के तहत देय है।

(b) इस अनुबंध के तहत गारंटरों की देनदारी किसी भी परिवर्तन, कार्य या संयम, उधारकर्ता को समय विस्तार देने या सुरक्षा के संबंध में किसी अन्य संयम, कार्य या चूक या गारंटर से संबंधित विधि के तहत जो इस प्रावधान के अभाव में उन्हें मुक्त कर सकता था, ऐसे किसी भी विषय या कारण से प्रभावित नहीं होगी।

(c) इस अनुबंध की नियमों और शर्तों में गारंटर की सहमति के बिना किया गया कोई भी परिवर्तन गारंटरों को इस अनुबंध के तहत उनके दायित्व से या ऐसे परिवर्तन के बाद की शर्तों से मुक्त नहीं करेगा।

(d) गारंटर इसके द्वारा सहमत और वादा करता है कि वे इस अनुबंध के तहत देय राशि का भुगतान लोनदाता द्वारा मांग किए जाने पर करेंगे, भले ही इस अनुबंध या अन्य संबंधित दस्तावेज के किसी प्रावधान के संबंध में लोनदाता और उधारकर्ता के बीच कोई विवाद लंबित हो।

18. पूर्व समापन/पूर्व भुगतान

यदि उधारकर्ता कूलिंग अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी समय बकाया लोन का पूर्व भुगतान करना चाहता है, तो लोनदाता अपने एकमात्र विवेक से अनुसूची में निर्दिष्ट लोन कैंसलेशन शुल्क के भुगतान के अधीन और उससे संबंधित सभी अन्य देय राशियों सहित पूर्व समापन की अनुमति दे सकता है। पूर्व समापन/पूर्व भुगतान तभी प्रभावी होगा जब नकद राशि जमा कर दी गई हो या चेक क्लियर हो गया हो और राशि लोनदाता के बैंक खाते में जमा हो गई हो। यदि लोनदाता किसी पूर्व समापन/पूर्व भुगतान की अनुमति देता है, तो उधारकर्ता के अनुरोध पर पुनर्भुगतान अनुसूची में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाएगा और उधारकर्ता परिवर्तित पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन करने के लिए सहमत है और परिवर्तित पुनर्भुगतान अनुसूची इस अनुबंध का भाग होगी।

19. विलंब भुगतान शुल्क

इस अनुबंध के तहत लोनदाता के समापन अधिकार और अन्य किसी भी निहित अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, देय तिथि पर किश्त या अन्य देय राशि के भुगतान में चूक/विलंब की स्थिति में उधारकर्ता/गारंटर दंडात्मक शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि दंडात्मक शुल्क को लोनदाता द्वारा पूंजीकृत नहीं किया जाएगा।

20. पावर ऑफ अटॉर्नी

(a) उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा अपरिवर्तनीय रूप से अधिकार देता है कि लोनदाता को अपने नाम (और संबंधित थर्ड पार्टी को अपरिवर्तनीय रूप से नियुक्त करने के लिए प्रेरित करेंगे) से और अपनी ओर से मांग करने, वाद करने,

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

प्राप्त करने और वसूल करने तथा पुनर्भुगतान के लिए प्रभावी निर्वहन करने के लिए और उस प्रयोजन के लिए वाद दायर करने, शिकायत घोषित करने, शपथ पत्र बनाने, सॉलिसिटर और अधिवक्ता नियुक्त करने, अनुबंध करने और मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने और ऐसे सभी कार्य और चीजें करने के लिए अधिकृत करता है, जो उधारकर्ता और गारंटर (या संबंधित थर्ड पार्टी) द्वारा उक्त लोनों की वसूली या संपत्तियों से संबंधित किसी अन्य व्यवहार के मामले में की जा सकती थीं।

(b) उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा लोनदाता को, उसके किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति या इकाई के माध्यम से, उधारकर्ता और गारंटर के नाम पर किसी भी फॉर्म, वित्तीय या अन्य विवरण, या किसी भी प्रमाण पत्र, आवेदन या अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, निष्पादित करने, पृष्ठांकित करने, स्थानांतरित करने, फाइल करने या वितरित करने के लिए अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है (और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित थर्ड पार्टी अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करे), जो लोनदाता के सुरक्षा हित को पूर्ण करने या प्राप्त करने के लिए लागू कानून द्वारा आवश्यक या उचित हो। यह प्राधिकरण उन कार्यों तक सीमित है जो इस अनुबंध को उचित रूप से प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं और उन कार्यों तक जो लोनदाता के विवेक में यहां देय लोन को सुरक्षित करने और भुगतान करने और संपत्तियों को बेचने और/या रिकवर करने के लिए आवश्यक या वांछनीय हैं।

(c) उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा लोनदाता को अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करता है (और यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित थर्ड पार्टी अपरिवर्तनीय रूप से अधिकृत करे):

(i) किसी भी स्थान पर प्रवेश करना जहां गिरवी रखी गई कोई भी संपत्ति रखी गई है।

(ii) सभी या किसी भी गिरवी रखी गई संपत्ति और/या उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेना।

(iii) उधारकर्ता की ओर से और सभी प्रकार से उधारकर्ता के जोखिम पर किसी भी गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचना, सेटलमेंट करना और उसके विक्रय प्रतिफल का पूरा या कोई हिस्सा रिकवर करना और उन सभी अनुबंधों, घोषणाओं और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और निष्पादन करना जो उसकी डिलीवरी देने के लिए आवश्यक या समीचीन हों।

(iv) वाहन/संपत्ति के हस्तांतरण को प्रभावी करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले अधिवक्ताओं या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अप्रत्यक्ष कर अधिकारी, पुलिस अधिकारियों या किसी अन्य अधिकारियों के कार्यालय के समक्ष उपस्थित होना।

(v) गिरवी रखी गई किसी भी संपत्ति की रिकवरी के लिए आवश्यक सभी कदम उठाना, जिसमें किसी भी दावे, मुकदमे, याचिका या अन्य कानूनी प्रक्रिया को शुरू करना और उक्त उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक वकालतनामा और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और निष्पादन करना और ऐसे मुकदमे या कार्रवाई का अनुबंध या सेटलमेंट करना शामिल है।

(vi) उन सभी कागजातों, पत्राचार, वाउचर, फॉर्म, आवेदन, याचिकाओं, रसीदों, दस्तावेजों, अनुबंध, अनुबंधों और लेखों पर उधारकर्ता की ओर से हस्ताक्षर करना जो उधारकर्ता इन प्रस्तुतियों और/या लोन के अनुसरण में करने के लिए बाध्य होगा और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिक्री कर अधिकारी, पुलिस अधिकारियों, आश्वासन के सब-रजिस्टार या किसी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होना और उसके निष्पादन को स्वीकार करना।

(vii) सामान्य रूप से, इन प्रस्तुतियों के अंतर्गत या इनसे संबंधित या इनसे संबंधित सभी मामलों में सभी कार्यों, कर्मों, मामलों, चीजों और दस्तावेजों को करना, निष्पादित करना या करवाना, जैसा कि उधारकर्ता स्वयं कर सकते हैं, निष्पादित या निष्पादित कर सकते हैं।

(viii) और उपरोक्त कई मामलों और चीजों को बेहतर और अधिक प्रभावी ढंग से करने और निष्पादित करने के लिए समय-समय पर या सामान्य रूप से ऐसे अन्य व्यक्तियों, निकायों, कंपनियों, संगठनों या एजेंसियों को नियुक्त करना जिन्हें लोनदाता अपने विकल्प या विकल्पों के रूप में उचित समझे, ताकि वे उपरोक्त सभी या किसी भी कार्य और चीजों को निष्पादित और पूर्ण कर सकें और अपनी इच्छा से ऐसे विकल्प या विकल्पों को हटाना और उनके स्थान पर अन्य या अन्यों को नियुक्त करना।

(d) उधारकर्ता सहमत है कि उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग उधारकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है और आगे वह सब कुछ अनुसमर्थित और पुष्ट करने के लिए सहमत है जो लोनदाता या लोनदाता द्वारा नियुक्त कोई भी विकल्प उक्त शक्तियों के प्रयोग में कानूनी रूप से कर सकता है या करवा सकता है। उधारकर्ता आगे इस बात से भी सहमत हैं कि वे लोनदाता और उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों को ऊपर बताई गई किसी भी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए हर तरह की मदद देंगे, जिसमें दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना, कागजों पर हस्ताक्षर

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

करना और वे सभी काम करना शामिल है जो लोनदाता और उसके अधिकारियों को दी गई सभी शक्तियों का इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए जरूरी हो सकते हैं। उधारकर्ता आगे सहमत है कि उपरोक्त शक्तियां तब तक अपरिवर्तनीय प्रकृति की रहेंगी जब तक कि उक्त लोन और/या इन प्रस्तुतियों के तहत या उसके संबंध में कोई भी राशि बकाया या देय बनी रहती है।

(e) उधारकर्ता और गारंटर सहमत हैं वचन देता है कि, लोनदाता द्वारा मांग किए जाने पर, उधारकर्ता और गारंटर लोनदाता को एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी (पावर ऑफ अटॉर्नी), लोनदाता द्वारा स्वीकार्य पत्र और तरीके से निष्पादित और वितरित करेंगे, जो लोनदाता, उसके कर्मचारियों और लोनदाता द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्तियों को उपरोक्त दर्ज किसी भी या सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत करेगा।

21. प्रतिभूतिकरण

लोनदाता पूरी तरह से हकदार होगा और उसके पास इस अनुबंध के तहत अपने किसी भी या सभी अधिकारों, लाभों, दायित्वों, कर्तव्यों और देनदारियों को प्रतिभूतियां प्रदान करने, बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने की पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा, जिसमें किश्त और लोन बैलेंस को बिक्री, हस्तांतरण, प्रतिभूतिकरण, प्रभार या सुरक्षा के माध्यम से या अन्यथा किसी भी व्यक्ति या इकाई को बिना उधारकर्ता और गारंटर को सूचित किए एकत्र करने का अधिकार शामिल है। ऐसी कोई भी बिक्री, समनुदेशन या हस्तांतरण निर्णायक रूप से उधारकर्ता और गारंटर पर बाध्यकारी होगा और उधारकर्ता और गारंटर ऐसे समनुदेशिती/हस्तांतरिती/क्रेता के प्रति इस अनुबंध के तहत अपने दायित्व का पालन करेंगे। उधारकर्ता और गारंटर स्पष्ट तौर पर यह मानते हैं और मानते हैं कि लोनदाता को पूरी तरह से अधिकार होगा और उसके पास अपने सभी अधिकारों और हितों को, किसी भी तरह से, पूरे या कुछ हिस्से में, बेचने, असाइन करने या ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार और अधिकार होगा, और वह भी ऐसे तरीके और शर्तों पर जैसा लोनदाता तय करे। इसमें यह अधिकार भी शामिल है कि लोनदाता के पास यह अधिकार रहेगा कि वह अपनी शक्ति बनाए रखे और खरीदार/असाइनी/ट्रांसफरी की ओर से, उधारकर्ता और गारंटर को बिना बताए या उन्हें लिखित जानकारी दिए, लोनदाता की पसंद के किसी भी थर्ड पार्टी को उधारकर्ता और गारंटर के खिलाफ कार्रवाई कर सके।

22. सेट-ऑफ और लियन

(a) इस अनुबंध में निहित किसी भी बात के बावजूद, लोनदाता के पास लोनदाता के कब्जे और नियंत्रण में उधारकर्ता और गारंटर की सभी संपत्तियों पर लियन होगा और उधारकर्ता और गारंटर से लोनदाता को देय किसी भी धन के विरुद्ध सेट-ऑफ करने का अधिकार होगा और लोनदाता के यहां या किसी अन्य अनुबंध के तहत लोनदाता की देय राशि की रिकवरी के लिए उधारकर्ता के सभी खातों को संयोजित करने का अधिकार होगा।

(b) उधारकर्ता और गारंटर संपूर्ण देय राशि के पुनर्भुगतान तक, लोन के तहत बकाया राशि की रिकवरी तक, लोनदाता के किसी भी वैध अधिकार, दावे या लियन या किसी अन्य दावे के अधीन, जो लोनदाता का उधारकर्ता और/या गारंटर के लिए हो सकता है, उधारकर्ता और गारंटर की सभी संपत्तियों को रखने और बनाए रखने के लोनदाता के अधिकार से सहमत हैं। लोनदाता संपत्तियों को तब तक बनाए रखने का हकदार होगा जब तक कि सभी दावों का पूरी तरह से सेटलमेंट/भुगतान नहीं हो जाता, बशर्ते कि शेष दावों के विवरण के साथ उधारकर्ता और गारंटर को सूचना भेजी गई हो।

(c) इसके द्वारा उधारकर्ता और गारंटर द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है और समझा जाता है कि, यदि उधारकर्ता और गारंटर किश्त या इस अनुबंध के तहत लोनदाता को देय किसी अन्य राशि के भुगतान में चूक करता है, तो लोनदाता के पास उपलब्ध समाप्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोनदाता के पास उधारकर्ता और गारंटर के उस खाते की राशि को सेट-ऑफ करने का अधिकार होगा जो वह लोनदाता के पास रख सकता है, उस राशि के साथ जिसके संबंध में इस अनुबंध के तहत चूक की गई है।

23. क्षतिपूरण

उधारकर्ता और गारंटर लोनदाता को उन सभी कार्रवाइयों, मुकदमों, कार्यवाहियों और सभी लागतों, प्रभारों, खर्चों, नुकसानों और क्षतियों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेंगे और क्षतिपूर्ति बनाए रखेंगे जो लोनदाता को उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा दी गई गलत या भ्रामक जानकारी या यहां दी गई किसी भी शर्त, अनुबंध और प्रावधानों के कारण हो सकती हैं या उठानी पड़ सकती हैं। उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है कि वह स्पष्ट रूप से सहमत है और समझता है कि यह क्षतिपूर्ति उधारकर्ता की वारंटी के हिस्से के रूप में सभी कार्यों और चूकों को कवर करेगी। लोनदाता इस अनुबंध की

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

विषय-वस्तु होने के नाते उक्त देय राशि में इस खंड के तहत उधारकर्ता द्वारा देय किसी भी राशि को शामिल करने का हकदार होगा।

24. नोटिस

इस अनुबंध के तहत कोई भी नोटिस, अनुरोध, मांग या अन्य संचार विधिवत तामील माना जाएगा यदि वह ऊपर बताए गए उधारकर्ता और गारंटर के पते पर पंजीकृत डाक / कूरियर / फैक्स / ईमेल / ट्रांसमिशन द्वारा भेजा जाता है और ऐसा नोटिस भेजे गए नोटिस की तारीख के बाद तीसरे कार्य दिवस या प्राप्ति की वास्तविक तारीख, जो भी पहले हो, से प्रभावी माना जाएगा।

25. एजेंसी नियुक्त करने का लोनदाता का अधिकार

उधारकर्ता और गारंटर स्पष्ट तौर पर यह मानते और स्वीकार करते है कि लोनदाता को, बिना किसी नुकसान के, खुद या अपने अधिकारियों, नौकरों या कर्मचारियों के जरिए ऐसी गतिविधियां करने का पूरा हक होगा और उसके पास लोनदाता की पसंद के एक या ज्यादा थर्ड पार्टी को नियुक्त करने और ऐसे थर्ड पार्टी को लोनदाता की ओर से इस अनुबंध के तहत लोनदाता को देय किश्त या दूसरे चार्ज वसूलने का अधिकार और अधिकार देने का पूरा अधिकार और अधिकार होगा। इसमें नोटिस भेजने, मांग करने, उधारकर्ता और गारंटर के घर/ऑफिस/बिजनेस की जगह पर जाने, गिरवी रखे गए एसेट्स पर कब्जा करने या बकाया राशि वसूलने के लिए उधारकर्ता और गारंटर से संपर्क करने के दूसरे अधिकार भी शामिल हैं।

उपरोक्त उद्देश्य के लिए और लोनदाता के एकमात्र विवेक पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए, लोनदाता द्वारा थर्ड पार्टी को सौंपे गए कार्य को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए उधारकर्ता और/या गारंटर, लोन, बकाया राशि और अन्य जानकारी के विवरण का खुलासा करने का हकदार होगा और उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा लोनदाता द्वारा ऐसे प्रकटीकरण के लिए सहमति देता है।

26. अस्वीकरण

यह अनुबंध लोनदाता और उधारकर्ता के बीच लोनदाता से लोन की राशि से वाहन खरीदने की उधारकर्ता की स्पष्ट इच्छा और अनुरोध के आधार पर किया गया है। इसके पक्षों के बीच विशेष रूप से यह सहमति और समझ बनी है कि वाहन का विवरण, विनिर्देश और वाहन का विवरण उधारकर्ता के ज्ञान में है और लोनदाता वाहन की गुणवत्ता, स्थिति, उपयुक्तता, प्रदर्शन के लिए और वाहन के संबंध में किसी भी मरम्मत और रखरखाव के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी दायित्व, दावे, हानि या खर्च के लिए उधारकर्ता के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है।

27. चूककर्ता की जानकारी प्रकाशित करने का अधिकार

उधारकर्ता और/या गारंटर, लोनदाता द्वारा उधारकर्ता को दिए गए ऐसे लोन की एक शर्त के रूप में बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से सहमत होता है कि यदि उधारकर्ता लोन की अदायगी या उस पर ब्याज के भुगतान में, या लोन की सहमत किसी भी अदायगी/किश्त का देय तिथि पर भुगतान करने में चूक करता है और/या गारंटर वित्तीय दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार उसके द्वारा प्रदान की गई गारंटी की मांग पर लोन की अदायगी में चूक करता है, तो लोनदाता और/या भारतीय रिजर्व बैंक को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह तस्वीर के साथ या उसके बिना, उधारकर्ता और/या गारंटर का नाम या उसके संगठन/संस्था/कंपनी का नाम और/या उसके निदेशकों/भागीदार/सदस्य/ट्रस्टी/मालिक का नाम चूककर्ता के रूप में, ऐसे तरीके से और ऐसे मीडिया के माध्यम से प्रकट या प्रकाशित करे जैसा लोनदाता या भारतीय रिजर्व बैंक अपने पूर्ण विवेक पर उचित समझे।

28. लोन संबंधी जानकारी

उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा सहमत होता है और पुष्टि करता है कि लोनदाता को, जैसा वह आवश्यक समझे, किसी भी संस्था को, जिसमें आरबीआई, ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड या आरबीआई द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी या क्रेडिट सूचना कंपनियों या किसी अन्य लोनदाता या उसके किसी सहयोगी, एजेंट और प्रतिनिधियों या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके साथ वह इस अनुबंध के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुबंध या लेनदेन करने का इरादा रखता है या कर चुका है, उधारकर्ताओं या अन्यथा (उधारकर्ताओं के किसी भी लेनदार सहित) को, उधारकर्ताओं, गारंटर, लोन, संपत्ति या उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा लोनदाता से ली गई/ली जाने वाली किसी अन्य लोन सुविधा से संबंधित सभी या कोई जानकारी और डेटा, और उनके द्वारा उधारकर्ता और/या गारंटर को प्रदान की गई कोई वित्तीय सहायता या उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा इसके अनुसरण में ग्रहण किए गए या ग्रहण किए जाने वाले किसी भी दायित्व या किसी चूक का

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

खुलासा करने का अधिकार होगा, जो उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा लोनदाता के प्रति अपने किसी दायित्व को पूरा करने के लिए, ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से किया गया वचन के लिए होगा, जैसा लोनदाता अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे।

उधारकर्ता/ गारंटर आगे यह भी सहमत होता है और लोनदाता को ऐसी जानकारी को अपनी समूह कंपनियों, लोनदाता की सहायक कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसे लोनदाता उपयुक्त समझे, प्रकट करने की सहमति देता है।

29. गोपनीयता

(a) उधारकर्ता और गारंटर स्वीकार करता है कि यह अनुबंध गोपनीय है और उधारकर्ता और गारंटर, लोनदाता की पूर्व लिखित सहमति के बिना, इस अनुबंध या इसकी विषयवस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे, सिवाय इसके कि कानून द्वारा या किसी लागू सरकारी या अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो।

(b) लोनदाता (और इसके कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों के माध्यम से) डेटा सुरक्षा नीतियों और सभी डेटा संरक्षण कानूनों का पालन करेगा। इस अनुबंध के प्रयोजन के लिए, '**डेटा संरक्षण कानून**' का अर्थ उन कानूनों और नियमावली से है जो व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग, भंडारण, उपयोग, संग्रह और/या आवेदन या किसी व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित हैं, जिसमें (बिना सीमित किए) निम्न शामिल हैं:

(i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (समय-समय पर संशोधित), जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (उचित सुरक्षा प्रथाएं और संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी) नियम, 2011 ("**गोपनीयता नियम**") और इसके तहत बनाए गए अन्य लागू नियम शामिल हैं;

(ii) व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उसकी प्रक्रिया, संग्रह, भंडारण, उपयोग और/या आवेदन या किसी व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित सभी अन्य लागू उद्योग दिशानिर्देश (सांविधिक या गैर-सांविधिक) या आचार संहिता, जो किसी नियामक द्वारा किसी पक्ष को जारी किए गए हों;

(iii) व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उसकी प्रक्रिया, संग्रह, भंडारण, उपयोग और/या आवेदन या किसी व्यक्ति की गोपनीयता से संबंधित अन्य सभी लागू कानून और नियम।

(iv) **व्यक्तिगत डेटा** का अर्थ वही होगा जैसा गोपनीयता नियमों (समय-समय पर संशोधित) के तहत 'संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या जानकारी' के लिए परिभाषित किया गया है।

(c) लोनदाता (और इसके कर्मचारियों, एजेंटों, प्रतिनिधियों के माध्यम से) डिजिटल लेंडिंग दिशानिर्देशों में निर्धारित गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित प्रतिबद्धताओं का पालन करेगा।

30. संशोधन

इस अनुबंध का कोई प्रावधान तभी और केवल तभी संशोधित माना जाएगा जब लोनदाता उस प्रावधान को लिखित रूप में संशोधित करे। उपरोक्त वाक्य के प्रति किसी भी प्रकार की हानि के बिना, यह स्पष्ट किया जाता है कि, और पक्षकार सहमत हैं कि इस अनुबंध की शर्तें स्वतः संशोधित और/या परिवर्तित मानी जाएंगी उस तिथि से, जिस तिथि को कोई कानून, किसी सरकारी प्राधिकरण के निर्देश, या भारतीय रिजर्व बैंक का कोई निर्देश, जिसका प्रभाव इस अनुबंध को संशोधित या परिवर्तित करना हो, इस अनुबंध पर या लोनदाता पर लागू किया जाता है। लोनदाता उधारकर्ता को एक सूचना प्रदान करेगा जिसमें ऐसे नियामक परिवर्तनों से उत्पन्न संशोधनों/ परिवर्तनों के बारे में सूचित किया जाएगा।

31. नियामक परिवर्तन

इस अनुबंध और वित्तीय दस्तावेजों की शर्तें लागू कानून, किसी सरकारी प्राधिकरण की जांच और निर्देशों, और ऐसे किसी भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अधीन हैं जो समय-समय पर इस अनुबंध या लोनदाता पर लागू किए जा सकते हैं। उसके अनुसार, उधारकर्ता इसके द्वारा स्वीकार करता है और मान्यता देता है कि लोनदाता ऐसे किसी भी कानून, संबंधित सरकारी प्राधिकरण के निर्देशों, या ऐसे भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों को प्रभावी करने के लिए बाध्य होगा, और उधारकर्ता इसके द्वारा सहमत होता है और पुष्टि करता है कि वह इस संबंध में लोनदाता द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों से बाध्य रहेगा।

32. प्रतिलिपियां

यह अनुबंध आवश्यकतानुसार कई प्रतियों में हस्ताक्षरित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा, और सभी प्रतियां मिलकर एक ही साधन का निर्माण करेंगी।

33. इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

उधारकर्ता इसके द्वारा पुष्टि करता है, मानता है और सहमत है कि इस अनुबंध को ऑनलाइन स्वीकार करने से, जिसमें वेबसाइट या ऐसे किसी दूसरे इंटरनेट या लोनदाता द्वारा शेयर किए गए किसी दूसरे थर्ड-पार्टी लिंक या किसी वेब-बेस्ड तरीके से इसके किसी भी संशोधन शामिल हैं, पक्षों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध बन जाता है। प्रत्येक पक्ष सहमत है कि यह अनुबंध और इससे संबंधित अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं, और इस अनुबंध या ऐसे अन्य दस्तावेजों पर दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर वैधता, प्रवर्तनशीलता और स्वीकार्यता के उद्देश्य से हस्तलिखित हस्ताक्षरों के समान होंगे।

34. लागत और व्यय

इस अनुबंध या इसके अनुसरण में निष्पादित किसी दस्तावेज और किसी भी प्रतिभूति के सृजन, प्रवर्तन, रिकवरी के संबंध में सभी लागतें, शुल्क, व्यय, दस्तावेज संग्रहण शुल्क, कर, उपकर, स्टाम्प शुल्क उधारकर्ता और गारंटर द्वारा वहन और भुगतान किए जाएंगे।

35. आंशिक अमान्यता

यदि इस अनुबंध का कोई प्रावधान या उसका किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर अनुप्रयोग किसी भी सीमा तक किसी कारण से, जिसमें किसी कानून, विनियम या सरकारी नीति के कारण भी शामिल है, अमान्य या अप्रवर्तनीय ठहराया जाता है, तो इस अनुबंध के शेष प्रावधान और ऐसे प्रावधान का उन व्यक्तियों या परिस्थितियों पर अनुप्रयोग, जिनके संबंध में इसे अमान्य या अप्रवर्तनीय नहीं ठहराया गया है, उससे प्रभावित नहीं होगा, और इस अनुबंध का प्रत्येक प्रावधान कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक वैध और प्रवर्तनीय रहेगा। इस अनुबंध का कोई भी अमान्य या अप्रवर्तनीय प्रावधान ऐसे प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा जो वैध और प्रवर्तनीय हो और जो अप्रवर्तनीय प्रावधान के मूल उद्देश्य को यथासंभव निकटता से प्रतिबिंबित करे, और यह पारस्परिक सहमति से किया जाएगा।

36. माफी

इस अनुबंध या लोनदाता द्वारा दिए गए किसी दूसरे अनुबंध, दस्तावेज या छूट के तहत लोनदाता को मिलने वाले किसी भी अधिकार, पावर या उपाय का इस्तेमाल करने में कोई देरी या चूक, ऐसे किसी भी अधिकार, पावर या उपाय को कम नहीं करेगी और इसे किसी डिफॉल्ट में उसकी छूट या कोई मंजूरी नहीं माना जाएगा, न ही किसी डिफॉल्ट के संबंध में लोनदाता की कार्रवाई या कोई कार्रवाई न करना या किसी डिफॉल्ट में उसकी कोई मंजूरी, किसी दूसरे डिफॉल्ट के संबंध में लोनदाता के किसी भी अधिकार, पावर, उपाय को प्रभावित करेगी या कम करेगी।

37. गंभीरता

यदि इस अनुबंध का कोई भी प्रावधान किसी भी वजह से या कानूनी कानूनों में बदलाव की वजह से गैर-कानूनी या लागू न होने लायक हो, तो अनुबंध के बाकी प्रावधान की कानूनी मान्यता और लागू होने की क्षमता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अनुबंध का कोई भी अवैध या लागू न होने योग्य प्रावधान ऐसे वैध और प्रवर्तनीय प्रावधान से बदला जाएगा, जो मूल अवैध या लागू न होने योग्य प्रावधान के उद्देश्य के सबसे निकट हो और उसे वैध बनाने के लिए आवश्यक हो।

38. पूर्ण अनुबंध

यह अनुबंध और इसके साथ संलग्न सभी परिशिष्ट, अनुलग्नक और अनुसूचियां, इनमें दर्ज विषयों के संबंध में पक्षकारों के बीच पूर्ण अनुबंध और समझ को अभिव्यक्त करता है और ऐसे विषयों से संबंधित पक्षकारों के बीच पूर्व के किसी भी लिखित या मौखिक समझ, अनुबंध या प्रस्तुतीकरण का स्थान लेते हैं और उन्हें कैंसल करता है।

39. अनुबंध की पूरी समझ

उधारकर्ता सहमत हैं कि उन्होंने अनुबंध और लोन स्वीकृति की शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और उसके अनुसार उसे स्वीकार करता है। उधारकर्ता स्पष्ट रूप से सहमत हैं कि सभी शर्तें उधारकर्ताओं को या तो प्रतियां प्रदान करके, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, या किसी अन्य तरीके से उपलब्ध कराई गई हैं। उधारकर्ता सहमत हैं कि उन्हें लोन स्वीकृति की शर्तें प्राप्त हो चुकी हैं, जो व्यापक शर्तें हैं और जिन्हें लोनदाता के साथ उधार सुविधा की शासकीय शर्तों के संबंध में उधारकर्ता की समझ के लिए विस्तार से समझाया गया है, और यह अनुबंध उसके तहत एक वित्तीय दस्तावेज है, जो विशेष रूप से लोन के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। यदि किसी उधारकर्ता निरक्षर है और/या अंग्रेजी भाषा पढ़ नहीं सकता है, तो इस अनुबंध की शर्तें और लोन स्वीकृति की शर्तें उधारकर्ता को उसकी स्थानीय भाषा में पढ़कर सुनाई गई हैं, अनुवादित की गई हैं और विस्तार से समझाई गई हैं, और उधारकर्ता ने इस संबंध में स्थानीय भाषा में घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

उधारकर्ता इसके द्वारा विशेष रूप से सहमत होता है, स्वीकार करता है और पुष्टि करता है कि उन्होंने पुनर्भुगतान की विशिष्ट और सटीक तिथियों को स्पष्ट रूप से समझ लिया है और वे इस बात से भली-भांति अवगत हैं कि विशेष तिथियों पर भुगतान न करने के कारण एसएमए और एनपीए का वर्गीकरण कैसे होगा और उसके परिणामस्वरूप क्या परिणाम होंगे। इसे लोनदाता के प्रतिनिधियों द्वारा भी उधारकर्ताओं को, उधारकर्ताओं द्वारा लिए जा रहे लोन के संबंध में विशिष्ट उदाहरणों और चित्रणों सहित, उधारकर्ताओं की संतुष्टि तक विस्तार से समझाया गया है।

40. सूचना का प्रकटीकरण

(a) उधारकर्ता और गारंटर सभी या किसी भी जानकारी और डेटा के प्रकटीकरण और साझा करने के लिए, जो उधारकर्ता, गारंटर, लोन और अन्य सुविधाओं, उधारकर्ता के लोनदाता के साथ अन्य लेन-देन, उधारकर्ता के खाते, और सुविधाओं और लेन-देन से संबंधित अनुबंध और दस्तावेजों से संबंधित हो, जिसमें उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा सुविधाओं या अन्य लेन-देन के संबंध में अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन में की गई किसी चूक से संबंधित जानकारी भी शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, लोनदाता द्वारा उपयुक्त और आवश्यक समझे जाने पर भारतीय रिजर्व बैंक और/या लोन सूचना कंपनियों और/या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य एजेंसी या निकाय को, अन्य बैंकों और लोनदाताओं को जिनमें हस्तांतरिताधिकारी और संभावित हस्तांतरिताधिकारी शामिल हैं, अपने पेशेवर सलाहकारों और परामर्शदाताओं को और लोन सुविधा के संबंध में निर्देशित अपने सेवा प्रदाताओं को, और/या कानून या किसी लागू विनियम के तहत आवश्यक होने पर, या किसी न्यायालय के आदेश पर, या किसी वैधानिक, नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण के अनुरोध या आदेश पर जिसके साथ वह सामान्यतः अनुपालन करता है, प्रकट करने और उपलब्ध कराने के लिए स्वीकार करता है, पुष्टि करता है और सहमति देता है।

(b) उधारकर्ता यह वचन देता है और अनुबंध करता है कि वह लोनदाता द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उधारकर्ता द्वारा ली गई अन्य लोन सुविधाओं के संबंध में जानकारी सहित सभी सूचनाएं प्रदान करेगा। उधारकर्ता घोषणा करता है कि समय-समय पर लोनदाता को दी गई जानकारी सत्य और सही है और रहेगी।

(c) उधारकर्ता और/या गारंटर इसके द्वारा आगे सहमत हैं कि यदि उधारकर्ता और/या गारंटर लोनदाता की देय राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं या नियत तारीखों पर किश्तों के पुनर्भुगतान में चूक करता है, या उधारकर्ता और/या गारंटर का खाता भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार एनपीए बन जाता है, तो लोनदाता को प्रिंट और/या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उधारकर्ता और/या गारंटर की फोटो, नाम और पते को जानबूझकर चूक करने वाले (विलफुल डिफॉल्टर) के रूप में प्रकाशित करने की स्वतंत्रता होगी, साथ ही उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा लोनदाता को देय बकाया राशि का विवरण भी प्रकाशित किया जा सकेगा।

(d) उधारकर्ता और/या गारंटर:

  i. यह स्वीकार करता है कि भारतीय रिजर्व बैंक या क्रेडिट सूचना कंपनियां और या इस प्रकार अधिकृत कोई अन्य एजेंसी, या कोई वैधानिक, नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण या अन्य लोनदाता / संभावित लोनदाता, लोनदाता द्वारा प्रकट की गई उक्त जानकारी और डेटा का उपयोग, प्रोसेसिंग और प्रसार उस तरीके से कर सकते हैं जैसा वे किसी विशेष परिस्थिति में उचित समझें; और

  ii. इस संबंध में लोनदाता को जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।

उधारकर्ता और/या गारंटर लोनदाता को समय-समय पर लोन से संबंधित किसी भी जानकारी को लोनदाता के किसी भी मूल / सहायक / संबद्ध / सहयोगी इकाई को, और सेवाओं और उत्पादों के विपणन के उद्देश्य से लोनदाता द्वारा नियुक्त थर्ड पार्टी को और अपने निवेशकों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है।

41. स्वीकृति

उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा निम्नानुसार घोषणा करता है:

(a) उन्होंने पूरा अनुबंध और अनुसूची और/या अनुलग्नकों में दिए गए विवरण पढ़ लिए हैं।

(b) वे इस अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों से बाध्य होंगे।

(c) यह अनुबंध और अन्य दस्तावेज उन्हें उनकी समझी जाने वाली भाषा में समझा दिए गए हैं और उन्होंने इसमें मौजूद सभी खंडों और अनुसूचियों/अनुलग्नकों को समझ लिया है।

(d) वे सहमत हैं कि यह अनुबंध उस तारीख को संपन्न और कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा जब उधारकर्ता और गारंटर इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(e) यह अनुबंध भारत के कानूनों द्वारा शासित होगा और अनुसूची में दर्ज न्यायालयों के पास इसके किसी भी खंड या प्रावधान से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले, दावे या विवाद के संबंध में क्षेत्राधिकार होगा।

42. संचार और प्रचार

उधारकर्ता लोनदाता को आगे इसके लिए अधिकृत करता है:

(a) एसएमएस / ईमेल लेनदेन संबंधी संदेश भेजना;

(b) एसएमएस / ईमेल किसी भी व्यावसायिक, प्रचार, विपणन संदेश / संचार या ऐसी अन्य जानकारी भेजना; और/या

(c) उधारकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मोबाइल / लैंडलाइन नंबरों और / या ईमेल आईडी पर एसएमएस / ईमेल कोई मौसमी/सामयिक शुभकामनाएं आदि भेजना, भले ही उधारकर्ता ने पहले से ही ट्राई), एनडीएनसी या अन्य समान डेटाबेस या प्राधिकरण द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय ग्राहक प्राथमिकता रजिस्टर में पंजीकरण कराया हो।

उधारकर्ता आगे पुष्टि करता है कि उधारकर्ता अवांछित व्यावसायिक संचार के संबंध में ट्राई के नियमों / निर्देशों और टीडीसैट , एनसीपीआर और एनडीएनसी के तहत महत्व, आवश्यकताओं और सुविधा से अवगत है और उधारकर्ता भविष्य में इस प्राधिकरण के आधार पर लोनदाता द्वारा किसी भी एसएमएस/ ईमेल या टेली-कॉल संदेश, व्यावसायिक, प्रचार, विपणन या ऐसे अन्य संचार के लिए या उसके संबंध में किसी भी अधिकारी या नियामक निकायों के समक्ष कोई शिकायत या दावा नहीं करेगा और, उधारकर्ता इस संबंध में होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए लोनदाता, उसके निदेशकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों / सेवा प्रदाताओं को क्षतिपूर्ति करेगा।

43. विविध

(a) **लोनदाता भविष्य के लिए किसी भी नियम और शर्त** (ब्याज दर, लोन कैंसल करने के शुल्क और इस अनुबंध के तहत लगाए गए किसी भी अन्य शुल्क सहित) को बदलने, संशोधित करने या संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। वितरण अनुसूची, ब्याज दर, लोन कैंसल करने के शुल्क और/या दंडात्मक शुल्क, अन्य लागू शुल्क/प्रभार आदि सहित नियमों और शर्तों में कोई भी बदलाव उधारकर्ता को प्रादेशिक भाषा या ऐसी किसी भी भाषा में जिसे उधारकर्ता समझ सकता हो, सूचित किए जाने पर संशोधित माना जाएगा और ऐसे संशोधन भविष्य के प्रभाव से लागू होंगे।

(b) उधारकर्ता / गारंटर के पते में किसी भी बदलाव की सूचना ऐसे बदलावों के 4 (चार) दिनों के भीतर लोनदाता को लिखित रूप में दी जाएगी।

(c) यह अनुबंध भारत के कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा।

(d) यदि दो या दो से अधिक उधारकर्ता हैं, तो इस अनुबंध के तहत उधारकर्ताओं की देनदारियां संयुक्त और अलग-अलग होंगी।

(e) सभी पत्राचार में, लोन खाता संख्या और वाहन का पूरा विवरण यानी पंजीकरण संख्या, इंजन और चेसिस संख्या / संपत्ति का विवरण उधारकर्ता और गारंटर द्वारा उद्धृत करना चाहिए।

(f) इस अनुबंध के तहत लोनदाता के सभी उपाय, चाहे वे इसमें प्रदान किए गए हों या कानून, नागरिक कानून, सामान्य कानून, रीति-रिवाज, व्यापार या उपयोग द्वारा प्रदान किए गए हों, संचयी हैं और वैकल्पिक नहीं हैं और उन्हें क्रमिक रूप से या समवर्ती रूप से लागू किया जा सकता है।

(g) इस अनुबंध में, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो:

   (i) एकवचन में बहुवचन शामिल है और इसके विपरीत भी शामिल होंगे।

   (ii) पुल्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग शामिल होंगे।

   (iii) सर्वनाम वह, उसका, उनका आदि सजातीय रूपों का परस्पर उपयोग किया गया है और संदर्भ के अनुसार उनकी व्याख्या की जानी चाहिए।

   (iv) व्यक्ति शब्द में एक व्यक्ति, निगम, कंपनी, भागीदारी फर्म, ट्रस्ट या कोई अन्य इकाई शामिल होगी।

   (v) टाइटल केवल संदर्भ के उद्देश्यों के लिए हैं।

(h) इस अनुबंध के जारी रहने के दौरान भागीदारी फर्म/ कंपनी/ अविभाजित हिंदू परिवार (एचयूएफ), जो भी मामला हो, के गठन या उधारकर्ता/ गारंटर में कोई भी बदलाव उधारकर्ता/ गारंटर की देनदारी को कम या समाप्त नहीं करेगा।

(i) उधारकर्ता इसके द्वारा लोनदाता को, लोनदाता, उसके सहयोगियों या किसी अन्य सेवा प्रदाता से देय राशि, विपणन योजनाओं, विभिन्न वित्तीय, मूल्य वर्धित और बीमा उत्पादों आदि के बारे में निम्न में से किसी एक या अधिक तरीकों से जानकारी प्राप्त करने के लिए स्पष्ट रूप से अपनी सहमति देता है: [A] टेलीफोन भले ही उधारकर्ता का नाम डू नॉट

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

कॉल रजिस्टर में दिखाई देता हो; [B] ई-मेल; [C] एसएमएस; [D] व्हाट्सऐप; [E] लागू कानूनों के तहत अन्य संचार चैनल।

(j) उधारकर्ता इसके द्वारा स्पष्ट रूप से (i) इस अनुबंध या किसी भी संभावित लेनदेन के संबंध में लोनदाता के प्रासंगिक कर्मियों के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग के लिए सहमति देता है, (ii) सहमत होता है कि यदि वह ऐसी रिकॉर्डिंग के उपयोग को सीमित करना चाहता है, तो लोनदाता के हितों और ऐसी रिकॉर्डिंग के संबंध में अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लोनदाता को आवश्यक नोटिस देगा और (iii) सहमत होता है कि, लागू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, रिकॉर्डिंग को किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(k) **अप्रत्याशित घटना:** लोनदाता को उधारकर्ता के प्रति किसी भी कर्तव्य या दायित्व के प्रदर्शन और निर्वहन से मुक्त किया जाएगा, चाहे वह किसी भी अनुबंध के तहत हो, जिसमें यह अनुबंध शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, या अन्यथा उस सीमा तक, जहां ऐसे कर्तव्य या दायित्व का प्रदर्शन या निर्वहन युद्ध, आक्रमण, विदेशी दुश्मन के कृत्य, शत्रुता (चाहे युद्ध घोषित किया गया हो या नहीं), गृहयुद्ध, विद्रोह, क्रांति, महामारी, विद्रोह या सैन्य या हड़पी गई शक्ति या किसी कानून, नियम, विनियमन, आदेश या मांग द्वारा जारी या किसी सरकार, विभाग, परिषद या अन्य प्राधिकरण (चाहे कानूनी रूप से या वास्तव में) के कृत्य के परिणामस्वरूप या लोनदाता के नियंत्रण से बाहर हड़ताल, तालाबंदी या किसी अन्य कारण (चाहे वे समान प्रकृति के हों या नहीं) से रोका, विफल या बाधित हुआ हो।

(l) उधारकर्ता और गारंटर इसके द्वारा संयुक्त और पृथक रूप से पुष्टि करता है कि उन्होंने इस अनुबंध में निर्धारित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार किया है।

44. विवाचन

(a) यह अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेज, नीचे दर्ज धारा 44 (b) *(मध्यस्थता)* के अधीन रहते हुए, भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगे और उनकी व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी। पक्षकार सहमत हैं कि इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे संबंधित किसी भी विषय के संबंध में चेन्नई के न्यायालयों और/या अधिकरणों को अधिकारिता प्राप्त होगी। उपरोक्त प्रावधान केवल लोनदाता के लाभ के लिए है। परिणामस्वरूप, लोनदाता इस अनुबंध से उत्पन्न या इससे संबंधित कार्यवाहियां किसी अन्य न्यायालय या अधिकरण में प्रारंभ करने का अधिकारी होगा। उसके अनुसार, लोनदाता एक साथ अनेक अधिकार क्षेत्रों में कार्यवाहियां प्रारंभ कर सकता है।

(b) इस अनुबंध के तहत लोन से संबंधित किसी भी विवाद, या इस अनुबंध से उत्पन्न किसी भी अधिकार, दायित्व और उत्तरदायित्व के संबंध में, मध्यस्थता द्वारा निपटारा किया जाएगा, जिसे लोनदाता और उधारकर्ता द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा, नीचे धारा 44 (c) में दर्ज मध्यस्थों के पैनल में से नियुक्त किया जाएगा। ऐसे नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ को किसी भी लागू कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या उसके किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन और उसके तहत बनाए गए और उस समय लागू नियमों के अनुसार संचालित की जाएगी और वे इस अनुबंध के तहत मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे। मध्यस्थता का स्थान भारत के क्षेत्र के भीतर कोई स्थान होगा और ऐसा स्थान होगा जिसे वित्तीय दस्तावेजों और/या लोन से संबंधित विवाद के प्रशासन के उद्देश्य से लोनदाता सुविधाजनक समझे, और उधारकर्ता इसके द्वारा मध्यस्थता के स्थान के संबंध में लोनदाता की पसंद का पालन करने के लिए सहमत होता है। मध्यस्थता की कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी। मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(c) उपरोक्त खंड में दर्ज मध्यस्थों का पैनल निम्न होगा:

मध्यस्थ का नाम	योग्यता

मध्यस्थ का नाम	योग्यता

(d) पक्षकारों के बीच यह सहमति है कि यदि नियुक्त मध्यस्थ मृत्यु और/या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण मध्यस्थता कार्यवाही की अध्यक्षता करने में असमर्थ हो, या यदि उपरोक्त में से कोई भी मध्यस्थ किसी भी कारण से मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए उपलब्ध न हो, तो ऐसी स्थिति में, इस संबंध में पक्षकारों को सूचना प्रदान किए जाने पर, मध्यस्थता कार्यवाही की अध्यक्षता किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा की जाएगी जिसे दोनों पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त किया जाएगा।

(e) **वकील शुल्क, लागत और व्यय:** उधारकर्ता और लोनदाता के बीच वित्तीय दस्तावेजों से उत्पन्न या उनसे संबंधित किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही (जिसमें धारा 44 (*मध्यस्थता*) से उत्पन्न कोई आदेश या निर्णय भी शामिल है) में, प्रबल पक्ष अपने अधिवक्ता शुल्क और अन्य लागत और व्यय की रिकवरी का अधिकारी होगा, इसके अतिरिक्त किसी अन्य राहत के जिसे वह प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। हालांकि, अगर व्यय अनुसूची के तहत शामिल हैं, तो ऐसे व्यय उधारकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। उपरोक्त वाक्य के प्रति किसी भी प्रकार की हानि के बिना, उधारकर्ता इसके द्वारा घोषणा करता है और पुष्टि करता है कि उसने वित्तीय दस्तावेजों की उन प्रतियों पर, जो उधारकर्ता के पास रखी गई हैं, पर्याप्त स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (जिसमें भारत के विभिन्न राज्यों में देय सभी अंतर शुल्क शामिल हैं) का भुगतान कर दिया है, ताकि वित्तीय दस्तावेजों को भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी राज्य या स्थान में (जिसमें उनके निष्पादन के क्षेत्र या स्थान के बाहर के स्थान भी शामिल हैं) प्रस्तुत या लाया जा सके। किसी भी परिस्थिति में लोनदाता उधारकर्ता को वित्तीय दस्तावेजों की उन प्रतियों पर, जो उधारकर्ता को प्रदान की जानी हैं, स्टाम्प लगाने और/या पंजीकरण कराने की आवश्यकता के बारे में सूचित करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, और न ही यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय दस्तावेजों की प्रतियों पर उधारकर्ता द्वारा विधिवत स्टाम्प लगाया गया है। ऐसे वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में देय कर से संबंधित लागू कानूनों के तहत उत्पन्न या उनसे संबंधित किसी भी और सभी राशियों का भुगतान करना उधारकर्ता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

45. अधिकार क्षेत्र

यह अनुबंध लोनदाता द्वारा चेन्नई में स्वीकार और निष्पादित किया गया है और इसके तहत सभी वचन, नियम व शर्तें, जिनमें भुगतान भी शामिल है, चेन्नई में पालन और निष्पादित किए जाएंगे, और उधारकर्ता और गारंटर विशेष रूप से सहमत हैं कि इसमें निहित मध्यस्थता धारा के अधीन रहते हुए, इस अनुबंध से उत्पन्न या इसके तहत संबंधित किसी भी विषय पर केवल चेन्नई के न्यायालयों को विशिष्ट अधिकारिता प्राप्त होगी। इस खंड 45 में निहित कोई भी बात लोनदाता के किसी भी सक्षम अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय या अधिकरण में कार्यवाही प्रारंभ करने के अधिकार को सीमित नहीं करेगी, और न ही एक या अधिक अधिकार क्षेत्रों में कार्यवाही प्रारंभ करना किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में, चाहे एक साथ या अन्यथा, कार्यवाही प्रारंभ करने से रोकेगा, और उधारकर्ता और गारंटर अपरिवर्तनीय रूप से अपने लिए और अपनी संपत्ति के संबंध में सामान्य और बिना शर्त ऐसे न्यायालय या अधिकरण की अधिकारिता को प्रस्तुत होता है और स्वीकार करता है, और उधारकर्ता और गारंटर वर्तमान या भविष्य में किसी भी कार्यवाही के स्थान निर्धारण के संबंध में या यह दावा करने के संबंध में कि ऐसी कोई कार्यवाही असुविधाजनक मंच में लाई गई है, किसी भी आपत्ति का अपरिवर्तनीय रूप से परित्याग करता है।

46. शिकायत निवारण

उधारकर्ता की शिकायतों के सेटलमेंट के लिए नामित नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण और उधारकर्ता की शिकायतों को संभालने के लिए शिकायत निवारण तंत्र इस अनुबंध की अनुसूची में दिया गया है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

इसके साक्ष्य के रूप में, इस पर पक्षों ने इस अनुबंध पर दिनांक, माह और वर्ष के अनुसार ....हस्ताक्षर किए जैसा अनुसूची में निर्दिष्ट है।

लोनदाता, उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता और गारंटर द्वारा और उनकी ओर से इस बात के प्रतीक और गवाह के रूप में हस्ताक्षर किया गया हैऔर डिलीवरी की गई है कि उन्होंने इस अनुबंध के सभी खंडों और सभी पृष्ठों, अनुसूची और उसकी सभी सामग्री को पढ़ (और/या उन्हें समझा दिया गया है) लिया है, सत्यापित किया है, समझा है, अपरिवर्तनीय रूप से सहमति दी है, स्वीकार किया है, पुष्टि की है और घोषित किया है, जिसमें निहित सभी नियम और शर्तें शामिल हैं और उन्होंने इसकी सटीकता और शुद्धता को प्रमाणित किया है।

पक्ष सहमत हैं कि यह अनुबंध उस दिन और उस स्थान पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होगा जहां इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इस अनुबंध को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लागू किया गया, स्वीकार किया गया, प्रमाणित किया गया, हस्ताक्षरित किया गया और वितरित किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित गारंटर द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामित लोनदाता, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा **हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

अनुसूची
भाग A

अनुबंध की तिथि और स्थान	
उधारकर्ता का नाम और पता	
सह-उधारकर्ता 1 का नाम और पता	
सह-उधारकर्ता 2 का नाम और पता	
गारंटर का नाम और पता	
उद्देश्य/संपूर्ण उपयोग	☐ परिसंपत्ति/वाहन की खरीद/पुनर्वित्तपोषण ☐ कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ☐ व्यवसाय का विस्तार ☐ परिसंपत्ति का बीमा कराना ☐ उधारकर्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा प्राप्त करना ☐ उधारकर्ताओं के लिए जीवन बीमा प्राप्त करना ☐ अन्य (*कृपया बताएं*) __________ (*उपयुक्त पर टिक करें*)
पुनर्भुगतान की तिथियां	अलग से दिए गए भुगतान अनुसूची के अनुसार
वार्षिक प्रतिशत दर	नीचे अनुसूची के भाग B में दर्ज अनुसार
ब्याज दर	नीचे अनुसूची के भाग B में दर्ज अनुसार
मूलधन और ब्याज का विभाजन	अलग से दिए गए भुगतान अनुसूची के अनुसार
परिसंपत्ति का विवरण	*मेक (निर्माता का नाम):* *मॉडल:* *पंजीकरण संख्या:* *सीरियल नंबर (अपंजीकृत के लिए):*
अतिरिक्त सुरक्षा का विवरण	
प्रभार	नीचे अनुसूची के भाग B में दर्ज अनुसार
वितरण	डिस्बर्समेंट अनुरोध फॉर्म में दर्ज बैंक खाते में भुगतान
एसएमए/एनपीए उदाहरण	*उदाहरण: अगर किसी लोन खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के दिन की अंत की प्रक्रिया समाप्ति से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती, तो देय राशि की तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। अगर देय राशि भुगतान फिर भी नहीं किया जाता है, तो 30 दिनों की लगातार देयता पूरी होने पर 30 अप्रैल 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया समाप्ति पर यह खाता एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके अनुसार, उस खाते की एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।* *इसी तरह, अगर खाता लगातार देय रहता है, तो 30 मई 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया समाप्ति पर इसे एसएमए-2 के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और अगर देय राशि और अधिक समय तक बकाया*

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

	रहती है, तो 29 जून 2021 को दिन की अंतिम प्रक्रिया समाप्ति पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। *यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल सभी बकाया राशि सहित ब्याज और मूलधन का भुगतान करने पर ही (सिवाय उन मामलों के जहां किसी लोन की मांग के लिए नोटिस जारी की गई हो या इस अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार प्रवर्तन/ वसूली कार्यवाही शुरू की गई हो) उधारकर्ता के लोन खाते का वर्गीकरण मौजूदा आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार मानक (स्टैंडर्ड) में उन्नत किया जा सकता है।*
नोडल शिकायत निवारण अधिकारी और शिकायत निवारण तंत्र का विवरण	*संबंधित संचालन क्षेत्रों के लिए नोडल शिकायत निवारण अधिकारी और शिकायत निवारण प्रक्रिया के विवरण हेतु कृपया वेबसाइट* **https://www.indostarcapital.com/contact-us** *देखें।*

भाग B

1.	**लोन प्रस्ताव/खाता नंबर**		**ऋण का प्रकार**	
2.	**सैंक्शन लोन राशि (रुपये में)**			
3.	**वितरण अनुसूची** (i) वितरण चरणों में या 100% अग्रिम: (ii) अगर यह चरणवार है, तो लोन अनुबंध के लागू विवरण वाले खंड का उल्लेख करें			
4.	**लोन अवधि (वर्ष/ माह)**			
5.	**किस्तों का विवरण**			

किश्त का प्रकार	ईपीआई/ईएमआई की संख्या:	ईपीआई/ईएमआई (₹ में):	सैंक्शन के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत
मासिक			

6.	**ब्याज दर (%) और प्रकार (फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड):**	फिक्स्ड ब्याज दर @____%
7.	**फ्लोटिंग दर्ज ब्याज की स्थिति में अतिरिक्त जानकारी:**	लागू नहीं
8.	**फीस/शुल्क**	

			लोनदाता को देय (A)		लोनदाता के माध्यम से थर्ड पार्टी को देय (B)	
			एक बार/आवर्ती:	राशि (₹ में) या % (जैसा लागू हो)	एक बार/आवर्ती:	राशि (₹ में) या % (जैसा लागू हो)
(i)	प्रोसेसिंग शुल्क		एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	बीमा शुल्क		लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(a)	मोटर इंश्योरेंस	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(b)	जीवन बीमा	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(c)	रक्षा कवच	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
	(d)	अन्य	लागू नहीं	लागू नहीं	एकमुश्त	₹
(iii)	वाहन की जांच/निरीक्षण के लिए शुल्क		एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	दस्तावेज शुल्क		एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

(v)	स्टांपिंग शुल्क	एकमुश्त	वास्तविक के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
(vi)	सुरक्षा निर्माण शुल्क	एकमुश्त	वास्तविक के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii)	गैप-डे ब्याज:	एकमुश्त	₹	लागू नहीं	लागू नहीं
(viii)	अन्य (अगर कोई हो, विवरण प्रदान करें)				
9.	**वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर %)**				
10.	**आकस्मिक शुल्कों का विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)**				
(i)	देर से भुगतान पर दंड शुल्क (अगर कोई हो)				**36% प्रति वर्ष**
(ii)	फोरक्लोजर शुल्क (यदि लोन कूलिंग अवधि के बाद कैंसल किया जाता है)				बकाया मूल राशि का 4%
(iii)	अन्य दंड शुल्क (अगर कोई हो, विवरण दें)				
(a)	चेक/ इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सेवा ("ईसीएस") अस्वीकृति शुल्क				प्रत्येक रिटर्न किए गए ईसीएस/चेक के लिए ₹ 500
(b)	डुप्लिकेट नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शुल्क				प्रति समाप्त/ खोई हुई एनओसी 500 रुपये
(c)	स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुल्क				₹ 500
(d)	स्वैपिंग शुल्क (ईसीएस/एनएसीएच/पोस्ट डेटेड चेक से)				₹ 1000
(e)	रोल ओवर पोस्ट डेटेड चेक शुल्क				₹ 500
(f)	नॉन पोस्ट डेटेड चेक शुल्क (नकद भुगतान मोड)				₹ 500
(g)	डाक, टेलीग्राम, टेलीफोन और नोटिस शुल्क				वास्तविक अनुसार
(h)	भुगतान कलेक्शन शुल्क (एफवीसी)				प्रत्येक लेनदेन पर ₹ 200
(i)	प्रवर्तन शुल्क				वास्तविक अनुसार
(j)	आउटस्टेशन चेक कलेक्शन शुल्क				वास्तविक अनुसार
(k)	संपत्ति की मरम्मत संबंधी शुल्क				वास्तविक अनुसार
(l)	किसी भी कार्रवाई/प्रक्रिया के शुल्क और खर्च				वास्तविक अनुसार
(m)	दस्तावेज पुनर्प्राप्ति शुल्क				वास्तविक अनुसार
(n)	टोइंग शुल्क				वास्तविक अनुसार
(o)	पुनः कब्जा शुल्क				वास्तविक अनुसार
(p)	कानूनी शुल्क				वास्तविक अनुसार
(q)	लोन कैंसलेशन शुल्क (अगर कूलिंग अवधि के बाद लोन कैंसल किया जाता है)				कम से कम ₹ 3000/- या जितने दिनों का ब्याज है**, जो भी ज्यादा हो
(r)	सुरक्षा सुरक्षा शुल्क				वास्तविक अनुसार
(s)	वाहन पार्किंग/बिक्री संबंधित शुल्क				वास्तविक अनुसार
(t)	अन्य (अगर कोई हो, विवरण प्रदान करें)				
11.	डिजिटल लोन के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं:				
(a)	कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि				3 (तीन) दिन
(b)	उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत रिकवरी एजेंट का विवरण				वर्तमान में कोई रिकवरी एजेंट नियुक्त नहीं है।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

		रिकवरी एजेंट नियुक्त होने पर विवरण उधारकर्ता को इसकी सूचना दी जाएगी।

** सभी शुल्क में जीएसटी शामिल नहीं हैं*
***दिनों की संख्या: वितरण की तिथि से पूर्ण कैंसलेशन राशि की प्राप्ति की तिथि तक।*

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

पुनर्भुगतान अनुसूची

किश्त संख्या	**बकाया मूलधन**	**मूलधन**	**ब्याज**	**किश्त**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

किश्त संख्या	**बकाया मूलधन**	**मूलधन**	**ब्याज**	**किश्त**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	गारंटर	लोनदाता

अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी
(लोन सह दृष्टिबंधक अनुबंध के लिए)

जिन-जिन के समक्ष यह प्रस्तुत पत्र पहुंचे, मैं/हम, जैसा कि यहां (''**उधारकर्ता**'') संलग्न अनुसूची में दर्ज है

जहां कि

इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (सीआईएन: L65100MH2009PLC268160) एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है, जिसका पंजीकृत कार्यालय सिल्वर यूटोपिया, तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 301-ए, पी एंड जी प्लाजा के सामने, कार्डिनल ग्रेशियस रोड, चकला, अंधेरी (ई), मुंबई - 400099, भारत में स्थित है और अन्य स्थानों के अलावा, एक शाखा कार्यालय ____भारत में स्थित है, (जिसे आगे "**लोनदाता**" कहा जाएगा) ने अनुसूची ("**लोन**") में दर्ज लोन सह दृष्टिबंधक अनुबंध के माध्यम से अधिकतम मूल राशि तक वित्तीय सुविधाएं देने या देने के लिए सहमति व्यक्त की है या दी है, जैसा कि अनुसूची ("**लोन अनुबंध**") में दर्ज है, जो मेरे/हमारे और लोनदाता के बीच निष्पादित किया जाने वाला है;

और जबकि मैं/हमने लोन अनुबंध की अनुसूची में अधिक विस्तार से दर्ज परिसंपत्ति, जैसा कि यहां संलग्न अनुसूची में दर्ज है (जिसे आगे ''**परिसंपत्ति**'' कहा जाएगा), को बंधक रखने और लोनदाता के पक्ष में उस परिसंपत्ति पर प्रभार सृजित करने के लिए सहमति दी है, ताकि मेरे/हमारे द्वारा लोन की विधिवत पुनर्भुगतान, ब्याज दर पर देय राशि, दंडात्मक शुल्क (*यदि लागू हो*) और अन्य सभी शुल्क जो लोन अनुबंध के तहत मेरे/हमारे द्वारा लोनदाता को देय होंगे, सुनिश्चित किए जा सकें।

और जबकि मैं/हम, उधारकर्ता, अपने लिए और अपने उत्तराधिकारियों और असाइनी के लिए, लोन अनुबंध के तहत लोनदाता के हितों की रक्षा हेतु लोनदाता के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करने के लिए सहमत हुए हैं, ताकि निम्न कार्य, कृत्य, विषय और बातें की जा सकें, अर्थात:

1) परिसंपत्ति के संबंध में सभी इंस्ट्रूमेंटों और विलेखों का निष्पादन करना और सभी कार्य, कृत्य, विषय और बातें करना, जो लोन अनुबंध के प्रावधानों को प्रभावी करने और उसके तहत सृजित सुरक्षा हित के संरक्षण, प्रवर्तन और प्राप्ति हेतु आवश्यक हों।
2) ऐसे सभी विलेख, दस्तावेज और आश्वासन निष्पादित करना और ऐसे सभी कार्य और बातें करना जैसा कि लोनदाता अपेक्षित करें, और सभी शपथपत्र, पावर ऑफ अटॉर्नी, पत्र, अंतरण, प्रत्यायोजन और आश्वासन निष्पादित करना, चाहे वे लोनदाता या उनके नामित के पक्ष में हों, जिन्हें लोनदाता अपने स्वामित्व को पूर्ण करने या उक्त परिसंपत्ति को लोनदाता या उसके नामित या उसके किसी क्रेता में निहित करने हेतु आवश्यक समझें।
3) मेरे/हमारे चालू और पिछले मूल्यांकन वर्षों से संबंधित आयकर रिटर्न/मूल्यांकन कार्यवाही, अपील कार्यवाही आदि का निरीक्षण स्वयं करने या किसी अधिवक्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट या पंजीकृत व्यापार व्यवसायी को नियुक्त करने हेतु।
4) लोनदाता को मेरे/हमारे द्वारा लोन सुविधा प्राप्त करने हेतु किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों की सत्यता की पुष्टि करने में सक्षम बनाना।
5) नियोक्ताओं से आवश्यक सूचना प्राप्त करना, जैसा कि महत्वपूर्ण विवरणों की पुष्टि हेतु आवश्यक हो।
6) क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, अप्रत्यक्ष कर अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के सामने वकील या लेंडर द्वारा जरूरी समझे गए किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के जरिए हाजिर होना, ताकि आर.सी. बुक में हाइपोथेकेशन दर्ज हो सके और गाड़ी का मालिकाना हक़ ट्रांसफर हो सके।
7) लोन अनुबंध की शर्तों के अनुसार चूक की घटना घटित होने की स्थिति में बंधक रखी गई परिसंपत्ति का कब्जा लेना और परिस्थितियों में जैसा लोनदाता उचित समझें, उस परिसंपत्ति को अपने पास रखना या अन्यथा उससे व्यवहार करना।
8) किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण, उक्त परिसंपत्ति के निर्माता और/या उसके विक्रेताओं से किसी भी पत्र, प्रमाणपत्र, पंजीकरण पुस्तिका, बुकिंग आदेश, बीमा पॉलिसी या अन्य दस्तावेज प्राप्त करना, ग्रहण करना, मांगना या संग्रह करना।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2

9) बंधक रखी गई परिसंपत्ति के किसी भी भाग बिक्री या सेटलमेंट के संबंध में उधारकर्ता को प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग करना या उसके संबंध में उधारकर्ता के किसी भी अधिकार का प्रयोग करना या बंधक रखी गई परिसंपत्ति पर सृजित सुरक्षा हित का पूर्ण लाभ लोनदाता को प्रदान करना।
10) गिरवी रखी गई संपत्ति को किसी भी तरह से स्थानांतरित करना, बेचना, पट्टे पर देना, किराए पर देना, निपटाना, डिलीवरी देना और अन्यथा उससे निपटना, जैसा भी लोनदाता उचित या आवश्यक समझे, और सभी अनुबंध, अनुबंधों, घोषणा पत्रों, उपकरणों और अन्य लिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें निष्पादित करना, जिसमें विचार प्राप्त करना और उचित रसीद देना और उसका वैध और प्रभावी निर्वहन करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो ऐसे उद्देश्यों के लिए आवश्यक या उचित हो।
11) उपरोक्त खंड 7 में संदर्भित किसी भी अंतरण, बिक्री, पट्टा, सेटलमेंट, डिलीवरी, प्राप्ति या अन्य व्यवहार को प्रभावी करने हेतु किसी भी ब्रोकर की नियुक्ति करना।
12) उपरोक्त खंड 7 में संदर्भित बिक्री, अंतरण, पट्टा, किराया, सेटलमेंट, डिलीवरी या अन्य व्यवहार के बाद उक्त बंधक रखी गई परिसंपत्ति के पंजीकरण हेतु उपयुक्त प्राधिकरण को, यदि आवश्यक हो, सूचना देना।
13) जब भी लोनदाता आवश्यक समझें, बंधक रखी गई परिसंपत्ति को जहां कहीं भी वह रखी गई है/रखी गई मानी जाती है, वहां से प्राप्त करना और उसका कब्जा लेना।
14) बंधक रखी गई परिसंपत्ति के संबंध में उधारकर्ता के आदेश/बुकिंग को कैंसल करना या रद्द करना और बुकिंग मूल्य (निर्माता/विक्रेता/आपूर्तिकर्ता द्वारा की जाने वाली किसी भी कटौती के बाद) को प्राप्त करना और उसे उधारकर्ता द्वारा लोनदाता को देय किसी भी राशि के विरुद्ध समायोजित करना, और बंधक रखी गई परिसंपत्ति के मूल्य में किसी भी हानि या कमी के लिए बाध्य या उत्तरदायी न होना।
15) किसी भी चेक/इंस्टूमेंट/दस्तावेज में सभी या कोई भी प्रासंगिक विवरण भरना, और उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऐसे चेक को किसी भी प्रकार से जमा करना या प्रत्याभूत करना, जैसा कि लोनदाता उचित समझें।
16) और मैं/हम इसके द्वारा सहमत हैं कि लोनदाता द्वारा इन प्रस्तुत पत्रों के बल पर परिसर में जो भी कार्य किए जाएं या करवाए जाएं, उन्हें अनुमोदित और पुष्टि करेंगे।
17) व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में वर्तमान में विद्यमान लेन-देन की विधिवत पूर्णता और निष्पादन हेतु सभी कागजात, पत्राचार, वाउचर, अनुबंध, करार, पत्र, आवेदन, याचिका, अंतरण, रसीद और अन्य सभी विलेख, आश्वासन और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना, उन्हें निष्पादित करना, सुपुर्द करना और पूर्ण करना।
18) उक्त परिसंपत्ति के हित की रक्षा हेतु किसी भी पंजीकरण प्राधिकरण, बीमा कंपनी या अन्य प्राधिकरण को शुल्क, प्रभार, दंड, अधिरोपण, प्रीमियम, कर या अन्य आरोपों का भुगतान करना।
19) सुविधादाता के रूप में कार्य करना और किसी भी बीमा कंपनी को बीमा प्रीमियम का भुगतान करना और/या मेरे/हमारे लागत, प्रभार और व्यय पर ऐसे बीमा को कराना, नवीनीकृत करना, जिसकी प्रतिपूर्ति मेरे/हमारे द्वारा लोनदाता को की जाएगी।
20) यदि कोई हो तो बीमा दावा बीमाकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करना, बीमा दावा राशि प्राप्त करना और मेरे/हमारी ओर से विधिवत रसीद देना।
21) लोनदाता द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर किसी भी अधिवक्ता की नियुक्ति/परिवर्तन करना, ऐसे अधिवक्ता के पक्ष में वकालतनामा पर हस्ताक्षर करना और सभी लागू शुल्कों का भुगतान करना।
22) यहां निहित सभी, कोई एक या एक से अधिक शक्तियों, प्राधिकारों और स्वतंत्रताओं को प्रत्यायोजित करना और किसी एक या अधिक उद्देश्यों के लिए किसी भी प्रतिस्थानी या प्रतिस्थानियों की नियुक्ति करना, जैसा कि लोनदाता समय-समय पर इच्छित करें।
23) सामान्यतः लोनदाता के हित की रक्षा के उद्देश्य से किसी भी अन्य कार्य, कृत्य, विषय या बात को करना, निष्पादित करना और पूरा करना।

और सामान्यतः इन प्रस्तुत पत्रों से संबंधित या इनके संबंध में या इन्हें संबंधित सभी कार्य, कृत्य, विषय और बातें करना, निष्पादित करना और पूरा करना, जैसा कि मेरे उक्त अभिकर्ता उपयुक्त समझें, वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप से मानो मैंने/हमने स्वयं व्यक्तिगत रूप से किया, निष्पादित किया या पूरा किया हो।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2

यह प्राधिकार नीचे हस्ताक्षरकर्ता और उसके विधिक उत्तराधिकारियों पर लोन प्रदान किए जाने से पूर्व और बाद बाध्यकारी होगा और लोन की अवधि के दौरान उसके सेटलमेंट/मुक्ति तक अपरिवर्तनीय रहेगा।

मैं, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, इसके द्वारा पुष्टि करता हूं कि मैंने इस पावर ऑफ अटॉर्नी में दर्ज नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता हूं।

इस दस्तावेज के उद्देश्यों के लिए, इस पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रयुक्त सभी कैपिटल अक्षरों में लिखे गए शब्द, जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें लोन अनुबंध में प्रदान किया गया है।

अनुसूची

निष्पादन का स्थान	
निष्पादन की तिथि	
लोन अनुबंध की तिथि	___________ को दिनांकित लोन सह दृष्टिबंधक अनुबंध
लोन राशि	
उधारकर्ता का विवरण:	**जैसा कि लोन अनुबंध में दर्ज है**
सह-उधारकर्ताओं का विवरण:	**जैसा कि लोन अनुबंध में बताया गया है**
संपत्ति का विवरण	*मेक (निर्माता का नाम):* *मॉडल:* *पंजीकरण संख्या:* सीरियल नंबर (अपंजीकृत के लिए)

उधारकर्ताओं ने ऊपर दी गई अनुसूची में दर्ज तारीख और स्थान पर यह पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित किया है।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2

<u>पीएसएल घोषणा फॉर्म</u>

दिनांक:

अंत
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड
____
प्रिय महोदय,

मैं/हम ______________________________ पुष्टि करते हैं कि मेरी/हमारी निवेश राशि ₹ ______________________ और मेरा/हमारा टर्नओवर ₹ ____________________ है।

लोन का प्रकार	ट्रैक्टर / वाहन का उपयोग	भूमि स्वामित्व विवरण	पीएसएल श्रेणी	टिप्पणियां	लागू होने पर टिक करें
वाहन लोन	परिवहन व्यवसाय या अन्य स्वयं के व्यवसाय में उपयोग किया जाता है, जिसमें वेतनभोगी, स्कूल, ट्रस्ट, सोसायटी और गैर-लाभकारी संगठन शामिल नहीं हैं।	उपकरण में निवेश -			
		1 करोड़ से कम का निवेश और 5 करोड़ से कम का टर्नओवर	M1	सूक्ष्म उद्यम	
		10 करोड़ से कम का निवेश और 50 करोड़ से कम का टर्नओवर	M2	लघु उद्यम	
		50 करोड़ से कम का निवेश और 250 करोड़ से कम का टर्नओवर	M3	मध्यम उद्यम	

मैं/हम इस बात से अवगत हैं कि उपर्युक्त वित्तीय सहायता के लिए मेरे/हमारे आवेदन पर विचार करने हेतु आपने मेरी/हमारी उपर्युक्त प्रस्तुति, घोषणा और पुष्टि पर विश्वास किया है। मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपरोक्त घोषणा आपकी लोनदाता बैंक कोप्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग श्रेणी के तहत उधारकर्ता की श्रेणी की रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है।

धन्यवाद,

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित गारंटर द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

पीएसएल घोषणा पत्र – कृषि क्षेत्र

दिनांक:

अंत
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

प्रिय महोदय,

यह घोषित किया जाता है कि मैं/हम ______________________ एकड़ कृषि भूमि के मालिक हैं और स्वामित्व ___________________________ के नाम पर है।

उपरोक्त कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेजों की प्रति मेसर्स इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड को प्रदान की गई है और मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि उक्त कृषि संपत्ति पर हमारा पूर्ण अधिकार, स्वामित्व और हित है। उक्त वाहनों का उपयोग मेरी/हमारी कृषि भूमि से/तक कृषि उपज/इनपुट के परिवहन के लिए किया जाएगा।

मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा वित्तपोषित वाणिज्यिक वाहन का उपयोग कृषि उपज के परिवहन के लिए किया जा रहा है/किया जाएगा।

मैं/हम इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि वाणिज्यिक वाहनों की सुरक्षा के बदले इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड से प्राप्त रीफाइनेंस/टॉप-अप लोन का उपयोग कार्यशील पूंजी के उद्देश्य और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए उत्पादन और निवेश आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।

मैं/हम जानते हैं कि इसी प्रतिनिधित्व, घोषणा और पुष्टि के विश्वास पर इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड वित्तीय सहायता के लिए मेरे उपरोक्त आवेदन पर विचार करने के लिए सहमत हुआ है। मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपरोक्त घोषणा आपकी लोनदाता बैंक कोप्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग श्रेणी के तहत उधारकर्ता की श्रेणी की रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक है।

धन्यवाद,

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित गारंटर द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

मांग वचन पत्र के लिए निरंतरता पत्र

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (लोनदाता के रूप में)

मैं/हम जैसा कि नीचे उल्लेख ("**उधारकर्ता**", जिसमें सभी सह-उधारकर्ता, यदि कोई हो, शामिल होंगे) किया गया है, ने ____________/- रुपये (रुपये ____ मात्र) के लिए दिनांक ____________ को एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट ("**डिमांड प्रॉमिसरी नोट**") निष्पादित किया है, जिसे मेरे/हमारे द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और आपको सुपुर्द किया गया है। यह मेरे/हमारे द्वारा लोनदाता को देय सभी राशियों या जो इसके बाद लोनदाता को देय हो सकती हैं, उनके भुगतान/पुनर्भुगतान की सुरक्षा के रूप में है। यह भुगतान दिनांक ____________ को उधारकर्ता और लोनदाता के बीच निष्पादित लोन सह दृष्टिबंधक अनुबंध की शर्तों के अनुसार होगा, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है ("**लोन अनुबंध**")। इस तथ्य के बावजूद कि लोन या अग्रिम या खाता समय-समय पर कम या समाप्त हो सकता है या उक्त खाते में शेष राशि जमा हो सकती है, उद्देश्य यह है कि उक्त डिमांड प्रॉमिसरी नोट और सुरक्षा किसी भी समय हमारे द्वारा लिए गए किसी भी लोन के लिए लोनदाता के पास निरंतर सुरक्षा बनी रहे, जब तक कि लोन अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूरे लोन का पुनर्भुगतान नहीं हो जाता।

मैं/हम इसके द्वारा सहमत हैं, पुष्टि करते हैं और वचन देते हैं कि:

(a) उक्त डिमांड प्रॉमिसरी नोट आपके लिए एक निरंतर सुरक्षा के रूप में कार्य करेगा और वर्तमान या भविष्य में लोन और/या वित्तीय दस्तावेजों के तहत देय किसी भी और सभी राशियों की पुनर्भुगतान हेतु प्रवर्तनीय होगा; और

(b) मैं/हम उक्त डिमांड प्रॉमिसरी नोट के तहत उत्तरदायी बने रहेंगे, इस तथ्य के बावजूद कि समय-समय पर लोन या उससे संबंधित किसी अन्य राशि का भुगतान लोनदाता को किए जाने से उक्त लोन समय-समय पर घट सकता है या समाप्त हो सकता है, जब तक कि संपूर्ण लोन लोन अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूर्ण रूप से चुका न दिया जाए।

जब तक यहां अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, सभी कैपिटल अक्षरों में लिखे गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें लोन अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में प्रदान किया गया है।

यह दस्तावेज एक वित्तीय दस्तावेज माना जाएगा।

हम यह सुनिश्चित करेंगे कि डिमांड प्रॉमिसरी नोट प्रत्येक 3 (तीन) वर्ष की अवधि के अंत में और/या ऐसे समय पर जैसा कि लोनदाता द्वारा अनुरोध किया जाए, पुनः वैध किया जाए।

उधारकर्ता संयुक्त और अलग-अलग आधार पर इसके द्वारा पुष्टि करता है कि उन्होंने इस निरंतरता पत्र में दर्ज डिमांड प्रॉमिसरी नोट की नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करता है।

स्थान: ____________________
दिनांक: ______________________

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

गारंटी पत्र

यह गारंटी पत्र ("**गारंटी**") अनुसूची में दर्ज स्थान पर अनुसूची में दर्ज तिथि को और अनुसूची में दर्ज व्यक्ति (जिसे आगे "**गारंटर**" के रूप में संदर्भित किया जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति संदर्भ या अर्थ के विपरीत होने पर, इसमें उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और अनुमत असाइनी शामिल होंगे) द्वारा इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड (सीआईएन: L65100MH2009PLC268160) के पक्ष में, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ______________________________ में स्थित है और अन्य स्थानों के साथ, ______________________________ में एक शाखा कार्यालय (इसके बाद "**लोनदाता**" कहा जाएगा) है जिसका अभिव्यक्ति, जब तक कि यह संदर्भ या अर्थ के विपरीत न हो, उसके प्रभाग, उत्तराधिकारी, असाइन, सहायक कंपनियां और सहयोगी कंपनियां शामिल होंगी।

और जबकि गारंटर ने यहां संलग्न अनुसूची में दर्ज लोन अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों के उधारकर्ता द्वारा विधिवत पालन और अनुपालन की गारंटी देने का वचन दिया है।

और जबकि गारंटर द्वारा दिए गए वचनों और आश्वासनों तथा लोन अनुबंध के तहत उधारकर्ता द्वारा दिए गए वचनों और आश्वासनों पर भरोसा करते हुए, लोनदाता ने उधारकर्ता को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है, जैसा कि लोन अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों (*जैसा कि लोन अनुबंध में परिभाषित किया गया है*) में दर्ज नियमों और शर्तों पर विशेष रूप से इस अनुसूची ("**लोन**") में निर्धारित किया गया है।

अब यह गारंटी इस प्रकार है:

1. लोन अनुबंध में परिभाषित चूक की घटना घटित होने की स्थिति में (*जैसा कि लोन अनुबंध में परिभाषित किया गया है*), गारंटर बिना किसी आपत्ति या विरोध के, मांग पर तत्काल, अपरिवर्तनीय और बिना शर्त लोनदाता को संपूर्ण लोन राशि के साथ ब्याज दर पर देय राशि, दंडात्मक शुल्क (*यदि कोई हो*), लागत, प्रभार, व्यय और/या अन्य कोई भी राशि जो उस समय लोन अनुबंध के तहत लोनदाता को देय हो, का भुगतान करेगा और लोन, ब्याज दर पर देय राशि और अन्य देय राशियों और सभी लागत, प्रभार और व्ययों के संबंध में लोनदाता को हुए सभी नुकसानों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित बनाए रखेगा।
2. गारंटर सहमत होता है और पुष्टि करता है कि बकाया लोन राशि पर ब्याज और दंडात्मक शुल्क उस दर या दरों पर लगाया जाएगा, जैसा कि लोन अनुबंध की अनुसूची में निर्दिष्ट है। ब्याज की गणना बकाया लोन राशि पर की जाएगी। लोनदाता को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से, लोन अनुबंध की अनुसूची में प्रदान की गई विधि के अनुसार, किसी भी अनियमितता के लिए, संपूर्ण बकाया या उसके किसी भाग पर, जैसा वह निर्धारित करे, दंडात्मक शुल्क लगाए, और ऐसे दंडात्मक शुल्क का लगाया जाना लोनदाता के अन्य अधिकारों और उपायों को प्रभावित किए बिना होगा।
3. लोनदाता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह विद्यमान प्रतिभूतियों के अतिरिक्त लोन या उसके किसी भागे लिए अन्य कोई प्रतिभूति स्वीकार करे और ऐसी प्रतिभूतियों या वर्तमान में उसके पास विद्यमान किसी भी सहायक प्रतिभूति के तहत उपलब्ध किसी भी उपाय को प्रवर्तित करने से मुक्त रहे या उसे लागू न करे, और ऐसी किसी भी मुक्ति या प्रवर्तन से विरत रहने का प्रभाव गारंटर की इस गारंटी के तहत देयता को मुक्त या समाप्त करने या किसी भी प्रकार से प्रभावित करने वाला नहीं होगा, और गारंटर को लोनदाता के पास विद्यमान उक्त प्रतिभूति का लाभ लेने का कोई अधिकार नहीं होगा जब तक कि लोन के संबंध में उधारकर्ता के विरुद्ध लोनदाता के सभी दावे और अन्य सभी दावे (यदि कोई हों) पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो जाएं, और तब भी केवल उस सीमा तक जहां तक ऐसी प्रतिभूति लोनदाता के दावों की राशि की मुक्ति हेतु समाप्त न हो चुकी हो और अन्य गारंटरों या अन्य व्यक्तियों (यदि कोई हों) के साथ समानुपातिक रूप से, जो ऐसी प्रतिभूति के लाभ के हकदार हों।
4. यहां निहित गारंटी गारंटर/गारंटरों के विरुद्ध लागू करने योग्य होगी, भले ही पूर्वोक्त प्रतिभूतियां या उनमें से कोई भी या कोई अन्य कोलैटरल प्रतिभूतियां जो लोनदाता ने उधारकर्ता/उधारकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त की हों, उस समय जब यहां गारंटर/गारंटरों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, बकाया हों और/या लागू न की गई हों और/या रिकवर न की गई हों।
5. उधारकर्ता/उधारकर्ताओं को लोन सुविधा प्रदान करने के प्रतिफल में, गारंटर इसके द्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से गारंटी देता है:
    a. लोनदाता को लोन अनुबंध के तहत उधारकर्ता की देनदारियों का भुगतान और निर्वहन, जैसा कि उसमें दी गई शर्तों के अनुसार है; और
    b. उधारकर्ता द्वारा उक्त लोन अनुबंध के तहत प्रदान की गई सभी नियमों और शर्तों का उचित पालन।
6. गारंटर इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत है कि उसे लोनदाता द्वारा किसी भी प्रारूप में किए गए लिखित मांग के अलावा किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, जो गारंटर के ऊपर बताए गए पते पर भेजी गई हो और जिसमें चूक की घटना के होने का संकेत

गारंटर	लोनदाता

दिया गया हो जिसके कारण गारंटी लागू की गई है। लोनदाता या उसके प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग, जिसमें किसी विशेष समय पर देय राशि का उल्लेख हो, गारंटर के विरुद्ध निर्णायक साक्ष्य होगी।

7. गारंटर लोनदाता द्वारा पहली मांग पर बिना किसी प्रतिबंध या शर्त के और उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी विरोध के बावजूद भुगतान करेगा। गारंटर लोनदाता से इस गारंटी को लागू करने के औचित्य को साबित करने की मांग नहीं करेगा और इस गारंटी के तहत किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में गारंटर के पास लोनदाता के लिए कोई सहारा नहीं होगा।
8. गारंटर इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत है कि यह गारंटी एक निरंतर गारंटी है और तब तक वैध रहेगी जब तक कि लोन अनुबंध के तहत उधारकर्ता की सभी देनदारियां लोनदाता की संतुष्टि के अनुसार पूरी तरह से संतुष्ट न हो जाएं। गारंटर की देनदारी उधारकर्ता की देनदारी के साथ संयुक्त और अलग-अलग है।
9. गारंटर स्पष्ट रूप से सहमत है कि चूंकि उसकी देनदारी उधारकर्ता की देनदारी के साथ सह-विस्तृत है, इसलिए गारंटी की प्रभावशीलता के उद्देश्य से, गारंटरों को इस गारंटी के प्रावधानों के तहत देय सभी बकाया राशियों के लिए लोनदाता के प्रति मुख्य देनदार माना जाएगा।
10. गारंटर इसके द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत है कि उसे किसी भी परिस्थिति में इस गारंटी के तहत लोनदाता के प्रति उसकी देनदारी से मुक्त नहीं किया जाएगा, जिसमें बिना किसी सीमा के निम्न शामिल हैं:
    a. लोन अनुबंध की शर्तों या लोनदाता और उधारकर्ता के बीच लेनदेन में उनकी सहमति के बिना किए गए किसी भी बदलाव द्वारा;
    b. या लोनदाता और उधारकर्ता के बीच किए गए किसी भी अनुबंध द्वारा जिसके द्वारा उधारकर्ता को मुक्त किया जाता है; या
    c. लोनदाता के किसी भी कार्य या चूक द्वारा, जिसका कानूनी परिणाम उधारकर्ता की मुक्ति हो सकता है; या
    d. लोनदाता द्वारा उधारकर्ता के साथ अनुबंध करने या समय देने का वादा करने या मुकदमा न करने के द्वारा।
11. गारंटर स्वीकार करता है कि भुगतान करने का गारंटर का दायित्व लोनदाता द्वारा गारंटर को लिखित सूचना भेजने के तुरंत बाद उत्पन्न होता है, चाहे उधारकर्ता से मांगी गई हो या उसके लिए कार्यवाही की गई हो या नहीं।
12. गारंटर लोन अनुबंध के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने में उधारकर्ता की विफलता से उत्पन्न होने वाले सभी नुकसानों, क्षति, लागतों, शुल्कों और खर्चों (अधिवक्ता की फीस सहित) के विरुद्ध लोनदाता को पूरी तरह से क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत है।
13. गारंटर इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि लोनदाता इस गारंटी को लागू करने का हकदार होगा, चाहे लोनदाता लोन अनुबंध की विषय-वस्तु के विरुद्ध अपने अधिकार को लागू करे या न करे या उधारकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति या इकाई के लिए दायर किसी भी कार्यवाही (कानूनी या अन्यथा) से पहले, साथ-साथ या बाद में गारंटर के लिए कोई कार्यवाही (कानूनी या अन्यथा) करे।
14. यहां निहित गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए, लोनदाता इस प्रकार कार्य करने का हकदार होगा मानो गारंटर लोनदाता के लिए उन सभी भुगतानों के लिए मुख्य देनदार हों जिनकी गारंटी उन्होंने लोनदाता को दी है।
15. गारंटी की व्याख्या भारत के कानूनों के अनुसार की जाएगी।
16. गारंटर द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि लोनदाता उनके द्वारा लोनदाता को प्रदान की गई किसी भी और सभी जानकारी को किसी भी क्रेडिट ब्यूरो या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट करने का हकदार होगा जैसा कि लोनदाता उचित समझे और गारंटर इसके द्वारा किसी भी तरह से इस पर विवाद या प्रश्न न उठाने का वादा करता है। गारंटर बिना किसी शर्त के सहमत है और स्वीकार करता है कि, इस गारंटी के तहत गारंटर द्वारा भुगतान में किसी भी चूक के मामले में, लोनदाता/आरबीआई/सिबिल को चूक के विवरण और/या अन्य जानकारी और गारंटर का नाम चूककर्ता के रूप में प्रकट करने का अधिकार होगा।
17. गारंटर सहमत है कि लोन अनुबंध के तहत प्रदान किया गया मध्यस्थता खंड गारंटर पर बाध्यकारी है और गारंटर मध्यस्थ द्वारा पारित निर्णय से भी बाध्य है।
18. उधारकर्ता द्वारा लोन की कोई भी स्वीकृति गारंटर पर भी उसी प्रकार बाध्यकारी है मानो ऐसी स्वीकृति गारंटर द्वारा दी गई हो।
19. यह गारंटी ऊपर दर्ज तारीख से प्रभावी होगी और केवल उधारकर्ता और/या गारंटर द्वारा लोन अनुबंध के तहत देय राशि का लोनदाता को पूर्ण पुनर्भुगतान करने पर ही समाप्त होगी।
20. यह गारंटी लोनदाता के लिए व्यक्तिगत नहीं है और लोनदाता द्वारा गारंटर की पूर्व सहमति या सूचना के बिना किसी भी व्यक्ति को (चाहे पूर्ण रूप से या सुरक्षा के रूप में) पूर्ण या आंशिक रूप से सौंपी जा सकती है।
21. इस गारंटी में उपयोग किए गए सभी शब्द और अभिव्यक्तियां जो यहां परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो लोन अनुबंध के तहत उनके लिए दर्ज है।
22. गारंटर इसके द्वारा पुष्टि करता है कि उसने इस गारंटी में निर्धारित नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उन्हें स्वीकार कर लिया है।

गारंटर	लोनदाता

अनुसूची

क्र. सं.	विवरण	विवरण
1.	**तारीख**	
2.	**स्थान**	
3.	**गारंटर**	**नाम:** ______________________________ **आयु**: ________ **पता:** (निवास) ______________________________ ______________________________ ______________________________
4.	**डील आईडी संख्या**	
5.	**लोन राशि**	
6.	**लोन अनुबंध का विवरण**	लोन सह बंधक अनुबंध दिनांक ____________________
7.	**उधारकर्ता का विवरण:**	**जैसा कि लोन अनुबंध में बताया गया है**

इसके साक्ष्य के रूप में गारंटरों ने यहां दर्ज दिन, महीने और वर्ष के साथ इन पत्र पर अपने हस्ताक्षर किए हैं।

पक्षों की ओर से/के लिए और उनके द्वारा इस गारंटी के सभी खंड और सभी पेज, अनुसूची, उसमें मौजूद सभी नियम और शर्तों सहित उसकी सारी सामग्री को पढ़ने (और/या समझाने), सत्यापित करने, समझने, पूरी तरह सहमत होने, स्वीकार करने, कन्फर्म करने और घोषित करने के सबूत के तौर पर और उनकी ओर से हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया और उसकी सटीकता और सही होने की पुष्टि की गई।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जरिए गारंटर ने आवेदन किया, मंजूर किया, अधिकृत किया, हस्ताक्षर किया और डिलीवर किया:

नामांकित गारंटर द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामित लोनदाता, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा **हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया**

गारंटर	लोनदाता

राशि वितरण अनुरोध फॉर्म

इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

प्रिय महोदय,

विषय: अनुरोध है कि यहां संलग्न अनुसूची में दर्ज लोन ("**लोन**") के तहत राशि का वितरण **लोन अनुबंध** में दर्ज नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाए, जो कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड और उधारकर्ता के बीच निष्पादित किए गए हैं।

मैं/हम केएफएस, स्वीकृति पत्र और लोन अनुबंध का संदर्भ देते हुए अनुरोध करते हैं कि यहां संलग्न अनुसूची में दर्ज राशि को स्वीकृति पत्र, लोन अनुबंध और लोन से संबंधित अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दर्ज नियमों और शर्तों के अधीन उक्त लोन के तहत अनुसूची में दर्ज व्यक्ति/व्यक्तियों के पक्ष में वितरित किया जाए। जब तक यहां अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, सभी कैपिटल अक्षरों में लिखे गए शब्दों का वही अर्थ होगा जो उन्हें लोन अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दिया गया है।

उपरोक्त वितरण के लिए बैंक खाता विवरण भी अनुसूची में प्रदान किया गया है। मैं/हम पुष्टि करते हैं और आश्वासन देते हैं कि:

(i) मैं/हमने लोन, स्वीकृति पत्र, लोन अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दर्ज सभी नियमों और शर्तों (पूर्व शर्तों सहित) का पालन किया है और हमारे सभी अभ्यावेदन, वारंटी और प्रतिबद्धताएं वर्तमान में सत्य, प्रभावी, वैध और विद्यमान हैं।
(ii) मैं/हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है और न ही किसी ऐसी घटना में भाग लिया है जो आपके लोन वितरण के निर्णय को प्रभावित कर सके।
(iii) कोई चूक की घटना (लोन अनुबंध में परिभाषित) घटित नहीं हुई है और/या वर्तमान में मौजूद नहीं है।
(iv) कोई ऐसी परिस्थितियां या घटनाएं मौजूद नहीं हैं जो किसी चूक की घटना को जन्म दे सकती हों।

इस फॉर्म में प्रयुक्त सभी कैपिटल अक्षरों वाले शब्दों का अर्थ वही होगा जो उन्हें लोन अनुबंध में दिया गया है।

यह लोन वितरण अनुरोध अपरिवर्तनीय है।

धन्यवाद।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2

अनुसूची – वितरण अनुरोध फॉर्म

लोन राशि	₹			
लोन अनुबंध	लोन अनुबंध दिनांक:			
ऋणकर्ता	जैसा कि लोन अनुबंध में बताया गया है			
	वितरण 1	**वितरण 2**	**वितरण 3**	**वितरण 4**
वितरित की जाने वाली राशि का विवरण				
व्यक्ति/व्यक्तियों का विवरण, जिनके पक्ष में राशि वितरित की जानी है				
बैंक खाता का विवरण:				
खाता धारक का नाम:				
खाता संख्या:				
खाता का प्रकार:				
बैंक का नाम				
पता				
आईएफएससी कोड:				
आंशिक भुगतान के वितरण की पुष्टि, जो दो या अधिक किश्तों में किया जा सकता है।				

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2

लोन राशि का संपूर्ण उपयोग

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

संदर्भ : लोन आवेदन संख्या:

विषय : संपूर्ण उपयोग की पुष्टि:

मैंने/हमने लोन अनुबंध में दर्ज उद्देश्य के लिए यह लोन लिया है। मैं/हम पुष्टि/घोषणा करते हैं कि लोन की राशि केवल उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की जाएगी, जिसके लिए इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ने इसे प्रदान किया है, और किसी भी परिस्थितियों में इसका उपयोग किसी आपराधिक तत्व / मनी लॉन्ड्रिंग / आतंकवादी वित्तपोषण गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा।

मैं/हम जानते हैं कि इसी प्रतिनिधित्व, घोषणा और पुष्टि पर भरोसा करके इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ने वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमति दी है।
सभी कैपिटल अक्षरों वाले शब्दों का अर्थ वही होगा जो लोन अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दिया गया है।

धन्यवाद।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	लोनदाता

शुरू

____
____

अंत

इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड

मैं .... पुत्र .... जो .... में रहता हूं, इसके द्वारा अपना वाहन जिसका पंजीकरण संख्या .... इंजन संख्या .... तथा चेसिस संख्या .... है, को मेरे द्वारा आपके साथ किए गए/ किए जाने वाले लोन सह दृष्टिबंधक अनुबंध (“**लोन अनुबंध**”) के तहत उधारकर्ता के रूप में देय सभी राशियों के देय पुनर्भुगतान के प्रति कोलैटरल सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत करता हूं, जिसमें लोन किश्तें तथा दंड शुल्क और लोन अनुबंध के तहत प्रदान किए गए अनुसार अर्जित होने वाले अन्य शुल्क शामिल हैं।

यदि मैं किसी भी किश्त का भुगतान करने में चूक करता हूं, तो आप उक्त वाहन को मेरे बिना किसी सूचना के प्राप्त करके बेचने के अधिकारी होंगे और इसे न्यायालय की प्रक्रिया के बिना किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, वाहन को प्राप्त करने और बेचने का आपका अधिकार लोन अनुबंध में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

मैं वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र और बीमा पॉलिसी में आपके पक्ष में बंधक प्रविष्टि कराऊंगा और उसी की एक प्रति आपको सुपुर्द कर दूंगा, साथ ही विधिवत निष्पादित मोटर वाहन पत्र भी प्रदान करूंगा।

आपका विश्वासी,

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	लोनदाता

प्रतिज्ञा और सहमति पत्र

सेवा में,
इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, ("**इंडोस्टार**")

___

प्रिय महोदय/महोदया,

इंडोस्टार से वित्तीय उत्पाद और/या सेवाएं प्राप्त करने के संबंध में, मैं/हम, उधारकर्ता और गारंटर, इसके द्वारा संयुक्त और अलग-अलग रूप से इंडोस्टार को निम्न हेतु स्वेच्छा, स्पष्ट और अचूक सहमति प्रदान करते हैं:

(a) किसी भी स्रोत या व्यक्ति या संस्था से, जिसे इस संबंध में मेरे/हमारे द्वारा ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया हो, (मेरे/हमारे व्यक्तिगत डेटा सहित) किसी भी जानकारी को इकट्ठा करना, प्राप्त करना, मांगना और/या प्राप्त करना, जिसमें केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री ("**सीकेवाईसीआर**") शामिल है, परंतु उस तक ही सीमित नहीं है;

(b) इंडोस्टार से लिए गए लोन की अवधि के दौरान, इंडोस्टार को ऐसी अतिरिक्त जानकारी, डेटा, दस्तावेज प्रदान करना जो इंडोस्टार की आंतरिक 'अपने ग्राहक को जानें' (**केवाईसी**) नीति के अनुसार आवश्यक हो या अन्यथा केवाईसी के दृष्टिकोण से इंडोस्टार द्वारा आवश्यक हो; और

(c) मेरी/हमारी पहचान के प्रमाणीकरण और/या सत्यापन के उद्देश्यों के लिए या अन्यथा लोन, लोन अनुबंध और/या इंडोस्टार के साथ मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित किसी भी अन्य दस्तावेजों के संबंध में मेरी/हमारी जानकारी को संसाधित/उपयोग करना।

इस वचनपत्र सह सहमति पत्र के उद्देश्यों के लिए, व्यक्तिगत डेटा का अर्थ उन सभी व्यक्तिगत डेटा/जानकारी से होगा, जिसमें मेरा/हमारा नाम, आवासीय पता, कोई भी संपर्क विवरण, जन्म तिथि, कोई भी वित्तीय डेटा, मेरी/हमारी चल संपत्तियों से संबंधित डेटा, रोजगार विवरण के साथ-साथ इंडोस्टार को मेरे/हमारे द्वारा या मेरी/हमारी ओर से उपलब्ध कराए गए किसी भी अन्य पहचान विवरण शामिल हैं, और ऐसी जानकारी शामिल है, लेकिन इन्ही तक शामिल नहीं है. जो इंडोस्टार ने मेरे/हमारे आवेदन पत्र, लोन अनुबंध, बीमा और इंडोस्टार को जमा किए गए किसी भी अन्य दस्तावेजों के परिणामस्वरूप प्राप्त की हो।

मैं/हम इसके द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि उपरोक्त उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए, मुझसे/हमसे डाक द्वारा, टेलीकॉल और टेक्स्ट मैसेज और मेरे/हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर *(नीचे परिभाषित)* पर व्हाट्सऐप के माध्यम से, या इंडोस्टार के साथ पंजीकृत ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर, सोशल मीडिया, फैक्स, इसकी ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा या किसी अन्य माध्यम (लेकिन मेरे/हमारे निर्देशों और/या कानून के विपरीत तरीके से नहीं) से संपर्क किया जा सकता है।

इसके अलावा, मैं/हम वचन देते हैं कि मैं/हम इंडोस्टार की पूर्व लिखित सहमति के बिना अपना मोबाइल नंबर *(आधार के साथ पंजीकृत)* को नहीं बदलेंगे या अपडेट नहीं करेंगे, जो इंडोस्टार के रिकॉर्ड में पंजीकृत है।

मैं/हम इसके द्वारा घोषित करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त सहमति स्पष्ट है और मेरे/हमारे द्वारा स्वेच्छा से दी गई है।

मैं/हम इस प्राधिकरण और वचनपत्र की प्रकृति को समझते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपरोक्त सहमति लोन की अवधि के दौरान और वर्तमान लागू कानूनों और नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार हर समय बनी रहेगी और प्रभावी रहेगी।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	लोनदाता

जब तक यहां अन्यथा परिभाषित न किया गया हो, सभी कैपिटल अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो लोन अनुबंध और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में दिया गया है।

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित गारंटर द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**

चेक प्रस्तुतिकरण फॉर्म			
आवेदन संख्या:		**डील संख्या:**	
उधारकर्ता का नाम:	1.		
	2.		
	3.		
	4.		

चेक विवरण:

बैंक का नाम				शाखा का पता				
क्र. सं.	चेक संख्या:		चेक की संख्या:	चेक तिथि:		उद्देश्य (ईएमआई/पीईएमआई/पीएफ)	प्रकृति (यूडीसी/एसपीडीसी):	प्रत्येक चेक की राशि:
	शुरू	अंत	चेक	शुरू	अंत			
1								
2								
3								
4								
5								
6								

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	लोनदाता

बैंक का नाम				शाखा का पता				
क्र. सं.	चेक संख्या:		चेक की संख्या:	चेक तिथि:		उद्देश्य (ईएमआई/पीईएमआई/पीएफ)	प्रकृति (यूडीसी/एसपीडीसी):	प्रत्येक चेक की राशि:
	शुरू	अंत	चेक	शुरू	अंत			
1								
2								
3								
4								
5								
6								

मैं/हम इस प्रकार गंभीरता से घोषणा करते हैं:

मैंने/हमने ऊपर दर्ज चेकों के अलावा कोई अन्य चेक नहीं दिए हैं और सभी चेक **"इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड"** के पक्ष में जारी किए गए हैं और "केवल प्राप्तकर्ता के खाते" के लिए क्रॉस किए गए हैं।

इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड किसी भी चेक के खाली छोड़ने या किसी अन्य नाम के पक्ष में जारी होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश:

1. सभी चेक "केवल प्राप्तकर्ता के खाते" के रूप में क्रॉस किए जाने चाहिए।
2. सभी चेक केवल "इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड" के पक्ष में जारी किए जाने चाहिए।
3. इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड किसी भी चेक के खाली छोड़ने या किसी अन्य नाम के पक्ष में जारी होने की जिम्मेदारी नहीं लेता है।
4. कृपया सुनिश्चित करें कि चेक में कोई सुधार/त्रुटि न हो और शब्दों और अंकों में लिखी राशि समान हो। सुधार/त्रुटि, भले ही हस्ताक्षरित हो, किसी भी बैंक द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	लोनदाता

ऑनलाइन स्वीकृति के लिए

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म द्वारा आवेदन किया गया किया, मंजूर किया, अधिकृत किया गया, हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया:

नामांकित उधारकर्ता द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 1 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामांकित सह-उधारकर्ता 2 द्वारा **हस्ताक्षर किया गया और डिलीवर किया गया**	नामित लोनदाता, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा **हस्ताक्षरित और डिलीवर किया गया**

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	लोनदाता

मांग प्रतिज्ञा पत्र

मांग पर, मैं/हम, जैसा कि नीचे उल्लिखित है (जिसे आगे "उधारकर्ता/उधारकर्ता(ओं)" कहा जाएगा, जिसमें सभी सह-उधारकर्ता, यदि कोई हों, शामिल होंगे), संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत स्थापित एक कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय ____ तथा शाखा कार्यालय ____ पर स्थित है (जिसे आगे "**ऋणदाता**" कहा जाएगा, और जहाँ संदर्भ अनुमति देता है, इसमें उसके उत्तराधिकारी और अभिकर्ता भी शामिल माने जाएंगे), को रुपये _______ **केवल इक्कीस लाख पचास हज़ार**____/- (रुपये ____ मात्र) की राशि, साथ ही ब्याज की दर पर देय राशि और उधारकर्ता द्वारा दिनांक __________________________ को उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच निष्पादित ऋण-सह-हाइपोथिकेशन अनुबंध ("**ऋण अनुबंध**") के अनुसार देय अन्य सभी राशियों सहित, भुगतान करने का वचन देता/देते हैं।

यहाँ प्रयुक्त बड़े अक्षरों में लिखे गए शब्द, जिनकी यहाँ परिभाषा नहीं दी गई है, उनके अर्थ वही होंगे जो ऋण अनुबंध में निर्दिष्ट किए गए हैं।

[रु.1 का राजस्व स्टाम्प चिपकाएँ और रद्द करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)]	[रु.1 का राजस्व स्टाम्प चिपकाएँ और रद्द करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)]	[रु.1 का राजस्व स्टाम्प चिपकाएँ और रद्द करें (कृपया राजस्व स्टाम्प पर हस्ताक्षर करें)]

उधारकर्ता(ओं) इस प्रकार संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से यह पुष्टि करते हैं कि उन्होंने इस मांग प्रतिज्ञा पत्र में उल्लिखित नियमों और शर्तों को पढ़ लिया है, समझ लिया है और उन्हें स्वीकार करते हैं।

ऑनलाइन स्वीकृति हेतु

द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आवेदन किया गया, स्वीकार किया गया, प्रमाणीकरण किया गया, हस्ताक्षरित और प्रदान किया गया:

स्थान: __________________________

दिनांक: __________________________

ऋणकर्ता	सह-उधारकर्ता 1	सह-उधारकर्ता 2	लोनदाता